



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



हिमाचल प्रदेश सरकार
प्रतिवेदन संख्या 3 वर्ष 2021

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

हिमाचल प्रदेश सरकार
प्रतिवेदन संख्या 3 वर्ष 2021

अनुक्रमणिका

विषय	परिच्छेद	पृष्ठ सं०
प्रस्तावना		vii
कार्यकारी सारांश		ix-xii
अध्याय-I		
संक्षिप्त विवरण		
राज्य की रूपरेखा	1.1	1
हिमाचल प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.1.1	1-2
सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय योगदान	1.1.2	2-3
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण	1.2	3-4
प्रतिवेदन की संरचना	1.3	4-5
सरकार की लेखा संरचना एवं बजटीय प्रक्रियाओं का संक्षिप्त विवरण	1.4	5-7
वित्त का आशुचित्र (स्नैपशॉट)	1.4.1	8
सरकार की परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का स्नैपशॉट	1.4.2	8-9
राजकोषीय संतुलन: घाटे एवं कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति	1.5	9-10
मुख्य राजकोषीय मापदण्डों पर राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन	1.5.1	10-11
मध्यावधि राजकोषीय योजना	1.5.2	11-12
घाटे/अधिशेष की प्रवृत्ति	1.5.3	12-15
लेखापरीक्षा जांच के पश्चात् कुल ऋण तथा घाटे	1.6	15
राजस्व एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	1.6.1	15
लेखापरीक्षा के बाद-कुल लोक ऋण	1.6.2	15-16
अध्याय- II		
राज्य के वित्त		
2018-19 की तुलना में 2019-20 में प्रमुख राजकोषीय योगों में महत्वपूर्ण परिवर्तन	2.1	17
निधियों के स्रोत एवं उनका अनुप्रयोग	2.2	18
राज्य के संसाधन	2.3	19
राज्य की प्राप्तियां	2.3.1	19-20
राज्य की राजस्व प्राप्तियां	2.3.2	20
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं विकास	2.3.2.1	20-22
राज्य के स्वयं के संसाधन	2.3.2.2	22-28
केन्द्र से अन्तरण	2.3.2.3	28-31
पूँजीगत प्राप्तियां	2.3.3	31-32
संसाधनों को जुटाने में राज्य का प्रदर्शन	2.3.4	32-33
संसाधनों का अनुप्रयोग	2.4	33
व्यय की वृद्धि एवं संघटन	2.4.1	33-35

विषय	परिच्छेद	पृष्ठ सं०
राजस्व व्यय	2.4.2	36-37
राजस्व व्यय के महत्वपूर्ण विचलन	2.4.2.1	37-38
प्रतिबद्ध व्यय	2.4.2.2	38-39
राष्ट्रीय पेंशन योजना की देयताओं का निर्वहन न होना	2.4.2.3	40
सब्सिडी	2.4.2.4	40-41
स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थानों को राज्य सरकार की वित्तीय सहायता	2.4.2.5	41-42
पूँजीगत व्यय	2.4.3	42
पूँजीगत व्यय के महत्वपूर्ण विचलन	2.4.3.1	42-43
पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता	2.4.3.2	43-48
व्यय प्राथमिकता	2.4.4	48-49
वस्तु शीर्ष-वार व्यय	2.4.5	49
लोक लेखा	2.5	50
निवल लोक लेखा शेष	2.5.1	50-51
आरक्षित निधियां	2.5.2	52
समेकित ऋण शोधन निधि	2.5.2.1	52
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि	2.5.2.2	52-53
प्रत्याभूति विमोच्य निधि	2.5.2.3	53
राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि	2.5.2.4	53-54
उचंत और विविध	2.5.3	54
ऋण प्रबंधन	2.6	54
ऋण रूपरेखा: घटक	2.6.1	55-58
ऋण रूपरेखा: परिपक्वता एवं अदायगी	2.6.2	58-60
ऋण धारणीयता विश्लेषण	2.7	60-62
उधार ली गई निधियों का उपयोग	2.7.1	62
गारंटी (प्रत्याभूति)-आकस्मिक देयताओं की प्रास्थिति	2.7.2	63-64
नकद शेष का प्रबंधन	2.7.3	64-66
निष्कर्ष	2.8	67-68
सिफारिशें	2.9	68
अध्याय-III		
बजटीय प्रबंधन		
बजट प्रक्रिया	3.1	69-70
वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरण तथा बचत का सारांश	3.1.1	70
प्रभारित एवं दत्तमत संवितरण	3.1.2	70-71
विनियोजन लेखे	3.2	71

विषय	परिच्छेद	पृष्ठ सं०
बजटीय एवं लेखा प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर टिप्पणी	3.3	71
कानूनी प्राधिकार के बिना किया गया व्यय	3.3.1	71-72
विनियोजन अधिनियम/अनुदानों के लिए विस्तृत मांगों द्वारा अन्तरणों को अधिदेशित न करना (लोक लेखा/बैंक खातों में)	3.3.2	72
पूँजीगत व्यय का राजस्व व्यय एवं प्रभारित व्यय व दत्तमत व्यय तथा एक दूसरे में गलत वर्गीकरण	3.3.3	72
अनावश्यक अथवा अपर्याप्त अनुपूरक अनुदान	3.3.4	73-75
पुनर्विनियोजन हेतु पूर्व विधायी प्राधिकरण की आवश्यकता	3.3.5	75
अनावश्यक अथवा अत्याधिक पुनर्विनियोजन	3.3.6	76
बचतें	3.3.7	76-81
व्यय अधिक्य तथा इसका विनियमन	3.3.8	81
वित्तीय वर्ष 2019-20 से संबंधित व्यय आधिक्य	3.3.8.1	81-82
अनुदानों में निरंतर आधिक्य	3.3.8.2	82-83
विगत वित्तीय वर्षों के व्यय आधिक्य का विनियमन	3.3.8.3	83
पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान	3.3.9	83-84
बजटीय एवं लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियाँ	3.4	84
बजट प्राक्कलन तथा प्रत्याशित एवं वास्तविक के मध्य अंतर	3.4.1	84-85
अनुपूरक बजट एवं अवसर लागत	3.4.2	85-86
बजट में प्रमुख नितिगत घोषणाएं एवं वास्तविक व्यय	3.4.3	86-87
योजनाएं तथा कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु उनमें वास्तविक निधियन	3.4.4	87-89
व्यय का तीव्र प्रवाह	3.4.5	89-90
चयनित अनुदानों की समीक्षा	3.5	91
अनुदान संख्या 13-“सिचाई एवं जन स्वास्थ्य”	3.5.1	91-93
अनुदान संख्या 22- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	3.5.2	93-95
निष्कर्ष	3.6	95-96
सिफारिशें	3.7	96
अध्याय - IV		
लेखा एवं वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाओं की गुणवत्ता		
राज्य की समेकित निधि अथवा लोक लेखा से बाहर रखी निधियां	4.1	97
भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर	4.1.1	97-98
नियामक	4.1.2	98-99
समेकित निधि में राज्य सरकार के जमा नहीं किए गए ऋण	4.2	99
सब्याज निक्षेपों के ब्याज के सम्बन्ध में देयताओं निर्वहन न होना	4.3	99
राज्य के कार्यान्वयन अभिकरणों (एजेंसियों) को सीधे हस्तांतरित निधियां	4.4	99-101
स्थानीय निधियों का निक्षेप	4.5	101

विषय	परिच्छेद	पृष्ठ सं०
उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब	4.6	101-103
अनुदेयी संस्थान को "अन्य" के रूप में दर्ज करना	4.6.1	103-104
सार आकस्मिक बिल	4.7	104
व्यक्तिगत निक्षेप लेखे	4.8	104-105
लघु शीर्ष-800 का अविवेकपूर्ण उपयोग	4.9	105-107
मुख्य उचंत एवं ऋण, निक्षेप व प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष	4.10	108-109
विभागीय आंकड़ों का मिलान	4.11	109
नकद शेष का सामंजस्य	4.12	109-110
लेखांकन मानकों का अनुपालन	4.13	110
लेखाओं/स्वायत्त निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के विलम्ब से प्रस्तुत करना	4.14	111
निकायों तथा प्राधिकरणों को दिए गए अनुदानों/ऋणों के विवरण प्रस्तुत न करना	4.15	111-112
लेखाओं की समयबद्धता एवं गुणवत्ता	4.16	112
दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि	4.17	112-113
राज्य वित्त के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्यवाही	4.18	114
निष्कर्ष	4.19	114
सिफारिशें	4.20	114-115

परिशिष्ट

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		परिच्छेद	पृष्ठ सं०
1	राज्य की रूपरेखा	1.1	117
2	राज्य सरकार के वित्त पर समयावली आंकड़े	2.3.2.1 तथा 2.4.1	118-120
3.1	बजट से सम्बन्धित महत्वपूर्ण शब्दों की शब्दावली	3.1	121-123
3.2	विभिन्न अनुदान जहां बचतें प्रत्येक में एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी, का विवरण	3.3.7	124-125
3.3	विभिन्न अनुदानों का विवरण जहां निरंतर बचतें (प्रत्येक मामले में एक करोड़ या उससे अधिक) हुई	3.3.7	126
3.4	उन योजनाओं के विवरण जहां प्रावधान किए गए (प्रत्येक मामले में एक करोड़ या उससे अधिक) परन्तु कोई व्यय नहीं किया गया	3.4.4	127-128
3.5	व्यय का तीव्र प्रवाह	3.4.5	129
4	स्वायत्त निकायों की सूची	4.15	130-131

प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

अध्याय-I राज्य का अवलोकन, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय योगदान, सरकारी लेखाओं की संरचना तथा राज्य के वित्त का आशुचित्र (स्नैपशॉट) प्रस्तुत करता है।

इस प्रतिवेदन के अध्याय-II एवं III में 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखों व विनियोजन लेखों की जांच से उजागर मामलों की लेखापरीक्षा टिप्पणियां समाविष्ट हैं। जहां भी आवश्यक था, हिमाचल प्रदेश सरकार से सूचना प्राप्त की गई है।

'लेखाओं तथा वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता' पर अध्याय-IV चालू वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग से सम्बन्धित विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं दिशा-निदेशों के साथ राज्य सरकार की अनुपालना के अवलोकन तथा प्रास्थिति को प्रस्तुत करता है।

विभिन्न विभागों में हुए लेनदेनों की लेखापरीक्षा एवं निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्ष से युक्त प्रतिवेदन, सांविधिक निगमों, बोर्ड एवं सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा पर अभ्युक्तियों से युक्त प्रतिवेदन तथा राज्य के राजस्व पर प्रतिवेदन पृथक रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

भूमिका

हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त पर यह प्रतिवेदन बजट आकलनों, 2011 के अधिनियम संख्या 25 द्वारा संशोधित राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत स्थापित लक्ष्यों की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन के आंकलन हेतु प्रस्तुत किया गया है तथा सरकार की प्राप्तियों व संवितरणों की प्रबल प्रवृत्तियों व संरचनात्मक रूपरेखा का विश्लेषण करता है।

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के लेखापरीक्षित लेखाओं तथा राज्य सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सर्वेक्षण (राज्य सरकार द्वारा किए गए) एवं जनगणना जैसे विभिन्न स्रोतों से एकत्रित अतिरिक्त आंकड़ों पर आधारित इस प्रतिवेदन में राज्य सरकार के वार्षिक लेखाओं की विश्लेषणात्मक समीक्षा चार अध्यायों में उपलब्ध है।

अध्याय-I इस प्रतिवेदन तथा अंतर्निहित डेटा (विवरणों) के मूल आधार एवं दृष्टिकोण का वर्णन करता है, सरकारी लेखाओं की संरचना, बजटीय प्रक्रियाओं, वृहद राजकोषीय विश्लेषण एवं घाटों/अधिशेष सहित राज्य की राजकोषीय प्रास्थिति का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

अध्याय- II वित्त लेखाओं की लेखापरीक्षा पर आधारित है एवं राज्य के वित्त का व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हुए पिछले वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समुच्चय, 2015-16 से 2019-20 के दौरान समग्र प्रवृत्तियों, राज्य की ऋण रूपरेखा तथा प्रमुख लोक लेखा का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

अध्याय- III विनियोजन लेखाओं की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा विनियोजनों का अनुदान-वार विवरण प्रस्तुत करता है। इसमें वित्तीय लेखाकरण पर अभ्युक्तियां एवं बजट प्रबंधन, कोषागारों की कार्यपद्धति की कमियों एवं चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम समाविष्ट है।

अध्याय- IV विभिन्न रिपोर्टिंग आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों के साथ राज्य सरकार की अनुपालना तथा राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रदान किए गए लेखाओं की गुणवत्ता का विवरण प्रस्तुत करता है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अध्याय-I: संक्षिप्त विवरण

➤ राज्य ने राजस्व घाटा संतोषजनक स्तर तक घटाकर राजकोषीय प्रबंधन एवं राजकोषीय स्थिरता में विवेक सुनिश्चित करने हेतु राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 पारित किया। यद्यपि, 14 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन में संशोधन नहीं किया गया है।

(परिच्छेद 1.5.1)

2016-20 के दौरान राज्य ने 14 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्रीय हस्तांतरणों में वृद्धि के कारण सतत राजस्व अधिशेष दर्ज किया था। राजस्व अधिशेष में 2016-17 से 2019-20 तक (2018-19 को छोड़कर) गिरावट हुई तथा वर्ष 2019-20 के दौरान यह ₹12 करोड़ रहा।

➤ 2019-20 के दौरान 14 वें वित्त आयोग तथा राजकोषीय प्रबंधन एवं राजकोषीय अधिनियम के लक्ष्य तीन प्रतिशत या उससे कम के विरुद्ध राजकोषीय घाटा (₹ 5,597 करोड़), सकल राज्य घरेलू राज्य उत्पाद का 3.38 प्रतिशत था। 2018-19 में ₹ 510 करोड़ का प्राथमिक अधिशेष वर्ष 2019-20 में ₹ 1,363 करोड़ के प्राथमिक घाटे में बदल गया। बजट/मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में बनाए गए अनुमान 14 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप नहीं थे तथा वर्ष 2019-20 के वास्तविक आंकड़े अनुमानित लक्ष्यों से काफी भिन्न थे।

(परिच्छेद 1.5.3)

अध्याय- II राज्य के वित्त

➤ विगत वर्ष की तुलना में 2019-20 के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों में ऋणात्मक वृद्धि दर (-0.67 प्रतिशत) देखी गई जो 2015-16 (31.37 प्रतिशत) से काफी कम थी। राज्य के स्वयं के संसाधनों, जिसमें कर एवं कर-भिन्न शामिल है, से मात्र 33 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियां प्राप्तियां आई जबकि शेष 67 प्रतिशत केन्द्रीय अंतरणों द्वारा प्राप्त हुई जिसमें केन्द्रीय करों व शुल्कों का राज्यांश (15 प्रतिशत) एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान (52 प्रतिशत) शामिल थे।

(परिच्छेद 2.3.2.1)

➤ वर्ष 2018-19 की अपेक्षा 2019-20 के दौरान राज्य के कुल व्यय (₹ 36,362 करोड़) में ₹ 1,869 करोड़ (5.42 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। राजस्व व्यय 2015-20 की अवधि के दौरान कुल व्यय का औसतन 84.4 प्रतिशत (78.9 प्रतिशत से 87.0 प्रतिशत में मध्य) रहा। 2015-20 के दौरान पांच वर्ष की अवधि में राजस्व व्यय की वृद्धि-दर में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई। 2015-20 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान प्रतिबद्ध व्यय राजस्व व्यय का 68 से 71 प्रतिशत के मध्य रहा जबकि यह राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 65 से 70 प्रतिशत था।

(परिच्छेद 2.4.1, 2.4.2 एवं 2.4.2.2)

➤ पूंजीगत व्यय में विगत वर्ष 2018-19 (₹ 4,583 करोड़) से 2019-20 के दौरान (₹ 5,174 करोड़) ₹ 591 करोड़ की वृद्धि (13 प्रतिशत) हुई तथा यह कुल व्यय का 14 प्रतिशत रहा।

(परिच्छेद 2.4.3)

➤ समग्र राजकोषीय देयताएं विगत वर्ष की अपेक्षा वर्ष की समाप्ति पर 14.57 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 62,212 करोड़ थी। कुल राजकोषीय देयताएं-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात विगत वर्ष से 2.31 प्रतिशत बढ़ कर 2019-20 में 37.60 प्रतिशत पर स्थिर हुआ जो 14वें वित्त आयोग के लक्ष्यों से अधिक था। 2019-20 के दौरान सरकार का आंतरिक ऋण 2018-19 के ₹ 35,363 करोड़ से बढ़ कर ₹ 39,528 करोड़ (11.78 प्रतिशत) हो गया।

(परिच्छेद 2.6.1)

➤ 31 मार्च 2020 ₹ 62,234 करोड़ (मूलधन: ₹ 40,572 करोड़ एवं ब्याज: ₹ 21,662 करोड़) के लोक ऋण तथा ब्याज के बकाया स्टॉक की परिपक्वता रूपरेखा दर्शाती है कि अगले पांच वर्ष के दौरान 2024-25 तक लोक ऋण अदायगी एवं ब्याज के रूप में वार्षिक धन निकासी लगभग ₹ 6,207 करोड़ होगी।

(परिच्छेद 2.6.2)

अध्याय- III बजटीय प्रबंधन

➤ 2019-20 के दौरान ₹ 53,708 करोड़ के कुल अनुदानों एवं विनियोजनों के प्रति ₹ 45,528 करोड़ (84.77 प्रतिशत) का व्यय हुआ। ₹ 8,179.45 करोड़ की समग्र बचतें, विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों में बचतों (₹ 8,229.36 करोड़) एवं ₹ 49.91 करोड़ (2019-20) के व्यय आधिक्य का परिणाम थी। वर्ष 2013-14 से 2018-19 के ₹ 9,154.31 करोड़ एवं 2019-20 के ₹ 49.91 करोड़ के व्यय आधिक्य का भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के तहत राज्य विधायिका से विनियमन अपेक्षित है।

(परिच्छेद 3.1.1, 3.3.8.1 एवं 3.3.8.3)

➤ 16 अनुदानों (राजस्व/पूजीगत-दत्तमत तथा प्रभारित-दत्तमत) के तहत 18 मामलों में (प्रत्येक मामले में एक करोड़ या अधिक) ₹ 438.61 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान (तालिका 3.4) के स्तर तक भी नहीं पहुंचा। तीन अनुदानों के तहत, (चार मामलों में) चालू वर्ष के दौरान विधायिका की पूर्व स्वीकृति के बिना अनुपूरक अनुदान/प्रावधानों (₹ 9.63 करोड़) से ₹ 6.82 करोड़ (71 प्रतिशत) का पुनर्विनियोजन किया गया था।

(परिच्छेद 3.3.4 एवं 3.3.5)

➤ आठ मामलों में से सात मामलों में पुनर्विनियोजन अनावश्यक सिद्ध हुए, क्योंकि इन मामलों के अंतर्गत हुई बचतें पुनर्विनियोजन राशि से अधिक थी तथा एक मामले में पुनर्विनियोजन अपर्याप्त सिद्ध हुआ, क्योंकि व्यय, आधिक्य में परिणत हुआ। 24 मामलों में ₹ 6,706 करोड़ का अभ्यर्पण किया गया जो मूल बजट का 15 प्रतिशत था।

(परिच्छेद 3.3.6 एवं 3.3.7)

अध्याय- IV लेखा एवं वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाओं की गुणवत्ता

➤ उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करना, अनुदेयी को विभाग द्वारा जारी अनुदानों के सन्दर्भ में निगरानी के अभाव तथा विभिन्न कार्यों/योजनाओं/कार्याक्रमों हेतु जारी निधियों की अप्रयुक्ति, दुरुपयोग अथवा व्यपवर्तन का जोखिम उत्पन्न होने का परिचायक था। मार्च 2020 तक विभिन्न विभागों के ₹ 2,847.94 करोड़ राशि के कुल 2,482 उपयोगिता प्रमाणपत्र लम्बित थे। कुल 2,482 बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों में से ₹ 1,062.58 करोड़ के अनुदानों हेतु 1,083 उपयोगिता प्रमाणपत्र 2009-10 से 2017-18 की अवधि से सम्बन्धित थे। इसके अतिरिक्त कुल बकाया राशि में से 58 प्रतिशत दो विभागों (पंचायत राज विभाग: 41.15 प्रतिशत; ₹ 1,171.90 करोड़ तथा शहरी विकास विभाग का 16.72 प्रतिशत; ₹ 476.19 करोड़) से सम्बन्धित था।

(परिच्छेद 4.6)

➤ 2019-20 के दौरान ₹ 1,275 करोड़ की राशि, जो व्यय (₹ 35,904 करोड़) की 3.55 प्रतिशत थी, राजस्व एवं पूंजीगत लेखाओं में लघु शीर्ष -800 “अन्य व्यय” के अन्तर्गत वर्गीकृत की गई थी। इसी भांति, ₹ 1,637 करोड़ जो प्राप्तियों (₹ 30,744 करोड़) का 5.33 प्रतिशत था लघु शीर्ष-800 अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत बुक किया गया। बहुउद्देशीय लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय/अन्य प्राप्तियों का संचालन वित्तीय रिपोर्टिंग की पारदर्शिता को प्रभावित करता है तथा आवंटन प्राथमिकताओं एवं व्यय की गुणवत्ता के सही विश्लेषण को अस्पष्ट कर देता है।

(परिच्छेद 4.9)

➤ राज्य सरकार ने राज्य में भारत सरकार लेखांकन मानक-2 एवं 3 के नियमों को अभी तक पूर्णतः लागू नहीं किया है इसलिए राज्य सरकार ने वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता से समझौता किया है। सहायता अनुदान का संस्थान-वार विवरण उपलब्ध नहीं करवाया गया (भारत सरकार लेखांकन मानक-2)। अन्य ऋणी संस्थानों से बकाया की चुकौती एवं उन ऋणी संस्थाओं, जिनकी पूर्ववर्ती ऋणों की चुकौती बकाया है एवं वर्ष के दौरान दिए गए नए ऋणों और अग्रिमों से सम्बन्धित जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई थी।

(परिच्छेद 4.13)

अध्याय-I

संक्षिप्त विवरण

अध्याय – I

संक्षिप्त विवरण

1.1 राज्य की रूपरेखा

हिमाचल प्रदेश राज्य भारत के उत्तरी भाग के हिमालयीन क्षेत्र में स्थित है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की ऊँचाई में समुद्र तल से 350 से 6,975 मीटर तक की भिन्नता है, जिससे जलवायु आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय से शुष्क शीतोष्ण पर्वतीय में परिवर्तित हो जाती है। यह राज्य भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से 17 वां (55,673 वर्ग कि.मी.) एवं जनसंख्या की दृष्टि से 21 वां (2011 की जनगणना के अनुसार) सबसे बड़ा राज्य है।

हिमाचल प्रदेश एक विशेष श्रेणी राज्य है, तदनुसार यह भारत सरकार से वित्तीय सहायता 90 प्रतिशत अनुदान एवं 10 प्रतिशत ऋण के अनुपात में प्राप्त करने हेतु पात्र है जो विशेष श्रेणी के अंतर्गत न आने वाले राज्यों से भिन्न है जहां केन्द्रीय सहायता 30 प्रतिशत अनुदान एवं 70 प्रतिशत ऋण के अनुपात में प्राप्त होती है। सामाजिक सूचकांक जैसे साक्षरता दर एवं जन्म के समय शिशु मृत्यु दर दर्शाते हैं जो कि अखिल भारतीय औसत की तुलना में राज्य की साक्षरता दर एवं शिशु मृत्यु दर बेहतर स्थिति में है। राज्य में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल)की आबादी का प्रतिशत भी अखिल भारतीय औसत से काफी कम था (परिशिष्ट-1)।

1.1.1 हिमाचल प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद दी गई निश्चित समयावधि में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण संकेतक होती है, क्योंकि यह किसी समयावधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन को दर्शाता है, जैसा कि तालिका-1.1 में दर्शाया गया है।

तालिका-1.1: राष्ट्रीय सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्तियां (चालू मूल्य पर)

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (2011-12 क्रम)(₹ करोड़ में)	1,37,71,874	1,53,91,669	1,70,98,304	1,89,71,237	2,03,39,849
विगत वर्ष की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.46	11.76	11.09	10.95	7.21
राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2011-12 क्रम) (₹ करोड़ में)	1,14,239.41	1,25,633.65	1,38,351.06 ^क	1,53,844.80 ^ख	1,65,472.39 ^ग
विगत वर्ष की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.09	9.97	10.12	11.20	7.56

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश तथा केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय।


क- दूसरा संशोधित प्राक्कलन, ख- पहला संशोधित प्राक्कलन, ग- अग्रिम प्राक्कलन

सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2018-19 की तुलना में 2019-20 के दौरान उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में गिरावट के कारण 7.56 प्रतिशत तक आ गई। 2011-12 से 2019-20 की अवधि में चालू मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर 10.82 प्रतिशत थी, जो विशेष श्रेणी राज्यों की 11.24 प्रतिशत की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर से थोड़ी सी कम थी।

1.1.2 सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय योगदान

अर्थव्यवस्था की परिवर्तनशील संरचना को समझने के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय योगदान के परिवर्तन भी महत्वपूर्ण होते हैं। आर्थिक गतिविधियों को सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र प्राथमिक प्रकृति की अन्य आर्थिक गतिविधियों जैसे वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं खनन सहित कृषि गतिविधियों से सम्बन्धित है। द्वितीयक क्षेत्र विनिर्माण, निर्माण-कार्य एवं विद्युत, गैस आपूर्ति इत्यादि जैसी सेवाओं से सम्बन्धित है। जबकि तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्रों से सम्बन्धित है। 2015-16 से 2019-20 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय भागीदारी में परिवर्तन तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय विकास चार्ट-1.1 एवं चार्ट-1.2 में दर्शाया गया है:


चार्ट-1.1: सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन (2015-16 से 2019-20)



आंकड़ों का स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश

2019-20 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि के मुकाबले द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की वृद्धि दर में गिरावट देखी गई, जैसा कि चार्ट-1.2 से देखा जा सकता है:

चार्ट-1.2: सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय विकास



आंकड़ों का स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश

वर्ष 2016-17 की तुलना में 2017-18 में प्राथमिक क्षेत्र के प्रतिशत में गिरावट वानिकी एवं लकड़ी (लॉगिंग) के योगदान में कमी के कारण हुई। वर्ष 2016-17 में, प्राथमिक क्षेत्र में वानिकी एवं लकड़ी (लॉगिंग) का अंशदान ₹ 6,731.02 करोड़ था जबकि 2017-18 में यह ₹ 4,762.35 करोड़ रह गया जो वर्ष 2016-17 की तुलना में 29.25 प्रतिशत कम था। 2016-17 एवं 2017-18 के मध्य विभिन्न वृक्षों एवं औषधीय पौधों के परिमाण (वॉल्यूम)¹ की तुलना करने के पश्चात यह देखा गया कि वृक्षों एवं औषधीय पौधों की परिमाण की गणना में बड़ी गिरावट थी। परिमाण की इस गिरावट का कारण मौसमी परिस्थितियां अर्थात् वर्षा, बर्फबारी एवं अन्य प्राकृतिक कारक रहे, जो वर्ष 2017-18 में इतने सहायक नहीं थे।

इस प्रकार, 2017-18 के दौरान वानिकी एवं लकड़ी (लॉगिंग) के तहत वृक्षों, औषधीय पौधों इत्यादि के कम परिमाण के कारण प्राथमिक क्षेत्र में सकल राज्य घरेलू उत्पाद घट गया था। आगामी वर्ष 2018-19 में पशुधन द्वारा अपेक्षा से अधिक अंशदान, साथ ही परिस्थितियां अनुकूल होने के कारण इस अवस्था में सुधार हुआ।

1.2 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के नियमानुसार राज्य के लेखाओं से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, जो उन्हें राज्य की विधायिका के समक्ष रखता है। 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु हिमाचल प्रदेश का राज्य वित्त

¹ देवदार के पेड़ों में 2016-17 में 60,600 घनमीटर से 2017-18 में 26,009 घनमीटर तक और अन्य कायल, फर/सजावट, इत्यादि की मात्रा में भारी गिरावट देखी गई। औषधीय जड़ी-बूटियों की मात्रा में भी गिरावट आई जो 2016-17 में 4,240 टन से 2017-18 में 1,791 टन रह गई।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के तहत राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा तैयार किया गया है।

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कोषागारों, कार्यालयों एवं लेखाओं का संचालन करने वाले विभागों द्वारा प्रस्तुत वाउचरों, चालानों तथा प्रारंभिक सहायक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणियों के आधार पर राज्य के वित्त लेखे व विनियोजन लेखे वार्षिक रूप से बनाते हैं। इन लेखाओं की प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा स्वतंत्र रूप से लेखापरीक्षा की जाती है, जिसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

इस प्रतिवेदन में वर्ष 2019-20 के राज्य के वित्त लेखों एवं विनियोजन लेखों से कोर डेटा (मुख्य विवरण) तैयार किया है। सम्मिलित अन्य स्रोत निम्नवत है:

- वर्ष 2019-20 का राज्य का बजट डेटा (विवरण) का एक महत्वपूर्ण स्रोत है: राजकोषीय मापदंडों एवं आवंटन संबंधी प्राथमिकताओं की तुलना में अनुमानों का आंकलन करने, साथ ही प्रासंगिक नियमों एवं निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार इसके कार्यान्वयन के अनुपालन की दक्षता का मूल्यांकन करने हेतु;
- हिमाचल प्रदेश के प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय द्वारा किए गए लेखापरीक्षा का परिणाम;
- विभागीय प्राधिकरणों एवं कोषागारों (लेखांकन के साथ-साथ मनेजमेन्ट इन्फार्मेशन सिस्टम) से प्राप्त अन्य विवरण;
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़े तथा राज्य से सम्बन्धित अन्य सांख्यिकीय; तथा
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

यह विश्लेषण 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों, राज्य का राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, भारत सरकार की श्रेष्ठ कार्य प्रणाली एवं दिशा-निर्देशों के सन्दर्भ में भी किया जाता है। राज्य के वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का मसौदा मार्च 2021 में टिप्पणी हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया गया था; सरकार के उत्तर/दृष्टिकोण मई 2021 तक प्राप्त नहीं हुए थे तथापि अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) राज्य सरकार के साथ 28 जून 2021 को एक एग्जिट कान्फ्रेंस आयोजित की गई, उनके उत्तरों को उपयुक्त स्थानों पर शामिल किया गया है।

1.3 प्रतिवेदन की संरचना

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को निम्नलिखित चार अध्यायों में निरूपित किया गया है:

अध्याय-I	संक्षिप्त विवरण
	यह अध्याय प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण तथा अन्तर्निहित डेटा(विवरण) का वर्णन, सरकारी लेखाओं की संरचना, बजटीय-प्रक्रियाओं, प्रमुख संकेतकों का वृहद-राजकोषीय विश्लेषण एवं घाटों/अधिशेष सहित राज्य की राजकोषीय प्रास्थिति का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है।

<p>अध्याय - II</p>	<p>राज्य के वित्त यह अध्याय राज्य के वित्त लेखाओं के आधार पर राज्य वित्त का विस्तृत परिप्रेक्ष्य विगत वर्ष में सम्बन्धित प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में महत्वपूर्ण परिवर्तनों, 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान समग्र प्रवृत्तियों, राज्य की ऋण रूपरेखा तथा प्रमुख लोक लेखा लेनदेनों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।</p>
<p>अध्याय - III</p>	<p>बजट प्रबंधन यह अध्याय राज्य के विनियोजन लेखाओं पर आधारित है एवं राज्य सरकार के विनियोजन व आवंटन प्राथमिकताओं का विश्लेषण कर बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन प्रस्तुत करता है।</p>
<p>अध्याय - IV</p>	<p>लेखाओं तथा वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाओं (परंपराओं) की गुणवत्ता यह अध्याय राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रदान किए गए लेखाओं की गुणवत्ता तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों व विनियमों की अनुपालन न करने के मुद्दों की व्याख्या करता है।</p>

1.4 सरकार की लेखा संरचना एवं बजटीय प्रक्रियाओं का संक्षिप्त विवरण

राज्य सरकार के लेखाओं को तीन भागों में रखा गया है:

भाग-I राज्य की समेकित निधियां (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(1))

इस निधि में राज्य सरकार को प्राप्त समस्त राजस्व, राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त ऋण (बाजार ऋण, बांड, केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण, वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां, इत्यादि), भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विस्तारित अर्थोपाय अग्रिमों एवं ऋणों की चुकौती से राज्य सरकार को प्राप्त समस्त धनराशि सम्मिलित है। इस निधि से धनराशि भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त तरीके से एवं नियमानुसार तथा किसी उद्देश्यार्थ ही विनियोजित की जा सकती है। व्यय की कुछ श्रेणियां (अर्थात् संवैधानिक प्राधिकरणों का वेतन, ऋण चुकौती इत्यादि) राज्य के समेकित निधि पर प्रभारित है तथा उन पर विधायिका की सहमति आवश्यक नहीं होती। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) पर विधायिका की सहमति आवश्यक है।

भाग-II राज्य की आकस्मिक निधि (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267(2))

यह निधि अग्रदाय प्रकृति की है जिसे राज्य विधायिका ने कानून द्वारा स्थापित किया है तथा इसे राज्यपाल के अधीन रखा गया है ताकि वह व्यय जो विधायिका द्वारा प्राधिकृत करने हेतु लम्बित है ऐसे आकस्मिक व्यय अग्रिमों को निपटान हेतु सक्षम बनाया जा सके। इस निधि को राज्य की समेकित निधि से सम्बन्धित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष से व्यय को डेबिट करके पुनः प्राप्त किया जाता है।

भाग-III राज्य के लोक लेखे (भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266(2))

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सरकार द्वारा अथवा सरकार की ओर से प्राप्त समस्त सार्वजनिक धन लोक लेखा में जमा होता है, जहां सरकार बैंकर अथवा ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है। लोक लेखा में लघु बचतें व

भविष्य निधि, निक्षेप (सब्याज व ब्याज रहित), प्रेषण व उचंत शीर्ष (जिसमें दोनों अस्थाई शीर्ष, अंतिम बुकिंग हेतु लम्बित हैं) जैसे वापस चुकाने वाले भुगतान समाविष्ट होते हैं। सरकार के पास उपलब्ध निवल नकद शेष भी लोक लेखा के तहत सम्मिलित होता है। लोक लेखा हेतु विधायिका की सहमति आवश्यक नहीं होती।

बजट दस्तावेज

भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संदर्भ में सरकार की अनुमति प्राप्तियों व व्यय के विवरण राज्य की विधानसभा के सदन अथवा दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना संवैधानिक रूप से अपेक्षित है (अनुच्छेद 202)। “वार्षिक वित्तीय विवरण” मुख्य बजट दस्तावेज है। इसके अतिरिक्त, बजट में अन्य व्ययों को राजस्व लेखे पर व्यय से अलग से दर्शाया जाना चाहिए।

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संचयी करों/शुल्कों के अंश तथा भारत सरकार से प्राप्त अनुदान सम्मिलित हैं।

राजस्व व्यय में सरकार के वो सभी व्यय सम्मिलित हैं जो भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों के निर्माण में परिणत नहीं होते। यह उन खर्चों से सम्बन्धित है जो सरकारी विभागों के सामान्य कामकाज एवं विभिन्न सेवाओं, सरकार द्वारा लिए ऋणों पर ब्याज भुगतानों तथा विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदान (तब भी जब कुछ अनुदान परिसंपत्ति के निर्माण हेतु हो) पर किए गए हैं।

पूँजीगत प्राप्तियों में शामिल हैं:

- **ऋण प्राप्ति:** बाजार ऋण, बांड, वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण, अर्थोपाय अग्रिमों एवं ऋणों के तहत निवल लेन-देन, केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण और अग्रिम इत्यादि;
- **ऋण-भिन्न प्राप्ति:** विनिवेश से प्राप्त आय, ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियां


पूँजीगत व्यय में भू-अधिग्रहण, भवन, मशीन, उपकरण, शेयरों में निवेश तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य पक्षों को सरकार द्वारा दिए ऋण और अग्रिम पर व्यय सम्मिलित है।

वर्तमान में, हमारे पास सरकारी लेखांकन वर्गीकरण प्रणाली है जो कि कार्यात्मक एवं आर्थिक दोनों है।

	लेन देन की विशेषता	वर्गीकरण
महानियंत्रक, लेखा द्वारा मुख्य एवं लघु शीर्षों की सूची में मानकीकरण	कार्य-शिक्षा, स्वास्थ्य, इत्यादि / विभाग	अनुदान के अंतर्गत मुख्य शीर्ष (चार-अंक)
	सह-कार्य	उप-मुख्य शीर्ष (दो -अंक)
	कार्यक्रम	लघु शीर्ष (तीन -अंक)
राज्यों के लिए छोड़ गया लचीलापन	योजना	उप- शीर्ष (दो -अंक)
	उप-योजना	विस्तृत शीर्ष (दो -अंक)
	आर्थिक स्वरूप/गतिविधि	वस्तु शीर्ष-वेतन, लघु निर्माण कार्य आदि (दो -अंक)

यह कार्य-सम्बन्धी वर्गीकरण हमें विभाग, कार्य, योजना या कार्यक्रम तथा व्यय के प्रयोजन की जानकारी देता है। आर्थिक वर्गीकरण इन भुगतानों को राजस्व, पूंजीगत ऋण इत्यादि में व्यवस्थित करने में सहायता करता है। सरकारी लेखाओं का वर्गीकरण चार्ट -1.3 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.3: सरकारी लेखाओं की संरचना



स्रोत: बजट नियमावली

बजट प्रक्रियाएं

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के नियमानुसार, राज्य का राज्यपाल वर्ष 2019-20 की राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण “वार्षिक वित्तीय विवरण” के रूप में राज्य की विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करेगा। अनुच्छेद 203 की शर्तानुसार, यह विवरण अनुदान/विनियोजनों की मांग के रूप में राज्य विधायिका को प्रस्तुत किया जाता है तथा इसके अनुमोदनोपरांत विधायिका समेकित निधि में से अपेक्षित धन को विनियोजन के लिए प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 204 के अंतर्गत विनियोजन विधेयक पारित करती है। कुछ राज्य एक से अधिक समेकित बजट भी रखते हैं- ये सह बजट हो सकते हैं जैसे बाल बजट, कृषि बजट, पिछड़ा वर्ग (अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति) बजट, विकलांगता बजट इत्यादि।

राज्य बजट नियम-पुस्तिका बजट निर्माण प्रक्रिया का विवरण देती है तथा राज्य सरकार को इसकी व्यय गतिविधियों की निगरानी करने एवं बजटीय अनुमानों को बनाने में मार्गदर्शन देती है। राज्य सरकार के बजट तथा अन्य बजटीय उपक्रमों के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा संवीक्षा के परिणाम इस प्रतिवेदन के अध्याय 3 में वर्णित है।

1.4.1 वित्त का आशुचित्र (स्नैपशॉट)

तालिका 1.2, वर्ष 2018-19 के वास्तविक वित्तीय परिणामों की तुलना में 2019-20 हेतु अनुमानित बजट के सापेक्ष वास्तविक वित्तीय परिणामों का विवरण प्रदान करती है:

तालिका 1.2: अनुमानित बजट की तुलना में वास्तविक वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	संघटक	2018-19 (वास्तविक)	2019-20 (बजट अनुमान)	2019-20 (वास्तविक)	अनुमानित बजट से वास्तविक का प्रतिशत	सकल घरेलू उत्पाद से वास्तविक का प्रतिशत
1	कर राजस्व	7,573	7,921	7,624	96	5
2	कर-भिन्न राजस्व	2,830	2,443	2,501	102	2
3	संघीय करों/शुल्कों का अंश	5,430	7,398	4,678	63	3
4	अनुदान और सहायता	15,117	15,985	15,939	100	10
5	राजस्व प्राप्तियां (1+2+3+4)	30,950	33,747	30,742	91	19
6	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	22	27	21	78	0
7	अन्य प्राप्तियां	9	-	2		0
8	उधार व अन्य देयताएं (क)	3,512	1,536	5,597	364	3
9	पूंजीगत प्राप्तियां (6+7+8)	3,543	1,563	5,620	360	3
10	कुल प्राप्तियां (5+9)	34,493	35,310	36,362	103	22
11	राजस्व व्यय, जिसमें	29,442	36,089	30,730	85	19
12	ब्याज भुगतान	4,022	4,552	4,234	93	3
13	पूंजीगत व्यय	5,051	5,037	5,632	112	3
14	पूंजीगत परिव्यय	4,583	4,580	5,174	113	3
15	ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	468	457	458	100	0
16	कुल व्यय (11+13)	34,493	41,126	36,362	88	22
17	राजस्व घाटा (-) / राजस्व अधिशेष (+) (5-11)	1,508	(-) 2,342	12	(-) 1	0
18	राजकोषीय घाटा {16-(5+6+7)}	3,512	7,352	5,597	76	3
19	प्राथमिक घाटा (18-12)	-510	2,800	1,363	49	1

स्रोत: वित्त लेखे और राज्य के बजट दस्तावेज

क) उधार और अन्य देयताएं: निवल लोक ऋण (प्राप्तियां-संवितरण) + निवल आकस्मिक निधि + निवल लोक लेखा (प्राप्तियां - संवितरण) + निवल प्रारंभिक और समापन नकद शेष।

1.4.2 सरकार की परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का स्नैपशॉट

सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं एवं किए गए व्यय से निर्मित परिसंपत्तियों का ब्यौरा रखते हैं। देयताओं में मुख्य रूप से भारत सरकार से प्राप्त आंतरिक ऋण, ऋण व अग्रिम, लोक लेखों से मिली प्राप्तियां और आरक्षित निधियां आती हैं, तथा परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से राज्य सरकार द्वारा दिए गए

ऋण व अग्रिम एवं पूंजीगत परिव्यय तथा नकद शेष समाविष्ट हैं। राज्य की परिसंपत्तियों एवं देयताओं की सारांक्षित स्थिति नीचे तालिका 1.3 में दी गई है:

तालिका 1.3: परिसंपत्तियों तथा देयताओं की सारांक्षित स्थिति

(₹ करोड़ में)

देयताएं					परिसंपत्ति				
	31 मार्च 2019 से	31 मार्च 2020 से	प्रतिशत में वृद्धि		31 मार्च 2019 से	31 मार्च 2020 से	प्रतिशत में वृद्धि		
समेकित निधि									
क	आंतरिक ऋण	35,363.18	39,527.78	12	क	सकल पूंजी परिव्यय	38,946.98	44,120.89	13
ख	भारत सरकार से प्राप्त अग्रिम तथा ऋण	1,061.77	1,043.82	(-2)	ख	अग्रिम तथा ऋण	6,953.33	7,390.50	6
आकस्मिक निधि									
	आकस्मिक निधि	5.00	5.00	--		--	--	--	
लोक लेखा									
क	लघु बचत, भविष्य निधि, आदि	14,349.52	15,537.13	8	क	रोकड़ बकाया (इमकेड राशि में निवेश)	52.70	1,060.18	1912
ख	निक्षेप	3,206.58	3,380.30	5					
ग	आरक्षित निधि	317.60	2,722.31	757					
घ	प्रेषण	509.49	606.29	19					
ङ	उचंचत एवं विविध	74.49	(-) 1,330.44	(-) 1,886		प्राप्तियों पर व्यय की संचयी अधिकता	8,934.62	8,920.62	--
कुल:		54,887.63	61,492.19	12.03	कुल:		54,887.63	61,492.19	12.03

1.5 राजकोषीय संतुलन: घाटे एवं कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति

सरकार जब राजस्व के माध्यम से एकत्र पूंजी से अधिक खर्च करती है, तब घाटा उठती है। सरकारी घाटे से उबरने हेतु कई उपाय हैं।

घाटों को उधार लेकर वित्तपोषित करना चाहिए जो सरकारी ऋण को निश्चित रूप से बढ़ाता है। घाटे एवं ऋण की अवधारणा का गहन संबंध है। घाटों को एक प्रवाह के रूप में समझा जा सकता है जो ऋण का भण्डार जोड़ता जाता है। यदि सरकार वर्ष-दर-वर्ष लगातार उधार लेती रहे तो यह ऋण के संचय (संचित ऋण) में परिणत हो जाता है तथा सरकार को ब्याज के रूप में अधिकाधिक भुगतान करना पड़ता है। ये ब्याज भुगतान स्वयं भी ऋण को बढ़ाते हैं।

उधार लेकर सरकार भावी पीढ़ी पर खपत कम करने का बोझ स्थानांतरित करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह वर्तमान में रह रहे लोगों को बांड जारी करके उधार लेती है परंतु तकरीबन बीस सालों बाद करों को बढ़ाकर या खर्च घटा कर यह बांड का भुगतान करने का निर्णय ले सकती है। साथ ही सरकार

का लोगों से उधार लेना निजी क्षेत्रों हेतु उपलब्ध बचतों को भी घटाता है। यह पूंजीगत निर्माण एवं विकास को इस हद तक घटा देता है कि ऋण भावी पीढ़ी पर 'बोझ' की तरह कार्य करता है।

हालांकि, यदि सरकारी घाटे उत्पादन बढ़ाने के अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल होते हैं तो आय अधिक होगी तथा तदनुसार बचत भी अधिक होगी। इस स्थिति में सरकार एवं उद्योग दोनों अधिक उधार ले सकते हैं। साथ ही, यदि सरकार बुनियादी ढांचे में निवेश करती है, तो भावी पीढ़ी बेहतर हो सकती हैं, बशर्ते कि ऐसे निवेशों पर मिला प्रतिफल व्याज दर से अधिक हो। उत्पादन में वृद्धि द्वारा वास्तविक ऋण का भुगतान किया जा सकेगा। इस प्रकार ऋण को बोझ नहीं समझना चाहिए। ऋण में वृद्धि को सकल आर्थिक वृद्धि (राज्य के सकल घरेलू उत्पाद) से आंकना होगा।

सरकारी घाटे को करों में वृद्धि करके या व्यय में कटौती करके घटाया जा सकता है। हालांकि, सरकारी व्यय में कटौती पर अधिक जोर दिया गया है। कार्यक्रमों की बेहतर योजना व बेहतर प्रशासन तथा सरकारी गतिविधियों को और अधिक दक्ष बनाकर इसे प्राप्त किया जा सकता है।

साथ ही सरकार का लोगों से उधार लेना निजी क्षेत्रों हेतु उपलब्ध बचतों को भी घटाता है। यह पूंजीगत निर्माण एवं विकास को इस हद तक घटा देता है कि ऋण भावी पीढ़ी पर 'बोझ' की तरह कार्य करता है।

1.5.1 मुख्य राजकोषीय मापदण्डों पर राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन

राज्य सरकार ने, राजस्व घाटा खत्म करके, राजकोषीय घाटा एवं समग्र/ बकाया ऋण संतोषजनक स्तर तक घटाकर, उन्नत ऋण प्रबंधन स्थापित करके तथा मध्यावधि रूपरेखा की पारदर्शिता में सुधार सुनिश्चित करने के लक्ष्य के साथ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, अप्रैल 2005 में पारित किया। इस संदर्भ में, यह अधिनियम राज्य सरकार को घाटा पूरा करने के उपाय एवं ऋण स्तर के सम्बन्ध में पालन किए जाने वाले परिणामात्मक लक्ष्य प्रदान करता है।

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2011 के संशोधन के अनुसार, राज्य सरकार को 2011-12 तक राजस्व घाटा कम करना था एवं तत्पश्चात् राजस्व अधिशेष बनाए रखना था, राजकोषीय घाटे को अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद से तीन प्रतिशत तक घटाना था एवं उसके बाद इसे इसी स्तर पर बनाए रखना था। इसके अतिरिक्त, अधिनियम में यह परिकल्पना भी की गई थी कि राज्य सरकार 2014-15 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष बकाया कुल ऋण को 40.1 प्रतिशत तक सीमित करेगी।

14वें वित्तायोग की संस्तुति के अनुसार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में आगामी संशोधन अपेक्षित था, तथापि राज्य सरकार में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में अब तक संशोधन नहीं किया गया है।

राज्य सरकार का 14 वें वित्त आयोग के लक्ष्यों के प्रति मुख्य राजकोषीय विचलनों पर प्रदर्शन तालिका-1.4 में दिए गए हैं:

तालिका-1.4: 14 वें वित्त आयोग के प्रावधानों राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम की अनुपालना

राजकोषीय मापदंड	राजकोषीय मापदंड एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय मापदंड	14वें वित्तयोग में निर्धारित राजकोषीय मापदंड	प्राप्तियां (₹ करोड़ में)				
			2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राजस्व घाटा (-) / अधिशेष (+) (₹ करोड़ में)	राजस्व अधिशेष बनाए रखना	राजस्व अधिशेष बनाए रखना	1,137	920	314	1,508	12
			✓	✓	✓	✓	✓
राजकोषीय घाटा (-) / अधिशेष (+) (सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)	तीन या कम	तीन या कम	-1.90	-2.35	-2.80	-2.28	-3.38
			✓	✓	✓	✓	X
सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कुल बकाया ऋण का अनुपात (प्रतिशत में)	उपलब्ध नहीं	31.11*	36.06	37.60	36.88	35.29	37.60
			X	X	X	X	X

* स्रोत: लक्ष्य 14 वें वित्त आयोग की रिपोर्ट से लिए गए हैं, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम को अब तक संशोधित नहीं किया गया था।

1.5.2 मध्यावधि राजकोषीय योजना

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियमानुसार, राज्य सरकार से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी, बजट के साथ विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करना अपेक्षित है। मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में राज्य सरकार के राजकोषीय लक्ष्य, रणनीतिक प्राथमिकताएं तथा राजकोषीय प्रबंधन हेतु तीन वर्षीय आवर्ती लक्ष्यों को बताया जाता है।

तालिका-1.5, 2019-20 के राज्य विधायिका को वार्षिक बजट के साथ प्रस्तुत किए गए मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में बनाए गए अनुमानों तथा वर्ष 2019-20 के वास्तविक आंकड़ों के मध्य विचलन को दर्शाती है।

तालिका-1.5: 2019-20 के मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में दिए अनुमानों तथा वास्तविकों का तुलनात्मक अध्ययन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	राजकोषीय चर	मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी के अनुसार लक्ष्य/अनुमान	वास्तविक (2019-20)	विचलन (प्रतिशत में)
1	कर राजस्व	7,921	7,624	-3.75
2	कर-भिन्न राजस्व	2,443	2,501	2.37
3	केन्द्रीय करों का राज्यांश	7,398	4,678	-36.77
4	भारत सरकार से प्राप्त अनुदान	15,985	15,939	-0.29
5	राजस्व प्राप्तियां (1+2+3+4)	33,747	30,742	-8.90
6	राजस्व व्यय	36,089	30,730	-14.85
7	राजस्व घाटा (-) / अधिशेष (+) (5-6)	-2,342	12	100.51

क्रम सं.	राजकोषीय चर	मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी के अनुसार लक्ष्य/अनुमान	वास्तविक (2019-20)	विचलन (प्रतिशत में)
8	राजकोषीय घाटा (-)/ अधिशेष (+)	7,352	5,597	-23.87
9	ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात (प्रतिशत)	34.04	37.60	3.56
10	चालू कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	11.50	7.56	-3.94

स्त्रोत: वित्त लेखा एवं बजट दस्तावेज

राज्य द्वारा मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में राजकोषीय मानदण्डों (राजस्व घाटा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजकोषीय घाटा तथा ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात) हेतु बनाए गए अनुमान, 14वें वित्त आयोग एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुमानों के अनुक्रम एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुमानों के अनुक्रमानुसार नहीं थे। ऐसा इसलिए क्योंकि 14वें वित्त आयोग में राजस्व अधिशेष बनाए रखने के लक्ष्य के विरुद्ध मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में वर्ष 2019-20 हेतु राजस्व घाटा निर्धारित किया गया था। इसी भांति, सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के सापेक्ष राजकोषीय घाटा एवं ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के लक्ष्य क्रमशः 4.35 प्रतिशत तथा 34.04 प्रतिशत या उससे कम निर्धारित किए गए थे, जो 14वें वित्त आयोग तथा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के समरूपी लक्ष्यों² के विपरीत थे।

इसके अतिरिक्त राजस्व घाटे/ अधिशेष एवं राजकोषीय घाटे हेतु मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरण में लक्षित अनुमानों तथा वास्तविकों के मध्य उल्लेखनीय विचलन था: बजट/मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में ₹ 2,342 करोड़ के अनुमानित राजस्व घाटे के प्रति ₹ 12 करोड़ का राजस्व अधिशेष; बजट/मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरण में अनुमानित ₹ 7,352 करोड़ के राजकोषीय घाटे के प्रति ₹ 5,597 करोड़ का राजकोषीय घाटा हुआ।


राजस्व घाटे/अधिशेष के वास्तविक आंकड़ों तथा अनुमानों के मध्य बड़ा अन्तर, बजट प्राक्कलनों की तुलना में विकासात्मक राजस्व व्यय में पर्याप्त रूप से कम राशि खर्च होने के कारण आया। यह दर्शाता है कि या तो राज्य सरकार ने बजट बनाते समय अनुमानित व्यय का सही आंकलन नहीं किया था अथवा राज्य सरकार में खर्च करने की क्षमता का अभाव था।

1.5.3 घाटे/अधिशेष की प्रवृत्ति

राज्य सरकार 2019-20 के दौरान 14वें वित्त आयोग द्वारा निर्दिष्ट राजस्व अधिशेष के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहा। यद्यपि, वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य को ₹ 5,597 का राजकोषीय घाटा हुआ जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.38 प्रतिशत था। 2018-19 के दौरान हुआ ₹ 510 करोड़ का प्राथमिक

² सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत से कम; ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद 31.11 प्रतिशत

अधिशेष वर्तमान वर्ष (2019-20) के दौरान ₹ 1,363 करोड़ के घाटे में बदल गया। 2015-16 से 2019-20 की पांच वर्ष की अवधि में इन घाटों की प्रवृत्ति चार्ट-1.4 में तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद से सम्बन्धित घाटों की प्रवृत्ति चार्ट-1.5 में दर्शाई गई है राजकोषीय देयताओं के घटक एवं प्रवृत्ति तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद से इसकी प्रतिशतता चार्ट-1.6 में दी गई है।



राजस्व घाटा

राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियों के प्रति राजस्व व्यय के आधिक्य का परिचायक है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियमानुसार, राज्य को वित्तीय वर्ष 2011-12 तक राजस्व घाटे को घटाना तथा तदोपरान्त राजस्व अधिशेष को बनाए रखना था। राजस्व अधिशेष उधारों को घटाने में सहायता करता है। 2018-19 का ₹1,508 करोड़ का राजस्व अधिशेष 2019-20 में घट कर ₹12 करोड़ रह गया। प्रतिबद्धित राजस्व व्यय की उच्च प्रतिशतता राज्य द्वारा किए व्यय निर्णयों की गतिशीलता को घटाती है तथा दर्शाती है कि अपनी प्रतिबद्धित व्यय आवश्यकताओं का लेखा-जोखा करने के पश्चात् राज्य के पास सीमित राजस्व विस्तार है।

अतः राज्य सरकार को ऐसे प्रतिबद्धित व्ययों को कम करने तथा राजस्व संग्रहण के सुव्यवस्थितिकरण हेतु व्यय पक्ष में मध्यावधि सुधार करने की आवश्यकता है।


राजकोषीय घाटा

राजकोषीय घाटा सरकार की शुद्ध बढ़ी हुई देयताओं या उसके अतिरिक्त उधारों को प्रस्तुत करता है। घाटे को या तो अतिरिक्त सार्वजनिक ऋण (आन्तरिक अथवा बाह्य) द्वारा अथवा लोक लेखा से अधिशेष निधियों का प्रयोग करके पूरा किया जा सकता है। विगत वर्ष की तुलना में 2019-20 के दौरान राजकोषीय घाटे (₹ 5,597 करोड़) में ₹ 2,085 करोड़ (₹ 3,512 करोड़) की वृद्धि हुई। राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.38 प्रतिशत था, जो 14वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य से अधिक था।

प्राथमिक घाटा

जब राजकोषीय घाटा सामान्यतः अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता को प्रस्तुत करता है, ऐसे संसाधनों का कुछ भाग राजस्व लेखा पर घाटे वाले राज्यों के सन्दर्भ में, ब्याज भुगतानों के वित्त पोषण हेतु आवश्यक हो सकता है। ब्याज भुगतान, पूर्व दायित्वों के व्यय को दर्शाते हैं तथा वर्तमान व्यय से स्वतंत्र होते हैं। वर्तमान प्रकृति के असंतुलन को देखते हुए, इन भुगतानों को पृथक तथा कुल असंतुलनों से घटाया जाना चाहिए। प्राथमिक घाटा राज्य के वर्तमान वित्तीय स्थिति को प्रतिबिंबित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मापदण्ड है। प्राथमिक घाटा होने का अर्थ है ब्याज के जाल से बाहर निकलने के बावजूद राज्य घाटे में है तथा उसे अपने उधारों का ब्याज चुकाने के लिए भी उधार लेना होगा। 2018-19 में हुआ ₹ 510 करोड़ का प्राथमिक अधिशेष 2019-20 के दौरान ₹ 1,363 करोड़ के प्राथमिक घाटे में बदल गया।

चार्ट-1.6: राजकोषीय देयताओं एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति (₹ करोड़ में)



जैसा कि चार्ट 1.6 से देखा जा सकता है कि कुल बकाया देनदारियां 2015-16 में ₹ 41,197 करोड़ से बढ़कर 2019-20 के दौरान ₹ 62,212 करोड़ हो गई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए कुल बकाया देनदारियों का अनुपात भी पिछले वर्षों में बढ़ा है और 2015-20 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में निर्धारित राज्य के अपने लक्ष्य से काफी ऊपर रहा है।

1.6 लेखापरीक्षा जांच के पश्चात् कुल ऋण तथा घाटे

राज्य वित्त की बेहतर छवि प्रस्तुत करने के उद्देश्य से, राजस्व व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत करने की तथा राजकोषीय प्रचालनों को बजट से अलग संचालित करने की प्रवृत्ति है।

1.6.1 राजस्व एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

राजस्व व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकृत करने तथा राजकोषीय प्रचालनों को बजट से अलग संचालित करने से घाटे के आंकड़ें प्रभावित होते हैं। स्पष्ट देयताओं के आस्थगन के साथ-साथ समेकित निधि में उपकर/रॉयल्टी जमा न करना, नई पेंशन योजना में अल्प अंशदान, निक्षेप ऋण शोधन निधि इत्यादि भी राजस्व एवं राजकोषीय घाटे के आंकड़ों को प्रभावित करते हैं। घाटे के वास्तविक आंकड़ों तक पहुंचने के लिए ऐसी अनियमितताओं का विश्लेषण किया गया जिसे तालिका-1.6 में दर्शाया गया है:

तालिका-1.6 राजस्व तथा राजकोषीय घाटा, लेखापरीक्षा के बाद जांच

विवरण	राजस्व अधिशेष पर प्रभाव (अत्योक्ति)	राजकोषीय घाटे पर प्रभाव (न्यूनोक्ति)	पैरा संदर्भ
	(₹ करोड़ में)		
समेकित ऋण शोधन में योगदान न होना	271.50	271.50	2.5.2.1
प्रत्याभुति विमोच्य निधि में योगदान न होना	21.55	21.55	2.5.2.3
कुल	293.05	293.05	

स्रोत: वित्त लेखे और लेखापरीक्षा विश्लेषण

1.6.2 लेखापरीक्षा के बाद-कुल लोक ऋण

हाल ही में संघ सरकार ने ऋण की अपनी परिभाषा में विस्तार किया है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियम में हुए 2018 के संशोधनों के अनुसार ऋण में अब लोक ऋण (आन्तरिक व बाह्य ऋण), लोक लेखा पर बकाया देयताएं तथा केन्द्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी निगम या अन्य संस्था की वह वित्तीय देयताएं शामिल हैं, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण से उस तिथि के अंत तक नकद शेष से घटा कर सरकार को चुकानी पड़ती है या सेवा देनी पड़ती है।

बजट की व्याख्यात्मक टिप्पणी के अनुसार राज्य की ऋण देयताएं आन्तरिक ऋण, केन्द्र सरकार के ऋण, लोक लेखा पर देयताओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अन्य ऋण देयताओं से मिलकर बनती है। हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में कुल देयताओं की कोई सुस्पष्ट

परिभाषा नहीं है। यद्यपि, यह कहता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा विशेष प्रयोजन वाहन एवं अन्य समकक्ष साधनों द्वारा लिए गए वे उधार, जिन्हें चुकाने की देयता राज्य सरकार की होती है उन्हें भी राज्य सरकार के उधार के रूप में ही माना जाता है। राज्य सरकार 2019-20 को समाप्त वर्ष के बकाया लोक ऋण में समेकित निधि पर देयताएं, लोक लेखा देयताएं तथा अन्य उधार सम्मिलित हैं जिन्हें तालिका-1.7 में दर्शाया गया है।

तालिका-1.7: बकाया ऋण/देयताएं के घटक

(₹ करोड़ में)

समेकित निधि पर देयताएं (लोक ऋण)	राशि
आन्तरिक ऋण (क)	39,527.77
बाजार ऋण	28,142.16
भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	24.77
नाबार्ड से ऋण	2,755.76
राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से ऋण	125.40
मुआवजा व अन्य बन्ध पत्र	2,890.50
अन्य संस्थानों से ऋण	61.23
राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां	5,527.95
केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण और अग्रिम (ख)	1,043.81
आयोजनेत्तर ऋण	2.75
राज्य की आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	1,040.94
अन्य	0.12
लोक लेखा पर देयताएं (ग)	21,640.25
लघु बचत भविष्य निधि आदि।	15,537.13
जमा	3,380.81
आरक्षित निधि	2,722.31
कुल (क +ख+ ग)	62,211.83

इनमें, राज्य सरकार की ओर से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विशेष प्रयोजन वाहन इत्यादि द्वारा वे उधार जिसके मूलधन तथा/अथवा ब्याज को राज्य बजट से चुकाया जाना है; जिनका राज्य सरकार द्वारा उधार लेकर वित्त पोषित किया हो, राज्य सरकार के एंसे निक्षेप कार्यों के निष्पादन हेतु राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों विशेष प्रयोजन वाहन इत्यादि द्वारा स्वयं की निधियों के प्रसार; तथा राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से लिए गए के ऋण जिनके मूलधन/ब्याज घटकों की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विशेष प्रयोजन वाहनों इत्यादि को नहीं की गई है, जैसे बजट से अलग संचालित किए गए राजकोषीय प्रचालन के कोई मामले नहीं थे।

अध्याय-II

राज्य के वित्त

अध्याय- II

राज्य के वित्त

यह अध्याय राज्य के वित्त का वृहद परिदृश्य तथा विगत वर्ष से सम्बन्धित प्रमुख राजकोषीय योगों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसमें 2015-16 से 2019-20 की पांच वर्षीय अवधि के दौरान, राज्य के वित्त लेखों पर आधारित समग्र प्रवृत्तियों, राज्य की ऋण-धारणीयता तथा प्रमुख लोक लेखा लेनदेनों पर चर्चा की गई है। आवश्यकतानुसार राज्य सरकार से भी जानकारी प्राप्त की गई है।

2.1 2018-19 की तुलना में 2019-20 में प्रमुख राजकोषीय योगों में महत्वपूर्ण परिवर्तन

यह प्रभाग विगत वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य के प्रमुख राजकोषीय योगों में आए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता है। इनमें से प्रत्येक सूचकांक का अनुवर्ती परिच्छेदों में विश्लेषण किया गया है।

प्रमुख राजकोषीय योगों में 2018-19 की तुलना में 2019-20 में हुए परिवर्तन

राजस्व प्राप्तियां	<ul style="list-style-type: none"> ✓ राज्य की राजस्व प्राप्तियां 0.67 प्रतिशत घट गई ✓ राज्य की अपनी कर प्राप्तियां 0.66 प्रतिशत बढ़ गई ✓ स्वयं के गैर-कर प्राप्तियां 11.63 प्रतिशत घट गई ✓ केन्द्रीय करों और शुल्कों का राज्यांश 13.85 प्रतिशत घट गया ✓ भारत सरकार के सहायता अनुदान में 5.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई
राजस्व व्यय	<ul style="list-style-type: none"> ✓ राजस्व व्यय में 4.37 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 7.84 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 4.92 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय 2.67 प्रतिशत घट गया
पूँजीगत व्यय	<ul style="list-style-type: none"> ✓ पूँजीगत व्यय में 12.90 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत व्यय 10.13 प्रतिशत घट गया ✓ सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय 5.98 प्रतिशत बढ़ गया ✓ आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 17.13 प्रतिशत बढ़ गया
ऋण एवं अग्रिम	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण 2.14 प्रतिशत घट गया ✓ ऋण एवं अग्रिमों की वसूली 4.55 प्रतिशत घट गई
लोक ऋण	<ul style="list-style-type: none"> ✓ लोक ऋण प्राप्तियों में 68.77 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ लोक ऋण चुकौती में 43.40 प्रतिशत की वृद्धि हुई
लोक लेखा	<ul style="list-style-type: none"> ✓ लोक लेखा प्राप्तियों में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई ✓ लोक लेखा के संवितरण में 38.76 प्रतिशत की वृद्धि हुई
नकद शेष	<ul style="list-style-type: none"> ✓ विगत वर्ष की अपेक्षा 2019-20 के दौरान नकद शेष में ₹ 1,007.48 करोड़ (1,811.73 प्रतिशत) की वृद्धि हुई

2.2 निधियों के स्रोत एवं उनका अनुप्रयोग


यह प्रभाग वर्ष 2018-19 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य की निधियों के स्रोतों एवं उसके अनुप्रयोग के घटकों की तुलना प्रस्तुत करता है।

तालिका-2.1: 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2018-19	2019-20	वृद्धि/गिरावट (प्रतिशत में)
स्रोत	आरंभिक नकदी शेष	183.23	52.70	(-)130.53(71)
	राजस्व प्राप्तियां	30,950.32	30,742.41	(-)207.91(1)
	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	8.82	2.04	(-)6.78(77)
	ऋण एवं अग्रिम की वसूली	21.83	21.04	(-)0.79(4)
	लोक ऋण प्राप्तियां (निवल)	1,754.05	4,146.64	2,392.59(136)
	लोक लेखा प्राप्तियां (निवल)	1,627.95	2,457.90	829.95(51)
	योग	34,546.20	37,422.73	2,876.53(8)
अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	29,442.11	30,730.43	1,288.32(4)
	पूंजीगत व्यय	4,583.41	5,173.91	590.50(13)
	ऋण व अग्रिम का संवितरण	467.98	458.21	(-)9.77(2)
	अंत नकद शेष	52.70	1,060.18	1,007.48(1912)
	योग	34,546.20	37,422.73	2,876.53(8)

2019-20 के दौरान राज्य के समेकित निधि में निधियों के स्रोत एवं अनुप्रयोग का प्रतिशत संघटक चार्ट-2.1 और चार्ट-2.2 में दिया गया है।



स्रोत: वित्त लेखे

2.3 राज्य के संसाधन

राज्य के संसाधनों का विवरण नीचे दिया गया है:

1. **राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों के राज्यांश तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान सम्मिलित हैं।
2. **पूंजीगत प्राप्तियों** में विनिवेशों से प्राप्त आय, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से प्राप्त उधार) से ऋण प्राप्तियां तथा भारत सरकार के ऋण एवं अग्रिम जैसी विविध पूंजीगत प्राप्तियां आती हैं।

राजस्व प्राप्तियां एवं पूंजीगत प्राप्तियां दोनों राज्य की समेकित निधि का भाग होती हैं।

3. **निवल लोक लेखा प्राप्तियां:** यह कुछ लेनदेनों जैसे लघु बचतों, भविष्य निधियों, आरक्षित निधियों, निक्षेपों, उचंत प्रक्षेपों इत्यादि से सम्बन्धित ऐसी प्राप्तियां एवं संवितरण होते हैं जो समेकित निधि का भाग नहीं होते।


इन्हें संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत स्थापित लोक लेखा में रखा जाता है तथा इनके लिए राज्य विधायिका की सम्मति आवश्यक नहीं होती। यहां सरकार बैंकर के रूप में कार्य करती है। संवितरण के पश्चात् बची शेष निधि सरकार के उपयोग हेतु उपलब्ध होती है।

2.3.1 राज्य की प्राप्तियां

यह परिच्छेद समग्र राजस्व प्राप्तियों के संघटन को प्रस्तुत करता है। पूंजीगत एवं राजस्व प्राप्तियों के अतिरिक्त लोक लेखा में उपलब्ध निधियों (इससे किए गए निवल संवितरण) को भी सरकार उसके घाटे के वित्तपोषण हेतु उपयोग करती है।


2015-20 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की प्रवृत्तियां **चार्ट-2.3** में दी गई है जबकि 2019-20 के दौरान राज्य की प्राप्तियों का संघटन **चार्ट-2.4** में दिया गया है।

चार्ट-2.3: राज्य के संसाधनों की प्रवृत्तियां (₹ करोड़ में)



स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट-2.4: 2019-20 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के संघटन



स्रोत: वित्त लेखे

2.3.2 राज्य की राजस्व प्राप्तियां

यह परिच्छेद समग्र कुल राजस्व प्राप्तियों तथा इसके घटकों की प्रवृत्तियां दर्शाता है। तत्पश्चात् राज्य की स्वयं की प्राप्तियों एवं केन्द्र सरकार की प्राप्तियों में द्विभाजित प्राप्तियों की प्रवृत्तियों को दर्शाता है।

2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं विकास

तालिका 2.2, 2015-20 की पांच वर्ष की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की, साथ ही सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में राजस्व उत्प्लावकता की प्रवृत्ति एवं विकास की जानकारी प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, सकल राज्य घरेलू उत्पाद से सम्बन्धित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति तथा राजस्व प्राप्तियों का संघटन क्रमशः चार्ट 2.5 एवं चार्ट 2.5 (क) में दिया गया है। विगत पांच वर्षों में राजस्व प्राप्तियों के संघटन का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 2 में दिया गया है।

तालिका 2.2: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति तथा उत्प्लावकता अनुपात


राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राजस्व प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	23,440.48	26,264.34	27,367.06	30,950.32	30,742.41
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	31.37	12.05	4.20	13.09	-0.67
स्वयं का कर राजस्व (₹ करोड़ में)	6,695.81	7,039.05	7,107.67	7,572.81	7,623.02
कर राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	12.73	5.13	0.97	6.54	0.66
कर-भिन्न राजस्व	1,837.15	1,717.24	2,363.85	2,830.07	2,501.51
कर-भिन्न राजस्व की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-) 11.74	(-) 6.53	37.65	19.72	(-) 11.61
राज्य के स्वयं के कर राजस्व की वृद्धि दर (स्वयं का कर एवं कर-भिन्न राजस्व) (प्रतिशत)	6.37	2.62	8.17	9.82	-2.68
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2011-12 श्रृंखला) (₹ करोड़ में)	1,14,239.41	1,25,633.65	1,38,351.06 ^अ	1,53,844.80 ^अ	1,65,472.39 ^अ

राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.09	9.97	10.12	11.20	7.56
राजस्व प्राप्तियां/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	20.52	20.91	19.78	20.12	18.58
उत्प्लावकता अनुपात ¹					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	3.11	1.21	0.41	1.17	-0.09
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य का स्वयं का कर राजस्व	0.63	0.26	0.81	0.88	-0.35

अ-द्वितीय संशोधित अनुमान, ब-प्रथम संशोधित अनुमान, स-अग्रिम अनुमान


स्रोत: वित्त लेखे तथा आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग, हिमाचल प्रदेश

चार्ट-2.5: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति



चार्ट-2.5(क): 2015-20 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के घटकों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)



¹ उत्प्लावकता अनुपात मूल चरों में दिए गए परिवर्तन के सम्बन्ध में राजकोषीय चरों की प्रतिक्रिया के लचीलेपन अथवा डिग्री को दर्शाता है। उदाहरणार्थ: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सम्बन्ध में 1.85 राजस्व उत्प्लावकता का तात्पर्य है कि यदि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 1 प्रतिशत की वृद्धि होगी तो राजस्व प्राप्तियों में 1.85 प्रतिशत अंक की वृद्धि होगी।

- यह देखा जा सकता है कि 2015-20 से राजस्व प्राप्ति की वार्षिक वृद्धि दर 31.37 प्रतिशत से -0.67 प्रतिशत रह गई। 2019-20 के दौरान राजस्व प्राप्तियां विगत वर्ष से ₹ 208 करोड़ (0.67 प्रतिशत) घट गई जिसका मुख्य कारण कर-भिन्न राजस्व (₹ 329 करोड़) तथा संघीय करों एवं शुल्कों (₹ 752 करोड़) के अन्तर्गत कम प्राप्तियां होना था। यह गिरावट भारत सरकार के सहायता अनुदानों में ₹ 822 करोड़ (5.44 प्रतिशत) तथा स्वयं के कर राजस्व (बहुत अल्प) में ₹ 51 करोड़ (0.66 प्रतिशत) की वृद्धि द्वारा आंशिक रूप से संतुलित की गई।
- वर्ष 2019-20 के दौरान, करों एवं कर-भिन्न को मिलाकर राज्य के स्वयं के संसाधनों से मात्र 33 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियां हुईं, जबकि शेष 67 प्रतिशत, केंद्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश (15 प्रतिशत) तथा भारत सरकार के सहायता अनुदान (52 प्रतिशत) मिलाकर केंद्रीय अन्तरणों द्वारा प्राप्त हुई। यह इस बात का परिचायक है कि हिमाचल प्रदेश की राजकोषीय स्थिति केंद्रीय अन्तरणों पर आश्रित है अथवा केंद्रीय अन्तरणों से प्रभावित होती है।
- वर्ष 2019-20 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों में 0.67 प्रतिशत (₹ 208 करोड़) की गिरावट हुई तथा राजस्व व्यय में 4.37 प्रतिशत (₹ 1,288 करोड़) की वृद्धि हुई, जो विगत वर्ष के राजस्व अधिशेष (₹ 1,508 करोड़) की तुलना में वर्तमान वर्ष में राजस्व अधिशेष (₹ 12 करोड़) को गिरावट की ओर ले गया।
- राज्य की राजस्व उत्प्लावकता में भारी अस्थिरता देखी गई क्योंकि वित्त आयोग अनुदान (2016-17 में 14 वां वित्त आयोग प्रभाव) तथा वस्तु एवं सेवा कर (2017-18 में) लागू होने जैसे बाह्य कारकों ने राजस्व के विभिन्न घटकों में वास्तविक प्राप्तियों को प्रभावित किया था। 2019-20 के दौरान, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में राजस्व उत्प्लावकता के ऋणात्मक होने का बड़ा कारण सहायता अनुदान में वृद्धि (₹ 822 करोड़) के बावजूद कर-भिन्न राजस्व में कमी (₹ 329 करोड़) तथा संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश (₹ 752 करोड़) में गिरावट थी।


2.3.2.2 राज्य के स्वयं के संसाधन

केंद्रीय करों में राज्यांश, वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। केन्द्र सरकार के सहायता अनुदान, केंद्रीय कर प्राप्तियों के संग्रहण की प्रमात्रा तथा योजनाओं हेतु प्रत्याशित केंद्रीय सहायता द्वारा निर्धारित किया जाता है। अतिरिक्त संसाधन जुटाने में राज्य के प्रदर्शन के आंकलन को इसके स्वयं के कर एवं कर-भिन्न स्रोतों से प्राप्त राजस्व सहित इसके स्वयं के संसाधनों के आधार पर किया जाना चाहिए।

(i) स्वयं के कर राजस्व

राज्य के स्वयं के कर-राजस्व में राज्य वस्तु व सेवाकर, राज्य आबकारी, वाहन कर, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस, भू-राजस्व, माल एवं यात्री कर इत्यादि समाविष्ट है। 2015-20 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व के विवरण नीचे चार्ट-2.6 में दिए गए हैं:

चार्ट 2.6: 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान स्वयं के कर राजस्व में वृद्धि



राज्य के सकल घरेलू उत्पाद से सम्बन्धित स्वयं का कर राजस्व पंजाब (5.22 प्रतिशत) तथा उत्तराखण्ड (4.54 प्रतिशत) की तुलना में 4.61 प्रतिशत रहा।

वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान संग्रहित स्वयं के कर राजस्व के घटक-वार विवरण नीचे तालिका 2.3 में दिए गए हैं:

तालिका 2.3: राज्य के स्वयं के कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	स्पार्कलाईन
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	-	-	1833.16	3342.68	3550.34	
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3992.99	4381.91	2525.87	1185.43	1169.53	
राज्य उत्पाद शुल्क	1131.22	1307.87	1311.25	1481.63	1660.02	
वाहन कर	317.05	279.58	367.16	408.01	465.52	
स्टाम्प शुल्क व पंजीकरण शुल्क	205.52	209.16	229.18	250.55	259.58	
विद्युत पर कर व शुल्क	551.06	371.67	360.79	487.08	100.86	
भू-राजस्व	7.43	7.64	16.96	8.39	4.79	
माल एवं यात्री कर	115.28	121.37	111.69	104.38	104.03	
अन्य कर	375.26	359.85	351.61	304.66	309.15	
कुल कर राजस्व	6695.81	7039.05	7107.67	7572.81	7623.82	

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2015-20 के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व में ₹ 928.01 करोड़ (13.86 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2019-20 के दौरान, कर राजस्व में वस्तु एवं सेवाकर (46.56 प्रतिशत), राज्य आबकारी (21.77 प्रतिशत), बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर (15.35 प्रतिशत) तथा वाहन कर (6.11 प्रतिशत) की प्रमुख भागीदारी रही। विगत वर्ष से 2019-20 के दौरान कर राजस्व में, राज्य वस्तु एवं सेवाकर के अन्तर्गत ₹ 207.66 करोड़, राज्य आबकारी में ₹ 178.39 करोड़, वाहन कर में ₹ 57.51 करोड़ की मामूली वृद्धि हुई। यद्यपि, यह वृद्धि विद्युत पर कर एवं शुल्क के अन्तर्गत ₹ 386.22 करोड़ की गिरावट द्वारा समायोजित हो गई। इस गिरावट का विभाग ने यह कारण बताया कि विभाग ने संग्रहित करों एवं शुल्कों का उपयोग बोर्ड के खर्चों हेतु किया था तथा सरकारी खाते में धनराशि जमा नहीं की थी, जो कि हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली 2009 का उल्लंघन था। विभाग ने यह भी बताया कि राशि का आगामी वित्तीय वर्ष में समायोजन किया जाएगा। कुल राजस्व प्राप्तियों में स्वयं के कर राजस्व के प्रतिशत में 2015-16 के दौरान 28.57 प्रतिशत से 2019-20 के दौरान 24.80 प्रतिशत की लगातार गिरावट देखी गई।

(ii) राज्य वस्तु एवं सेवा कर

वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम 2017 के अनुसार, वस्तु एवं सेवाकर लागू होने से उत्पन्न राजस्व की गिरावट हेतु आधार वर्ष से 5 वर्ष की अवधि तक 14 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि पर विचार करते हुए राज्यों को क्षतिपूर्ति दी जाएगी। केन्द्र वस्तु एवं सेवाओं की अन्तर्राज्यीय आपूर्ति पर एकीकृत वस्तु एवं सेवाकर लगाता है तथा राज्य को वस्तु अथवा सेवाओं का उपभोग होने पर कर राज्यांश आवंटित करता है।

हिमाचल प्रदेश के मामले में, आधार वर्ष (2015-16) में संशोधन किया गया जिसके कारण अंतिमकृत राजस्व आंकड़ा सितम्बर 2020 में ₹ 3,634 करोड़ से ₹ 3,678 करोड़ हो गया। 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान आधार वर्ष के आंकड़ों के अनुसार प्राक्कलित राजस्व, संग्रहित वास्तविक राजस्व तथा बकाया एवं प्राप्त हुई भारत सरकार की क्षतिपूर्ति तालिका 2.3 (क) में दी गई है:

तालिका 2.3(क): वस्तु एवं सेवाकर के संग्रहण तथा भारत सरकार से प्राप्त क्षतिपूर्ति का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुमानित राजस्व राशि *	एकत्रित राजस्व राशि **	बकाया क्षतिपूर्ति राशि	प्राप्त क्षतिपूर्ति राशि	गिरावट
	1	2	3 = 1-2	4	5 = 3-4
2017-18	3,585	2,497	1,088	539	549
2018-19	5,450	3,367	2,083	2,037	46
2019-20	6,213	3,594	2,619	1,877	742
कुल	15,248	9,458	5,790	4,453	1,337

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे तथा प्रधान महालेखाकर (लेखा व हकदारी) से प्राप्त जानकारी

* प्राक्कलित राजस्व की गणना 2015-16 के राजस्व आंकड़े को आधार वर्ष मानते हुए 14 प्रतिशत प्रति वर्ष जोड़ते हुए की जाती है।

** पेट्रोलियम उत्पादों एवं शराब पर मूल्य वर्धित कर व केन्द्रीय बिक्री कर को छोड़ते हुए मूल्य वर्धित कर एवं केन्द्रीय बिक्री कर (निवल प्रतिदाय) तथा वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत सम्मिलित सभी करों से प्राप्त राजस्व समाविष्ट हैं।

राज्य में वस्तु एवं सेवा कर के संग्रहण की अनुमानित वृद्धि से कम थी तथा ₹15,248 करोड़ की प्राक्कलित वस्तु एवं सेवाकर प्राप्ति के प्रति 2017-20 की अवधि के दौरान ₹ 5,790 करोड़ की कुल गिरावट पाई गई। राज्यों को क्षतिपूर्ति अधिनियम के अनुसार भारत सरकार को राजस्व हानि हेतु क्षतिपूर्ति प्रदान करनी थी। यद्यपि उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि भारत सरकार ने मार्च 2020 तक केवल ₹4,453 करोड़ जारी किए जिसके परिणामस्वरूप ₹1,337 करोड़ की गिरावट हुई। राज्य ने इस वर्ष के दौरान एकीकृत वस्तु एवं सेवाकर के अन्तर्गत हुई शुद्ध आय का उसका अंश प्राप्त नहीं किया।

यद्यपि, आबकारी एवं कराधान विभाग के अभिलेखों की समीक्षा के पश्चात् यह पाया गया कि ₹1,337 करोड़ (वित्त लेखाओं के अनुसार) के घाटे के प्रति वास्तविक घाटा मात्र ₹ 319 करोड़ (विभाग के अनुसार आंकड़े) था। इस प्रकार, वित्त लेखाओं में बुक किए गए आंकड़ों (₹ 4,453 करोड़) तथा विभाग (आबकारी एवं कराधान विभाग) के पास उपलब्ध आंकड़ों (₹ 5,471 करोड़) के मध्य ₹1,018 करोड़ (2017-20) का अंतर था। यह इस कारण हुआ कि वित्त लेखाओं में राशि जिस माह(माहों)/वर्ष(वर्षों) से वास्तव में सम्बन्धित थी, उसमें बुक न करके उस माह(माहों)/वर्ष(वर्षों) में बुक की गई जिसमें असल में वे प्राप्त की गई थी हालांकि विभाग ने प्राप्ति की तिथि में बुक न करके राशि उस माह(माहों)/वर्ष(वर्षों) में बुक की थी जिससे वे वास्तव में सम्बन्धित थी, जैसा कि तालिका 2.3 (ख) में दिखाया गया है।

तालिका -2.3 (ख): विभागीय (आबकारी एवं कराधान) आंकड़ों एवं वित्त लेखे के मध्य अंतर

वह अवधि, जिसकी प्राप्ति से संबंधित है।	वस्तु एवं सेवा कर मुआवजा आंकड़े (₹ करोड़ में)				वित्त खातों के आंकड़े 2019-20 (₹ करोड़ में)		
	2017-18	2018-19	2019-20		2017-18	2018-19	2019-20
नवम्बर-दिसम्बर	539			जनवरी	539		
जनवरी-फरवरी	336			मई		336	418
मार्च	184			जून		184	
अप्रैल - मई		225	359	जुलाई		225	359
जून - जुलाई		354	419	अगस्त		354	419
अगस्त - सितम्बर		315	463	नवम्बर		315	
				दिसम्बर			463
अक्तूबर - नवम्बर		330	385	जनवरी		330	
							218.33
दिसम्बर- फरवरी		293	612.47	फरवरी		293	0
मार्च		418	238.51	मार्च			
कुल	1,059	1,935	2,476.98		539	2,037	1,877.33
कुल योग	5,471				4,453		
अंतर					1,018		

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) तथा आबकारी एवं कराधान विभाग से ली गई जानकारी

(iii) वस्तु एवं सेवाकर प्राप्तियों की लेखापरीक्षा

20 जून 2020 को राज्य के पैन के बैंक ऐन्ड डेटा तथा सिस्टस लेखापरीक्षा तक एक्सेस (पहुंच) प्रदान करने के भारत सरकार के निर्णय की सूचना लेखापरीक्षा को दी गई। डेटा हेतु आवश्यक पूर्ण एक्सेस अभी प्रदान करना शेष है। वस्तु एवं सेवा कर के सभी लेनदेनों से सम्बन्धित पूर्ण एक्सेस का न होना वृहद लेखापरीक्षा के मार्ग को बाधित कर रहा है। इसलिए वर्ष 2019-20 के लेखाओं को नमूना-जांच के आधार पर प्रमाणित किया गया है, जैसा कि तब किया जाता जब अभिलेख हस्तलिखित (मेन्यूअली) रूप से अनुरक्षित किए गए थे।

(iv) राजस्व के बकाया तथा मूल्यांकन के बकाया का विश्लेषण

राजस्व बकाया सरकार द्वारा राजस्व की विलम्बित वसूली को दर्शाता है। इसी भांति, आंकलन में बकाया विलम्बित आंकलन के कारण अवरूद्ध संभावित राजस्व को दर्शाता है। दोनों ही राज्य को संभावित राजस्व प्राप्तियों से वंचित करते हैं तथा अंततः राजस्व घाटे को प्रभावित करते हैं।

(क) राजस्व बकाया

31 मार्च 2020 तक राजस्व के कुछ प्रधान शीर्षों में ₹ 4,149.63 करोड़ का राजस्व बकाया था जिसमें ₹ 2,444.70 करोड़ (58.91 प्रतिशत) पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे, जैसा कि नीचे तालिका-2.4 में वर्णित है:

तालिका 2.4: राजस्व बकाया

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2020 तक कुल बकाया राशि	31 मार्च 2020 तक पांच साल से अधिक समय से बकाया राशि
0039-राज्य आबकारी	268.03	39.76
0040-मूल्य वर्धित कर	3,790.19	2,351.48
0042-यात्री एवं माल कर	7.51	6.45
0045- अन्य कर एवं शुल्क	83.90	47.01
योग	4,149.63	2,444.70

स्त्रोत: राज्य के विभाग

(ख) आंकलन हेतु बकाया

राज्य कर विभाग द्वारा बिक्री/मूल्य वर्धित कर/ वस्तु एवं सेवा कर के सम्बन्ध में प्रस्तुत किए गए, वर्ष के प्रारंभ में विलम्बित मामले, वे मामले जो आंकलन हेतु बकाया थे, वर्ष के दौरान निपटान न किए गए मामले तथा वर्ष के अंत में अंतिम रूप दिए जाने हेतु लम्बित मामलों की संख्या के विवरण नीचे तालिका:2.5 में दिए गए हैं:

तालिका 2.5: आंकलन हेतु बकाया

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष		आरम्भिक शेष	2019-20 के दौरान आंकलन हेतु बकाया	कुल आंकलन बकाया	2019-20 के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष के अंत में शेष राशि	निपटान का प्रतिशत
बिक्री, व्यापार आदि पर कर/ विकास दर	केन्द्रीय बिक्री कर	1,52,169	6,147	1,58,316	36,856	1,21,460	23
	मूल्य वर्धित कर	1,71,389	12,902	1,84,291	35,829	1,48,462	19
विलासिता कर		3,812	553	4,365	1,419	2946	33
कार्य अनुबंधों पर कर		1,135	0	1,135	163	972	14
योग		3,28,505	19,602	3,48,107	74,267	2,73,840	21

स्त्रोत: राज्य के विभाग

(v) विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन, प्रतिदाय मामलों इत्यादि का विवरण

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा पता लगाए गए कर अपवंचन के मामले, अतिमिश्रित मामले तथा उत्पन्न अतिरिक्त कर की मांग, राज्य सरकार के राजस्व संग्रहण प्रयासों के महत्वपूर्ण सूचकांक है। प्रतिदाय मामलों के निपटान में तत्परता विभाग के प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण सूचकांक है। अत्यधिक विलम्बित प्रतिदाय के मामले लाल-फीताशाही, निजी स्वार्थ, रिश्वत के प्रसार इत्यादि को इंगित कर सकते हैं। राज्य कर विभाग द्वारा पता लगाए गए कर के अपवंचन के विवरण तथा प्रतिदाय मामलों के विवरण नीचे तालिका 2.6 (क) तथा तालिका 2.6(ख) में दिए गए हैं:

तालिका 2.6(क): पता लगाए गए कर अपवचन

क्रम सं०.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2019 तक लंबित मामले	2019-20 के दौरान पता लगाए गए मामले	कुल	उन मामलों की संख्या जिनमें आंकलन /जांच पूरी हुई और शास्ति आदि के साथ अतिरिक्त मांग उठाई गई		31 मार्च 2020 तक अंतिम रूप देने के लिए लंबित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
1.	राज्य उत्पाद शुल्क	72	838	910	848	2.46	62
2.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	65	731	796	731	3.25	65
3.	यात्री व माल पर कर	36	16,571	16,607	16,586	7.23	21
4.	माल एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	7	1,268	1,275	1,239	5.57	36
	कुल:	180	19,408	19,588	19,404	18.51	184

तालिका 2.6(ख): प्रतिदाय मामलों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	विवरण	बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर		राज्य उत्पाद शुल्क	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1.	वर्ष की शुरुआत में बकाया दावे	48	11.51	23	1.09
2.	वर्ष के दौरान वसूली किए गए दावे	197	59.69	54	3.42
3.	वर्ष के दौरान किए गए प्रतिदाय	195	48.27	71	4.31
4.	वर्ष के दौरान अस्वीकृत प्रतिदाय	--	--	--	--
5.	वर्ष के अंत में बकाया शेष	50	22.93	6	0.20

(vi) कर-भिन्न राजस्व

कर-भिन्न राजस्व में ब्याज प्राप्तियां, लाभांश एवं लाभ, खनन प्राप्तियां, विभागीय प्राप्तियां इत्यादि सम्मिलित होते हैं।

तालिका 2.7: राज्य के कर-भिन्न राजस्व के घटक

राजस्व शीर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	स्पार्कलाइन
ब्याज प्राप्तियां	93.84	145.56	340.54	385.88	245.36	
लाभांश व लाभ	111.94	289.63	255.58	181.92	248.44	
अन्य कर-भिन्न प्राप्तियां	1631.36	1282.04	1767	2262.27	2007.72	
विविध सामान्य सेवाएं	19.37	2.35	5.46	20.76	5.17	
शिक्षा, खेल एवं संस्कृति	206.37	112.22	180.76	214.59	238.59	
वानिकी एवं वन्य जीव	34.47	18.5	46.87	76.32	83.61	
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	32.81	42.63	40.45	51.34	49.65	
अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	155.08	176.22	441.46	221.05	246.30	
विद्युत	923.68	650.93	687.61	1134.34	1021.68	
अन्य	259.58	279.19	364.39	543.87	362.72	
योग	1837.15	1717.24	2363.85	2830.07	2501.51	


स्त्रोत: वित्त लेखे

2015-16 से 2019-20 तक की पांच वर्ष की अवधि के दौरान कर-भिन्न राजस्व राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का छः से नौ प्रतिशत था। 2019-20 के दौरान, कर-भिन्न राजस्व, राजस्व प्राप्तियों का 8.14 प्रतिशत था जो विगत वर्ष की तुलना से एक प्रतिशत कम था। गत पांच वर्षों में, मुख्य भागीदारी विद्युत क्षेत्र की रही जिसने कर भिन्न राजस्व में 29 से 50 प्रतिशत तक की भागीदारी की। 2019-20 के दौरान कर-भिन्न राजस्व, विगत वर्ष से ₹ 328.56 करोड़ (11.61 प्रतिशत) घट गया। यह गिरावट मुख्य रूप से ब्याज प्राप्तियों (₹140.52 करोड़) तथा विद्युत (₹112.66 करोड़) में प्राप्तियों के घटने के कारण हुई।

2.3.2.3 केन्द्र से अन्तरण

केन्द्रीय अन्तरण वित्त आयोग की अनुशंसा पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं। विगत 10 वर्षों के दौरान केन्द्रीय अन्तरणों की प्रवृत्ति चार्ट 2.7 में दिखाई गई है।

चार्ट 2.7: केन्द्रीय अन्तरणों की प्रवृत्ति



(i) केन्द्रीय कर अन्तरण

14 वें वित्त आयोग ने 2015-16 के बाद से केन्द्रीय करों के राज्यांश में 42 प्रतिशत की हिस्सेदारी भी अनुशंसा के परिणामस्वरूप 2015-16 से 2019-20 की अवधि के लिए केन्द्रीय करों की शुद्ध आय (सेवा कर सहित) में राज्यांश को 0.713 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। 2010-11 से 2019-20 की अवधि के दौरान वित्त आयोग के प्राक्कलनों की तुलना में वास्तविक हस्तांतरण नीचे तालिका 2.8 में दिए गए हैं:

तालिका 2.8: संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश: वित्त आयोग के प्राक्कलनों की तुलना में वास्तविक हस्तांतरण
(₹ करोड़ में)

वर्ष	वित्त आयोग के प्राक्कलन	वित्त आयोग की अनुशंसाओं में प्राक्कलन	वास्तविक कर हस्तांतरण	अन्तर
1.	2.	3.	4.	5. (4-3)
2010-11	सेवा कर को छोड़कर सभी बांटने योग्य करों की शुद्ध आय का 0.781 प्रतिशत तथा बांटने योग्य सेवा कर के शुद्ध आय का 0.793 प्रतिशत (13 वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार)	1,634.82	1,715.35	80.53
2011-12		2,060.67	1,998.37	(-) 62.30
2012-13		2,362.61	2,282.02	(-) 80.59
2013-14		2,716.72	2,491.53	(-) 225.19
2014-15		2,993.17	2,644.17	(-) 349.00
2015-16	सेवा कर को छोड़कर सभी बांटने योग्य करों की शुद्ध आय का 0.713 प्रतिशत तथा बांटने योग्य सेवा कर की शुद्ध आय का 0.722 प्रतिशत (14 वें वित्त आयोग की अनुशंसानुसार)	3,743.71	3,611.17	(-) 132.54
2016-17		4,074.67	4,343.70	269.03
2017-18		4,819.21	4,801.31	(-) 17.90
2018-19		5,619.31	5,429.77	(-) 189.54
2019-20		5,769.12	4,677.56	(-) 1,091.56

स्रोत: 13 वें वित्त आयोग एवं 14 वें वित्त आयोग की रिपोर्ट, वित्त लेखे तथा वार्षिक वित्तीय विवरण ।

2015-20 के दौरान राज्य को प्राप्त केन्द्रीय कर अन्तरणों के विवरण तालिका 2.9 में दिए गए हैं:

तालिका 2.9: केन्द्रीय कर अन्तरण के संघटक

(₹ करोड़ में)

केन्द्रीय कर अन्तरण के घटक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	पिछले वर्ष की तुलना में अंतर
केन्द्रीय माल एवं सेवा कर	--	--	68.36	1,340.15	1,327.34	-12.81
एकीकृत माल एवं सेवा कर	--	--	484.84	107.00	--	-107.00
निगम कर	1,135.61	1,393.48	1,470.67	1,888.31	1,594.86	-293.45
निगम कर के अलावा अन्य आय कर	786.68	968.47	1,241.88	1,390.66	1,249.68	-140.98
सीमा शुल्क	579.13	599.42	484.70	384.89	296.49	-88.40
संघ उत्पाद शुल्क	484.57	684.49	506.50	255.78	206.16	-49.62
सेवा कर	621.90	694.64	544.40	49.66	--	-49.66
अन्य कर ²	3.28	3.20	(-) 0.04	13.32	3.03	-10.29
केन्द्रीय कर अन्तरण	3,611.17	4,343.70	4,801.31	5,429.77	4,677.56	-752.21
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत	36.57	20.29	10.54	13.09	(-) 13.85	
राजस्व प्राप्तियों में कर अन्तरण का प्रतिशत	15.41	16.54	17.54	17.54	15.22	

स्रोत: वित्त लेखे

² सम्पत्ति कर, आय एवं व्यय पर अन्य कर, वस्तु एवं सेवा पर अन्य कर व शुल्क सम्मिलित है ।

2015-20 की पांच साल की अवधि में केन्द्रीय कर अन्तरण में 29.53 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्तमान वर्ष के दौरान इसमें विगत वर्ष से ₹ 752.21 करोड़ (13.85 प्रतिशत) की गिरावट हुई। वर्ष 2019-20 में केन्द्रीय कर अन्तरण, राजस्व प्राप्तियों का 15.22 प्रतिशत रहे जो विगत वर्ष से 2.32 प्रतिशत कम था। इसके अतिरिक्त, जैसा कि ऊपर तालिका में दर्शाया गया है, राज्य ने वित्त आयोग की अनुशंसाओं (13 वें वित्त आयोग एवं 14 वें वित्त आयोग) के अनुसार संधीय करों एवं शुल्कों का इसका अंश 2011-12 से 2019-20 (2016-17 को छोड़कर) की अवधि में प्राप्त नहीं किया था। वर्तमान वर्ष के दौरान, यह अंश ₹ 1,091.56 करोड़ कम रहा।

ii) भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

भारत सरकार ने 2017-18 से आयोजना तथा आयोजनेत्तर वर्गीकरण बंद करके राज्यों को सहायता अनुदान उपलब्ध करवाने के लिए मुख्य शीर्ष -1601-सहायता-अनुदान (जीआईए) के तहत नए उप-मुख्य शीर्ष का संचालन किया। 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान की स्थिति तालिका 2.10 में दी गई है।

तालिका 2.10: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
आयोजनेत्तर अनुदान#	8,524.32	8,877.19	--	--	--
राज्य आयोजना अनुदान#	755.52	1,187.49	--	--	--
केन्द्रीय स्कीमों हेतु अनुदान #	37.96	44.45	--	--	--
केन्द्र प्रायोजित स्कीमों हेतु अनुदान #	1,978.55	3,055.23	--	--	--
केन्द्र प्रायोजित स्कीम	--	--	3,590.26	4,010.49	4,915.06
वित्त आयोग अनुदान	--	--	8,889.00	8,831.25	8,617.82*
अन्य अन्तरण/राज्य/विधानसभा सहित / केन्द्र शासित प्रदेश को अनुदान	--	--	615.39	2,275.93	2,406.64@
योग	11,296.35	13,164.35	13,094.23	15,117.66	15,939.52
विगत वर्ष से प्रतिशत में वृद्धि	57.38	16.54	(-)0.53	15.45	5.44
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता	48.19	50.12	47.85	48.84	51.85

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

* वित्त आयोग अनुदान में हस्तांतरण पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान (₹7,866 करोड़), स्थानीय निकायों हेतु अनुदान (₹555 करोड़) तथा राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (197 करोड़) जो पहले राज्य लेखाओं में आयोजनेत्तर अनुदान के रूप में जाता था, सम्मिलित होता है।

@ इसमें वस्तु एवं सेवा कर लागू होने से उत्पन्न हुई राजस्व हानि के लिए क्षतिपूर्ति के ₹1,877.33 करोड़ सम्मिलित हैं।

इसमें कोई आंकड़े नहीं हैं क्योंकि आयोजन एवं आयोजनेत्तर अनुदानों के नाम 2017-18 से हटा दिए गए थे तथा उनके स्थान पर केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान, वित्तियोग अनुदान तथा राज्यों को अन्य अनुदान दिए गए हैं।

विगत वर्ष की अपेक्षा 2019-20 में भारत सरकार के सहायता अनुदानों में ₹ 821.86 करोड़ की वृद्धि हुई। सहायता अनुदान का 49 प्रतिशत हस्तांतरण राजस्व घाटा अनुदान के तौर पर था। 2015-20 के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्तियों में सहायता अनुदान का अंश 48 से 52 प्रतिशत के मध्य रहा।

iii) 14 वें वित्त आयोग के अनुदान

जैसा कि पिछले परिच्छेद में उल्लिखित है, 14 वें वित्त आयोग के अनुदान राज्य के स्थानीय निकायों तथा राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि हेतु दिए गए थे। वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान राज्य को भारत सरकार द्वारा दिए गए अनुदानों का विवरण तालिका 2.11 में दिया गया है।

तालिका 2.11: अनुशंसित राशि, वास्तविक रूप से जारी तथा अन्तरित किए गए सहायता-अनुदान

(₹ करोड़ में)

अन्तरण	14 वें वित्त आयोग की अनुशंसा			भारत सरकार द्वारा वास्तविक जारी			राज्य सरकार द्वारा जारी		
	2015-16 से 2018-19	2019-20	कुल (2015- 20)	2015-16 से 2018-19	2019-20	कुल	2015-16 से 2018-19	2019-20	कुल
1. स्थानीय निकाय	1,401.47	610.10	2,011.57	1,283.99	530.77	1,814.76	1,283.99	530.77	1,814.76
(i) पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान	1,261.44	548.36	1,809.80	1,175.67	488.64	1,664.31	1,175.67	488.64	1,664.31
(क) सामान्य बुनियादी अनुदान	1,140.18	488.64	1,628.82	1,140.18	488.64	1,628.82	1,140.18	488.64	1,628.82
(ख) सामान्य निष्पादन अनुदान	121.26	59.72	180.98	35.49	0	35.49	35.49	0	35.49
(ii) शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान	140.03	61.74	201.77	108.32	42.13	150.45	108.32	42.13	150.45
(क) सामान्य बुनियादी अनुदान	113.00	48.42	161.42	100.41	42.13	142.54	100.41	42.13	142.54
(ख) सामान्य निष्पादन अनुदान	27.03	13.32	40.35	7.91	0	7.91	7.91	0	7.91
2. राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि *	1,017.00	287.00	1,304.00	915.62	197.23	1,112.85	1,024.98	28.70	1,053.68
कुल योग (1+2)	2,418.47	897.10	3,315.57	2,199.61	728.00	2,927.61	2,308.97	559.47	2,868.44

स्रोत: 14 वें वित्त आयोग की रिपोर्ट तथा राज्य विभागों द्वारा प्रदान की गई जानकारी

* कुल अनुदान के 25 प्रतिशत राज्यांश सहित

राज्य 14वें वित्त आयोग के अनुदान का उसका सम्पूर्ण अंश, मूल रूप से पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों दोनों में, निष्पादन अनुदान प्राप्त करने के मानदंडों प्राप्त न कर पाने के कारण नहीं ले सके। इसके अतिरिक्त, वित्त लेखाओं में राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से संवितरण करने का पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि राज्य सरकार द्वारा मिलने से का पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि राज्य सरकार ने वर्ष 2019-20 के दौरान किए गए वास्तविक व्यय के साक्ष्य/सह-वाउचर प्रस्तुत नहीं किए।

2.3.3 पूंजीगत प्राप्तियां

पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे विनिवेशों से आय, ऋण एवं अग्रिम की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से प्राप्त उधार) तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम आते हैं। पिछले पांच वर्षों (2015-20) के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि तथा संघटक की प्रवृत्ति तालिका 2.12 में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 2.12: पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि तथा संघटक की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
पूंजीगत प्राप्तियां	2,207.37	4,689.97	2,174.87	1,784.70	4,169.72
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	शून्य	शून्य	34.82	8.82	2.04
ऋण एवं अग्रिम की वसूलियां	25.90	29.50	39.61	21.83	21.04
निवल लोक ऋण प्राप्तियां	2,181.47	4,660.47	2,100.44	1,754.05	4,146.64
आंतरिक ऋण	2,203.29	4,633.10	2,097.45	1,771.71	4,164.59
वृद्धि दर	13.88	110.28	-54.73	-15.53	135.06
भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम	-21.82	27.37	2.99	-17.66	-17.95
वृद्धि दर	-137.13	225.44	-89.08	-690.64	-1.64
ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	-16.64	113.64	-54.93	-16.49	136.40
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	-96.25	13.90	152.31	-58.82	-24.70
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	10.09	9.97	10.12	11.20	7.56
पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर(प्रतिशत)	-33.26	112.47	-53.63	-17.94	133.64

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे।

पूंजीगत प्राप्तियां 2015-16 के ₹ 2,207.37 करोड़ से घटकर 2018-19 में ₹ 1,784.70 करोड़ हो गई (उदय योजना हेतु डिस्कॉम को दिए ₹ 2,890.50 करोड़ के ऋण के समावेश के कारण 2016-17 छोड़ कर)। गत वर्ष से 2019-20 में पूंजीगत प्राप्तियां (₹ 4,169.72 करोड़) बाजार ऋणों (₹ 2,370 करोड़) में वृद्धि के कारण ₹ 2,385.02 करोड़ बढ़ गई।

लोक ऋण प्राप्तियां भविष्यगामी चुकौती देयताएं बनती हैं तथा इन्हें बाजार, वित्तीय संस्थानों तथा केंद्र सरकार से लिया जाता है। 2015-16 से 2019-20 की पांच वर्ष की अवधि में लोक ऋण प्राप्तियों का 60.54 प्रतिशत अवधि के दौरान लिए गए लोक ऋण को चुकाने में प्रयुक्त किया गया, शेष बचा मात्र 39.46 प्रतिशत ही अन्य उद्देश्यों हेतु प्रयोग किया गया।

2.3.4 संसाधनों को जुटाने में राज्य का प्रदर्शन

केन्द्रीय करों एवं सहायता अनुदानों में राज्यांश का निर्धारण वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है, अतः संसाधन जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का आंकलन उसके स्वयं के संसाधनों के संदर्भ में किया जाता है जिसमें स्वयं के कर एवं कर-भिन्न स्रोत शामिल हैं।

14 वें वित्त आयोग के आंकलन तथा मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी की तुलना में वर्ष 2019-20 हेतु राज्य की वास्तविक कर एवं कर-भिन्न प्राप्तियां तालिका 2.13 में दी गई हैं।

तालिका 2.13: राज्यों के स्वयं के संसाधन: प्राक्कलन की तुलना में वास्तविक

(₹ करोड़ में)

	14 वें वित्त आयोग के प्राक्कलन	बजट अनुमान	मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी के प्राक्कलन	मूल	वास्तविक आंकड़ों के प्रतिशतता में विचलन		
					14 वें वित्त आयोग के प्राक्कलन	बजट अनुमान	मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी के प्राक्कलन
स्वयं का कर राजस्व	16,591	7,921.43	7,921.43	7,623.82	-54.05	-3.76	-3.76
कर-भिन्न राजस्व	2,685	2,442.86	2,442.86	2,501.51	-6.83	लक्ष्य प्राप्त किया	लक्ष्य प्राप्त किया

राज्य के स्वयं के कर-राजस्व के तहत वास्तविक संग्रहण 14 वें वित्त आयोग के प्राक्कलनों से 54.05 प्रतिशत तथा बजट आंकलन एवं मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी से 3.76 प्रतिशत घट गया था। कर-भिन्न राजस्व के तहत वास्तविक प्राप्तियां 14वें वित्तयोग के प्राक्कलनों से 6.83 प्रतिशत कम थी परंतु बजट अनुमान तथा मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में निर्धारित लक्ष्यों से अधिक थी। इस प्रकार राज्य सरकार स्वयं के कर राजस्व के मामले में बजट तथा मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरण में प्राक्कलित स्वयं के लक्ष्यों को भी प्राप्त नहीं कर सकी।

2.4 संसाधनों का अनुप्रयोग

राज्य सरकार को राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के ढांचे के भीतर इस प्रकार व्यय करने का जिम्मा सौंपा गया है कि राज्यों की सतत राजकोषीय सुधार एवं समेकन प्रक्रिया पूंजीगत ढांचे एवं सामाजिक क्षेत्र के विकास को प्रभावित न करें। संसाधनों के अनुप्रयोग का अनुवर्ती परिच्छेदों में व्यय के संघटक एवं वृद्धि, राजस्व व्यय, प्रतिबद्ध व्यय तथा स्थानीय-निकायों के अर्न्तगत विश्लेषण किया गया है।

2.4.1 व्यय की वृद्धि एवं संघटन

राज्य सरकार के व्यय को राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय नाम की दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

राजस्व व्यय: रखरखाव, मरम्मत प्रभार, चलायमान व कार्य करने पर खर्च जो परिसम्पत्तियों को चलायमान क्रम में बनाए रखने हेतु आवश्यक है साथ ही स्थापना एवं प्रशासनिक खर्चों सहित संगठन को दिन प्रति दिन चलाने हेतु हुए अन्य सभी खर्चों को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

पूंजीगत व्यय: परियोजना के प्रथम निर्माण के सभी प्रभार साथ ही परियोजना प्रचालित न होने के दौरान के मध्यावधि रखरखाव के प्रभार तथा ऐसे अतिरिक्त संवर्धन तथा संशोधन जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों के तहत संस्वीकृत किए जा सकते हैं, वे प्रभार भी पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे। विगत पांच वर्षों (2015-20) के दौरान कुल व्यय की प्रवृत्ति एवं संघटन को तालिका 2.13 (क) में दर्शाया गया है।

तालिका 2.13 (क): कुल व्यय तथा उसके संघटक


(₹ करोड़ में)

मापदण्ड	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल व्यय	25,630.47	32,132.94	31,311.36	34,493.50	36,362.55
राजस्व व्यय	22,302.81	25,344.22	27,053.16	29,442.11	30,730.43
पूंजीगत व्यय	2,864.49	3,499.03	3,755.67	4,583.41	5,173.91
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	463.17	3,289.69 [@]	502.53	467.98	458.21
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	114,239.41	125,633.65	138,351.06	153,844.80	165,472.39
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में					
कुल व्यय / सकल राज्य घरेलू उत्पाद	22.44	25.58	22.63	22.42	21.97
राजस्व व्यय / सकल राज्य घरेलू उत्पाद	19.52	20.17	19.55	19.14	18.57
पूंजीगत व्यय / सकल राज्य घरेलू उत्पाद	2.51	2.79	2.71	2.98	3.13
ऋण एवं अग्रिम / सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.41	2.62	0.36	0.30	0.28

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे।

[@] उदय स्क्रीम के डिस्कॉम को दिया गया ₹2,890.50 करोड़ का ऋण सम्मिलित


पांच वर्षों (2015-20) की अवधि में कुल व्यय 41.87 प्रतिशत बढ़ गया। 2019-20 के दौरान यह विगत वर्ष की अपेक्षा ₹ 1,869 करोड़ (पांच प्रतिशत) बढ़ गया। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय 2015-20 के दौरान 22.63 प्रतिशत से 25.58 प्रतिशत के मध्य ही रहा। 2015-20 के दौरान राजस्व व्यय में 37.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इसी अवधि में पूंजीगत व्यय 80.62 प्रतिशत बढ़ गया।



जैसा कि चार्ट 2.8 में दर्शाया गया है, 2015-20 के दौरान कुल व्यय में राजस्व व्यय का अंश 84.5 से 87.0 प्रतिशत के मध्य रहा। इसी भांति, कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का अंश 2015-16 के 11.2 प्रतिशत से थोड़ा बढ़कर 2019-20 में 14.2 प्रतिशत हो गया। ऋणों तथा अग्रिमों का अंश जो 2016-17 में उदय स्कीम के अंतर्गत ऋण के संवितरण के कारण 10.2 प्रतिशत था, 2019-20 में 1.3 प्रतिशत रहा। इसी अवधि के दौरान संवितरित ऋण एवं अग्रिम का अंश लगभग स्थिर रहा।

गतिविधियों के संदर्भ में, कुल व्यय ब्याज भुगतान, सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं पर व्यय से मिल कर बनता है। कुल व्यय में इन घटकों का सापेक्षिक अंश 2019-20 के दौरान ₹ 36,362 करोड़ (संदर्भ परिशिष्ट-2) रहा जो चार्ट 2.9 में दिया गया है।

चार्ट-2.9: 2019-20 के दौरान व्यय के संघटक (प्रतिशत में)




2015-20 की अवधि के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के व्यय के सापेक्षित अंश तालिका 2.14 में दिए गए हैं।

तालिका 2.14: व्यय के विभिन्न क्षेत्रों का सापेक्षित अंश

प्राचल	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
सामान्य सेवा	34.63	30.92	35.77	33.82	34.48
सामाजिक सेवा	34.23	33.15	36.64	36.73	36.59
आर्थिक सेवा	29.30	25.66	25.95	28.07	27.64
अन्य (स्थानीय निकायों को अनुदान तथा ऋण एवं अग्रिम)	1.84	10.27	1.64	1.38	1.29

चार्ट 2.10, 2015-16 से 2019-20 की अवधि के लिए कुल व्यय में क्षेत्रीय घटकों की प्रवृत्ति को दर्शाता है।



व्यय के इन घटकों के सापेक्ष अंश की गतिविधि दर्शाती है कि 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान कुल व्यय में सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं एवं अन्य के अंश में मामूली अन्तरवर्षीय विचलन आया। 2019-20 में कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में सामान्य सेवाओं पर व्यय (ब्याज भुगतान सहित), जो गैर-विकास व्यय का भाग बनाता है, 2018-19 में 33.82 प्रतिशत से बढ़कर 34.48 प्रतिशत हो गया। विकास व्यय अर्थात् दोनों सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में व्यय 2018-19 के 64.8 प्रतिशत के सापेक्ष 2019-20 में 64.10 प्रतिशत रहा। ऋण तथा अग्रिम का अंश 2016-17 में 10.24 प्रतिशत रहा। ऋण तथा अग्रिम का अंश, 2016-17 में जब उदय स्कीम के अन्तर्गत डिस्कॉम को ₹ 2,890.50 करोड़ लागत का ऋण संवितरित किया गया था (10.24 प्रतिशत), को छोड़कर शेष विगत पांच वर्षों में लगभग स्थिर रहा।

2.4.2 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय पिछली देयताओं हेतु सेवाओं एवं भुगतान के वर्तमान स्तर को बनाए रखने हेतु किया जाता है। वैसे तो यह राज्य के बुनियादी ढांचे एवं सेवा तंत्र में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं करता। 2015-20 की अवधि के दौरान समग्र राजस्व व्यय, इसकी वृद्धि दर, कुल व्यय से उसका अनुपात तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं राजस्व प्राप्तियों की तुलना में उत्प्लावकता तालिका 2.15 में दर्शाई गई है।

तालिका- 2.15: 2015-20 के दौरान राजस्व व्यय की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल व्यय	25,630.47	32,132.94	31,311.36	34,493.50	36,362.55
राजस्व व्यय	22,302.81	25,344.22	27,053.16	29,442.11	30,730.43
राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	12.72	13.63	6.74	8.83	4.37
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय	87.02	78.87	86.40	85.36	84.51
राजस्व व्यय / सकल राज्य घरेलू उत्पाद(प्रतिशत)	19.52	20.17	19.55	19.14	18.57
राजस्व प्राप्तियां	23,440.48	26,264.34	27,367.06	30,950.32	30,742.41
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय	95.15	96.50	98.85	95.13	99.96
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर(प्रतिशत में)	31.37	12.05	4.20	13.09	-0.67
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1,14,239.41	1,25,633.65	1,38,351.06	1,53,844.80	1,65,472.39
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	10.09	9.97	10.12	11.20	7.56
राजस्व व्यय की उत्प्लावकता के साथ					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अनुपात)	1.26	1.37	0.67	0.79	0.58
राजस्व प्राप्तियां (अनुपात)	0.41	1.13	1.61	0.67	-6.52

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे


2015-20 के दौरान राजस्व व्यय में 4 से 14 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से ₹ 10,732 करोड़ (41.87 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। राजस्व व्यय की वृद्धि दर में 2015-20 की पांच वर्षों की अवधि में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति देखी गई। राजस्व व्यय 2018-19 (₹ 29,442 करोड़) की अपेक्षा 2019-20 में (₹ 30,730 करोड़) ₹ 1,288 करोड़ बढ़ गया। यह वृद्धि सामान्य सेवाओं एवं सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत अधिक व्यय होने के कारण हुई तथा आर्थिक सेवाओं में हुई गिरावट से संतुलित हो गई।

राज्य की राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद में राजस्व व्यय का प्रतिशत 2019-20 के दौरान लगभग समान अर्थात् क्रमशः 18.58 एवं 18.57 प्रतिशत रहा। इस प्रकार 2019-20 के दौरान राज्य का राजस्व अधिशेष केवल ₹ 12 करोड़ था जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.01 प्रतिशत था।

2019-20 में ₹ 30,730 करोड़ का राजस्व व्यय बजट तथा मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी (₹ 36,089 करोड़) के तथा 14वें वित्त आयोग के मानदण्डात्मक आंकलन (₹ 34,541 करोड़) से कम था। वर्ष 2019-20 से सम्बन्धित राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण चार्ट-2.11 में दिया गया है।

चार्ट-2.11: 2019-20 के दौरान राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण

(प्रतिशत में)



2.4.2.1 राजस्व व्यय के महत्वपूर्ण विचलन

तालिका-2.16 विगत वर्ष की तुलना में 2019-20 के दौरान राजस्व व्यय के विभिन्न लेखा शीर्षों में हुई उल्लेखनीय वृद्धि अथवा गिरावट के मामलों पर प्रकाश डालती है।

तालिका-2.16: 2018-19 की तुलना में 2019-20 के दौरान राजस्व व्यय में आए उल्लेखनीय विचलन

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	2018-19	2019-20	वृद्धि (+) / गिरावट (-)
सामान्य सेवाएं	11,438.34	12,335.20	896.86
2071-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	4974.77	5489.74	514.97
2049-ब्याज भुगतान	4,021.52	4,234.02	212.50
2055-पुलिस	1,092.57	1,142.93	50.36
2015-चुनाव	44.87	90.77	45.90
सामाजिक सेवाएं	11,482.20	12,046.95	564.75
2202- सामान्य शिक्षा	5,691.76	6,037.87	346.11
2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	1,048.37	1,228.62	180.25
2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	751.63	923.64	172.01
2210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	1,529.35	1,661.55	132.20
2215-जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	1,141.35	942.18	-199.17
2216-आवास	103.31	35.73	-67.58
आर्थिक सेवाएं	6512.19	6338.01	-174.18
2801-विद्युत	579.19	406.20	-172.99
2505-ग्रामीण रोजगार	335.48	235.72	-99.76
सहायता अनुदान एवं वितरण	9.39	10.27	0.88
3604-स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज को क्षतिपूर्ति एवं कार्यभार	9.39	10.27	0.88

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में ₹ 896.86 करोड़ की वृद्धि का कारण मुख्य रूप से पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति, ब्याज भुगतान, पुलिस सेवाएं व चुनाव पर व्यय बढ़ना था। इस वर्ष के दौरान बाजार ऋणों पर ब्याज भुगतान में ₹ 166.12 करोड़ की वृद्धि हुई। विगत वर्ष की अपेक्षा सामाजिक सेवाओं पर व्यय में

₹ 564.75 करोड़ की वृद्धि का कारण मुख्यतः सामान्य शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य व अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर व्यय की वृद्धि रहा। यह वृद्धि जलापूर्ति एवं स्वच्छता तथा आवास में गिरावट होने से कुछ हद तक समायोजित हुई। विद्युत एवं ग्रामीण रोजगार पर व्यय में गिरावट होने से आर्थिक सेवाओं पर व्यय में ₹ 174.18 करोड़ की गिरावट हुई।

2.4.2.2 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखों पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान; वेतन एवं मजदूरी पर व्यय; तथा पेंशन शामिल होते हैं। सरकारी संसाधनों पर इसका पहला प्रभार है। प्रतिबद्ध व्यय की आरोही प्रवृत्ति से सरकार के पास विकास क्षेत्र के लिए कम गुंजाइश रह जाती है।

तालिका 2.17 2015-20 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय के घटकों की प्रवृत्ति प्रस्तुत करती है, जबकि कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का प्रतिशत अंश **चार्ट 2.12** में दिया गया है।

तालिका 2.17: प्रतिबद्ध व्यय के घटक


(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
वेतन एवं मजदूरी	8,174.13	9,681.67	10,765.83	11,210.42	11,742.23 *
पेंशन में व्यय	3,836.44	4,114.17	4,708.85	4,974.77	5,489.75
ब्याज भुगतान	3,155.00	3,358.91	3,788.22	4,021.52	4,234.02
कुल	15,165.57	17,154.75	19,262.90	20,206.71	21,466.00
राजस्व प्राप्तियों में प्रतिशतता					
वेतन व मजदूरी	34.87	36.86	39.34	36.22	38.20
पेंशन में व्यय	16.37	15.66	17.21	16.07	17.86
ब्याज भुगतान	13.46	12.79	13.84	12.99	13.77
कुल	64.70	65.31	70.39	65.28	69.83
राजस्व व्यय में प्रतिशतता					
वेतन व मजदूरी	36.65	38.20	39.80	38.08	38.21
पेंशन में व्यय	17.20	16.23	17.41	16.90	17.86
ब्याज भुगतान	14.15	13.25	14.00	13.66	13.78
कुल	68.00	67.68	71.21	68.64	69.85

* वेतन: ₹11,477.37 करोड़; मजदूरी: ₹264.86 करोड़

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.12: कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा



राज्य के प्रतिबद्ध व्यय में निरंतर वृद्धि देखी गई। विगत वर्ष से 2019-20 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय में ₹ 1,259 करोड़ की वृद्धि हुई (छह प्रतिशत)। इसने 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान राजस्व व्यय (68.71 प्रतिशत) तथा राजस्व प्राप्तियों (65.70 प्रतिशत) का बड़ा हिस्सा लिया जिससे सरकार के पास विकासात्मक गतिविधियों पर खर्च करने की बहुत कम संभावना बची।

वेतन एवं मजदूरी: वेतन एवं मजदूरी पर व्यय 2015-16 के ₹ 8,174 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹ 11,742 करोड़ हो गया। विगत वर्ष की अपेक्षा में 2019-20 के दौरान इसमें ₹ 532 करोड़ (पांच प्रतिशत) की वृद्धि हुई, तथा 2019-20 के दौरान यह राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 38 प्रतिशत था। वर्तमान वर्ष में हुआ वेतन पर व्यय (₹ 11,742 करोड़) मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरण के प्राक्कलन (₹ 12,359 करोड़) के भीतर रहा।

ब्याज भुगतान: ब्याज भुगतान 2015-16 में ₹ 3,155 करोड़ से 34 प्रतिशत बढ़कर 2019-20 में ₹ 4,234 करोड़ हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में 2019-20 में वृद्धि ₹ 212 करोड़ (पांच प्रतिशत) थी। ब्याज भुगतान में राजस्व प्राप्तियों व राजस्व व्यय का 14 प्रतिशत था। ब्याज भुगतान 14वें वित्त आयोग के मानदण्डात्मक आंकलन (₹ 4,575 करोड़) तथा मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी के प्राक्कलन (₹ 4,550 करोड़) के भीतर रहा।

पेंशन भुगतान: पेंशन भुगतान पर व्यय 2015-16 के ₹ 3,836 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹ 5,490 करोड़ हो गया तथा विगत वर्ष की अपेक्षा वर्तमान वर्ष के दौरान इसमें ₹ 525 करोड़ (11 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 2019-20 के दौरान, वेतन तथा पेंशन भुगतान दोनों राजस्व व्यय का 56 प्रतिशत था। यहां मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी प्राक्कलित पेंशन (₹ 6,660 करोड़) तथा वास्तविक व्यय (5,490 करोड़) के मध्य उल्लेखनीय अन्तर (₹ 1,170 करोड़ अर्थात् 18 प्रतिशत) देखा गया।

2.4.2.3 राष्ट्रीय पेंशन योजना की देयताओं का निर्वहन न होना

सरकार ने “राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली” प्रस्तुत की जो 15 मई 2003 से या उसके बाद राज्य सरकार की सेवा में जुड़ने वाले सभी नवागतों पर प्रयोज्य थी। इस प्रणाली के अंतर्गत, कर्मचारी मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते में से 10 प्रतिशत की भागीदारी करते हैं, जिसमें राज्य सरकार द्वारा अपना अंश मिलाया जाता है तथा कर्मचारियों एवं नियोक्ता दोनों के अंश को लोक लेखा (मुख्य शीर्ष 8342-अन्य निक्षेप - 117 परिभाषित अंशदान पेंशन योजना) में आरंभिक तौर पर जमा किया जाता है।

कर्मचारी तथा नियोक्ता दोनों के अंश को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के दिशा-निर्देशानुसार आगे निवेश करने के लिए नामित प्राधिकरण अर्थात् राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार सीमित (नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, एन एस डी एल)/ट्रस्टी बैंक में जमा करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राज्य सरकार राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार सीमित बैंक में चालू खाता खोलती है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, मुख्य शीर्ष 8342-अन्य निक्षेप-117- सरकारी कर्मचारियों हेतु परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में ₹ 821.27 करोड़ (कर्मचारियों का अंश: 349.31 करोड़, सरकार का अंश: ₹ 471.91 करोड़ तथा ब्याज: ₹ 0.05 करोड़) की कुल राशि जमा की गई थी। सरकार ने राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार सीमित में ₹ 821.51 करोड़ का हस्तांतरण किया (कर्मचारी अंश: ₹ 350.29 करोड़ तथा सरकार का अंश: ₹ 471.22 करोड़)। हालांकि, मुख्य शीर्ष 8342- अन्य निक्षेप-117 सरकारी कर्मचारियों हेतु परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत ₹1.41 करोड़ (2018-19) का प्रतिकूल शेष वर्ष (2019-20) के अंत में बढ़कर ₹ 1.64 करोड़ हो गया, जिसे राज्य सरकार के साथ मिलान किए जाने की आवश्यकता है। इस सन्दर्भ में राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार सीमित ने चालू वर्ष के दौरान ₹ 821.41 करोड़ की कुल राशि जमा होने की पुष्टि की। इस अन्तर को राज्य सरकार तथा राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार सीमित के मध्य मिलान किया जाना है।

2.4.2.4 सब्सिडी

राज्य सरकार विभिन्न विभागों/संस्थाओं/ निकायों/ निगमों को सब्सिडी देती है।

सब्सिडी पर व्यय 2015-16 के ₹ 1,346.08 करोड़ से ₹ 278.30 करोड़ (20.67 प्रतिशत) घटकर 2019-20 में ₹1,067.78 करोड़ रह गया, जो राजस्व प्राप्तियों का 3.47 प्रतिशत था जैसा कि तालिका-2.18 में वर्णित है।

तालिका 2.18: 2015-20 के दौरान सब्सिडी पर व्यय

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
सब्सिडी (₹ करोड़ में)	1,346.08	763.96	906.79	1,282.60	1,067.78
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	5.74	2.91	3.31	4.15	3.47
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	6.04	3.01	3.35	4.36	3.49

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे।

विगत वर्ष की अपेक्षा 2019-20 के दौरान सब्सिडी पर व्यय में ₹ 216 करोड़ की गिरावट देखी गई। वर्ष के दौरान, विभिन्न विभागों को ₹1,067 करोड़ की सब्सिडी का भुगतान किया गया, जो राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय दोनों का लगभग 3.5 प्रतिशत था। सब्सिडी प्राप्त करने में प्रमुख थे ऊर्जा (₹ 400 करोड़-37.46 प्रतिशत), खाद्य एवं आपूर्ति (₹ 244.88 करोड़-22.93 प्रतिशत), परिवहन (₹160 करोड़-14.98 प्रतिशत) कृषि (₹123.65 करोड़-11.58 प्रतिशत) तथा उद्यान (₹109.72 करोड़-10.28 प्रतिशत)। वर्ष के दौरान सरकार द्वारा जारी कुल सब्सिडी मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी (₹ 1,066.23 करोड़) के प्राक्कलन के अनुरूप थी।

2.4.2.5 स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थानों को राज्य सरकार की वित्तीय सहायता

राज्य सरकार स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थानों को अनुदान तथा ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थानों को अनुदान के रूप में प्रदान की गई सहायता की प्रमात्रा तालिका 2.19 में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 2.19: स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
स्थानीय निकाय					
नगर निगम व नगर पालिकाएं	321.63	554.49	249.31	487.99	456.22
पंचायती राज संस्थाएं	926.72	1,011.60	781.21	1,026.07	1,053.39
कुल (क)	1,248.35	1,566.09	1,030.52	1,514.06	1,509.61
अन्य					
शिक्षा संस्थान (सहायता प्राप्त विद्यालय, सहायता प्राप्त कॉलेज, विद्यालय, आदि)	663.67	849.57	905.15	951.22	1,020.83
विकास प्राधिकरण	80.53	150.37	111.07	143.68	99.16
अस्पताल एवं अन्य धर्मार्थ संस्थान	277.14	271.64	343.87	337.38	439.71
अन्य संस्थान	342.58	519.31	504.85	687.61	437.17
कुल (ख)	1,363.92	1,790.89	1,864.94	2,119.89	1,996.87
कुल (क+ख)	2,612.27	3,356.98	2,895.46	3,633.95	3,506.48
राजस्व व्यय	22,302.81	25,344.22	27,053.16	29,442.11	30,730.43
राजस्व व्यय-राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता	11.71	13.25	10.70	12.34	11.41

स्रोत: वित्त लेखे तथा प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) से प्राप्त जानकारी।

तालिका 2.19 दर्शाती है कि स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता 2015-16 के ₹ 2,612.27 करोड़ से बढ़कर 2019-20 के दौरान ₹ 3,506.48 करोड़ हो गई जो राजस्व व्यय का 11.41 प्रतिशत थी।


वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थानों तथा अस्पताल एवं अन्य धर्मार्थ संस्थानों के अतिरिक्त अन्य को दी गई सहायता विगत वर्ष से कम थी। इसके परिणामस्वरूप विगत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में सहायता की कुल मात्रा में ₹127.47 करोड़ की गिरावट हुई। वर्तमान वर्ष के दौरान विभिन्न

प्राप्तकर्ताओं में, नगर निगम, नगरपालिकाओं तथा पंचायती राज संस्थानों (स्थानीय निकाय) दोनों में कुल वित्तीय सहायता का 43.23 प्रतिशत दिया गया।

2.4.3 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय, स्थिर अवसंरचनात्मक परिसम्पत्तियों जैसे सड़क, भवनों इत्यादि के निर्माण पर हुआ प्रारंभिक व्यय होता है। 2015-20 की अवधि में कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति चार्ट-2.13 में दी गई है।

चार्ट 2.13: 2015-20 के दौरान कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति



विगत पांच वर्षों में पूंजीगत व्यय में सतत वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई। 2015-20 के दौरान इसमें ₹ 2,310 करोड़ (81 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 2019-20 के दौरान, पूंजीगत व्यय (₹ 5,174 करोड़) में विगत वर्ष 2018-19 (₹ 4,583 करोड़) की अपेक्षा ₹ 591 करोड़ (13 प्रतिशत) की वृद्धि हुई तथा यह कुल व्यय का 14 प्रतिशत रहा।

2.4.3.1 पूंजीगत व्यय के महत्वपूर्ण विचलन

तालिका 2.20 विगत वर्ष की तुलना में 2019-20 के दौरान पूंजी व्यय में पूंजीगत व्यय के विभिन्न लेखा शीर्षों की उल्लेखनीय वृद्धि अथवा गिरावट के मामलों को दर्शाती है।

तालिका 2.20: 2018-19 की तुलना में 2019-20 के दौरान पूंजीगत व्यय के विचलन

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	2019-20	2018-19	जमाव (+)/ घटाव (-)
पूंजीगत व्यय	5,173.91	4,583.41	590.50
सामान्य सेवा	203.74	227.13	(-)23.39
सामाजिक सेवा	1,258.41	1,187.22	71.19
4215- जल आपूर्ति व स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	598.92	417.69	181.23
4210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	231.78	345.61	-113.83
आर्थिक सेवा	3,711.76	3,169.06	542.70
5054- सड़क एवं पुल पर पूंजीगत परिव्यय	2,205.12	1,940.98	264.14
4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	326.68	137.02	189.66
4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	280.06	226.60	53.46

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि पूंजीगत व्यय वृद्धि मुख्य रूप से सड़कों व पुलों, लघु सिंचाई परियोजनाओं, बाढ़ नियंत्रण व जल आपूर्ति तथा स्वच्छता परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा व्यय में वृद्धि के कारण थी। यह चिकित्सा व जन स्वास्थ्य क्षेत्र पर पूंजी व्यय में कमी से आंशिक रूप से भरपाई की गई।

2.4.3.2 पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता

(i) निवेश तथा प्रतिफल

सरकार ने 31 मार्च 2020 तक सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों एवं सहकारिताओं में ₹ 4,261.00 करोड़ निवेश किए (तालिका 2.21) विगत पांच वर्षों में इन निवेशों पर औसत प्रतिफल 6.05 प्रतिशत था जबकि सरकार ने 2015-20 के दौरान उधारों पर 7.63 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज का भुगतान किया।

तालिका 2.21: निवेशों पर निवेश तथा प्रतिफल का विवरण

निवेश/प्रतिफल/उधार लेने की लागत	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
साल के अंत में निवेश (₹करोड़ में)	3,040.67	3,293.54	3,532.97	3,848.83	4,261.06
प्रतिफल (₹करोड़ में)	111.94	289.63	255.58	181.91	248.44
प्रतिफल (प्रतिशत)	3.68	8.79	7.23	4.73	5.83
सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	7.95	7.60	7.71	7.64	7.27
ब्याज दर एवं प्रतिफल के बीच अंतर (प्रतिशत)	4.27	(-)1.19	0.48	2.91	1.44
सरकारी उधारों पर ब्याज तथा निवेश पर प्रतिफल के मध्य अंतर के कारण हानि (₹करोड़ में)#	129.85	लागू नहीं	16.96	112.01	61.36

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष के अंत में निवेश \times ब्याज दर एवं प्रतिफल के मध्य अंतर

₹ 4,261.06 करोड़ के कुल निवेश में से, ₹ 3,809.76 करोड़ का निवेश (89 प्रतिशत) पांच³ कम्पनियों में किया गया था। राज्य सरकार ने घाटे वाली सरकारी कम्पनियों में निवेश करना जारी रखा।

(ii) कम्पनियों, निगमों तथा अन्य निकायों में निवेश की गुणवत्ता

उन कम्पनियों, निगमों तथा अन्य निकायों में जो घाटे में हैं अथवा जिसका नेट वर्थ नहीं है वहां पूंजीगत व्यय दीर्घकालिक नहीं होता है। 2019-20 के दौरान राज्य सरकार द्वारा किया गया ₹ 412.23 करोड़ का व्यय तालिका 2.22 में दर्शाया गया है।

³ सतलुज जल विद्युत निगम (₹1,098.14 करोड़), हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम लिमिटेड (₹263.50 करोड़), हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम (₹862.64 करोड़), हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड (₹743.87 करोड़) तथा हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (₹841.60 करोड़)

तालिका 2.22: घाटे वाली कम्पनियों में किया गया निवेश

क्रम सं०	सरकारी कम्पनियां	निवेश (2018-19 तक)	निवेश 2019-20 के दौरान	निवेश (2019-20 तक)	संचित हानि	लेखा वर्ष
		(₹ करोड़ में)				
1.	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड (2018-19)	31.20	0.00	31.20	87.77	2018-19
2.	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (2016-17)	11.71	0.00	11.71	97.45	2016-17
3.	हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम (2017-18)	92.98	0.00	92.98	166.56	2017-18
4.	हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (2018-19)	762.71	79.39	842.10	1,387.28	2018-19
5.	हिमाचल प्रदेश विद्युत ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड (2018-19)	217.75	53.75	271.50	53.06	2018-19
6.	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम (2017-18)	697.63	165.00	862.63	116	2017-18
7.	एग्रो इंडस्ट्रीज पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड (2013-14)	16.75	0.00	16.75	11.29	2013-14
कुल		1,830.73	298.14	2,128.87	1,919.41	

स्रोत: कम्पनियों के वित्त लेखे तथा वार्षिक लेखे

₹ 2,128.87 करोड़ के समग्र निवेश वाली सात सरकारी कम्पनियां घाटे में थी तथा इन कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत लेखाओं के अनुसार उनकी संचित हानियां ₹ 1,919.41 करोड़ थी। घाटा वहन करने वाली सातों सरकारी कम्पनियों में से ₹ 1,651.29 करोड़ की हानि तीन कम्पनियों (हिमाचल प्रदेश वित्त निगम, हिमाचल पथ परिवहन निगम तथा हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित) में हुई जो सरकारी कम्पनियों में हुई कुल हानि का 86 प्रतिशत था।

वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 412.23 करोड़ के कुल निवेश में से राज्य सरकार द्वारा ₹ 298.14 करोड़ का निवेश तीन घाटे वाली कम्पनियों में किया गया था। राज्य सरकार उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्य प्रणाली की समीक्षा करें जिनमें भारी घाटा हुआ है, तथा उनके पुनः परिचालन अथवा समापन, जैसी भी संभावना हो, के विषय में रणनीतिक योजना का निरूपण करें।

(iii) नेट वर्थ (शुद्ध मूल्य) का क्षरण

नेट वर्थ का अर्थ है प्रदत्त पूंजी, मुक्त भण्डार तथा अधिशेष में संचित हानियां एवं आस्थगित राजस्व व्यय का घटाने पर प्राप्त कुल योग। वास्तव में यह माप है, कि मालिक के लिए कम्पनी का क्या मूल्य है। ऋणात्मक नेट वर्थ परिचायक है कि मालिक का सम्पूर्ण निवेश संचित हानियों से नष्ट (व्यर्थ) हो गया। 31 मार्च 2020 तक ₹ 2,128.87 करोड़ के पूंजीगत निवेश के प्रति सातों घाटा वहन करने वाली कम्पनियों की समग्र संचित हानियां ₹ 1,919.41 करोड़ थी। जो ₹ 209.46 करोड़ के निवेशों के नेट वर्थ के क्षरण में परिणत हुई। इनमें से घाटा वहन करने वाले दो डिस्कॉम में ₹ 1,134.13 करोड़ के पूंजीगत निवेश के प्रति ₹ 169.06 करोड़ की समग्र संचित हानियां हुई, अतः ₹ 965.07 करोड़ के नेट वर्थ का क्षरण हुआ।

(iv) सरकारी निवेश का कम्पनियों के लेखाओं से मिलान

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इक्विटी के रूप में सरकार के निवेश सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में दर्शाए गए आंकड़ों से मिलने चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं वित्त लेखाओं में अंतर का पता लगाने के लिए आंकड़ों का मिलान करना आवश्यक होता है।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्त लेखाओं में दिए गए विवरण तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में अन्तर पाया गया। अन्तर आने का मुख्य कारण यह रहा कि सरकारी खातों में निवेश के लेनदेन प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के कार्यालय में प्राप्त वाउचरों के आधार पर बुक किए जा रहे हैं, जबकि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दिए गए विवरण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से अलग-अलग प्राप्त किए गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या के साथ ही इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश के अन्तर का मिलान किया जा रहा है। अन्तर का पता लगाने के लिए मिलान समयबद्ध तरीके से किए जाने की आवश्यकता है।

(v) उज्ज्वल-डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) का कार्यान्वयन

विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय टर्नओवर को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्य डिस्कॉम के संचालन तथा वित्तीय दक्षता में सुधार लाने के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) शुरू की (नवम्बर 2015)। राज्यों को दो वर्षों में 75 प्रतिशत डिस्कॉम ऋण 30 सितम्बर 2015 तक लेना था अर्थात् 50 प्रतिशत डिस्कॉम ऋण 2015-16 तक तथा 25 प्रतिशत 2016-17 में।

डिस्कॉम को निर्धारित चुकौती समय-सारणी के अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार को मूलधन राशि चुकाने के साथ ब्याज की देयता का निर्वहन करने का दायित्व भी था (उदय के तहत बांड धारकों को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिए मूलधन तथा ब्याज के भुगतान की तिथि के 15 दिन पूर्व)। ब्याज/मूलधन का भुगतान देय तिथि तक करने में विफल होने पर डिस्कॉम को विलम्बित अवधि हेतु बकाया राशि पर 2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दण्डात्मक ब्याज का भुगतान करना होगा।

उदय बांड पर 7.88 प्रतिशत प्रति वर्ष की औसत दर का मूल तात्त्विक ब्याज है। इन बांड पर मूलधन की चुकौती हेतु पांच वर्ष की ऋण-स्थगन अवधि दी गई है तथा चुकौती 2022-23 से प्रारम्भ होगी। मूलधन को ₹ 289.05 करोड़ प्रतिवर्ष की 10 समान किस्तों में 2031-32 तक मुक्त करना था। वार्षिक ब्याज देयता ₹ 227.78 करोड़ है, जो वर्ष 2017-18 के प्रारम्भ से प्रति वर्ष 28 अगस्त एवं 28 फरवरी को अर्धवार्षिक आधार पर देय है।

हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 2016-17 में 30 सितम्बर 2015 तक के हिमाचल प्रदेश डिस्कॉम के बकाया ऋण (₹ 3,854 करोड़) का सम्पूर्ण 75 प्रतिशत (₹ 2,890.50 करोड़) लेने के लिए 8 दिसम्बर 2016 में भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित (डिस्कॉम) के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन किया। त्रिपक्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के पश्चात् हिमाचल प्रदेश सरकार ने उदय बाण्ड (7.88 प्रतिशत) जारी करके ₹ 2,890.50 करोड़ राशि की निधियां अर्जित की तथा 2016-17 के दौरान डिस्कॉम को ये निधियां

हस्तांतरित की गई। डिस्काम को दिया गया ₹ 2,890.50 करोड़ का यह बकाया ऋण वर्ष 2020-21 में अनुदान (₹ 2,167.50 करोड़) तथा इक्विटी (₹ 723 करोड़) में रूपांतरित होना है।

राज्य सरकार ने वर्ष 2019-20 के दौरान बाण्ड धारकों को ब्याज के रूप में ₹ 227.78 करोड़ वितरित किए तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से ₹ 113.89 करोड़ का ब्याज प्राप्त किया।

(vi) सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के अर्न्तगत राज्य के पास उपलब्ध संसाधन

सार्वजनिक निजी भागीदारी सरकार अथवा सांविधिक कम्पनी तथा किसी निजी क्षेत्र कम्पनी के मध्य एक ऐसी व्यवस्था है, जो उन्हें बुनियादी विकास हेतु जनता की मांग की पूर्ति करने के लिए एक-साथ कार्य करने हेतु रूपरेखा / ढांचा प्रदान करती है।

पूर्ण, चल रही तथा भविष्यगामी योजनाबद्ध सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं का कुल अनुमानित लागत के साथ क्षेत्र-वार विवरण तालिका-2.23 में दिया गया है।

तालिका 2.23: सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं का क्षेत्र-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुभाग	पूर्ण		चल रही है		भविष्यगामी योजनाएं	
		संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	अनुमानित लागत
1.	शहरी अवसंरचना	7	129.00	12	1,180.00	3	-
2.	ऊर्जा*	28	3,125.99	15	3,838.60	53	2,872.60
3.	सामाजिक	4	115.00	-	-	-	-
4.	अन्य	-	-	2	15.50	-	-
योग		39	3,369.99	29	5,034.10	56	2,872,60

* ऊर्जा क्षेत्र के अर्न्तगत अनुमानित लागत में 23 (28 में से) पूर्ण परियोजनाओं; 14 (15 में से) चल रही परियोजनाओं तथा 25 (53 में से) भविष्यगामी परियोजनाओं की लागत शामिल है।

(vii) राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिम

सहकारी सोसायटियों, निगमों तथा कम्पनियों में निवेश के अतिरिक्त राज्य सरकार कई संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम उपलब्ध कराती है। तालिका 2.24, 2015-16 से 2019-20 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान ब्याज प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतान के साथ 31 मार्च 2020 तक बकाया ऋण एवं अग्रिम प्रस्तुत करती है।

तालिका-2.24: 2015-20 के दौरान संवितरित एवं वसूली किए गए ऋणों की प्रमात्रा का विवरण

(₹ करोड़ में)

ऋण / ब्याज प्राप्तियां/उधार लागत की प्रमात्रा	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
बकाया ऋण का आरंभिक शेष*	2,346.82	2,784.08	6,044.27	6,507.18	6,953.33
वर्ष के दौरान अग्रिम रूप से दी गई राशि	463.16	3,289.69	502.53	467.98	458.21
वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	25.90	29.50	39.62	21.83	21.03
बकाया ऋणों का अंत शेष*	2,784.08	6,044.27	6,507.18	6,953.33	7,390.49
निवल योग	437.26	3,260.19	462.91	446.15	437.17

ऋण / ब्याज प्राप्तियां/उधार लागत की प्रमात्रा	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
प्राप्त ब्याज	53.38	80.35	255.59	272.15	135.11
सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज दर	2.27	2.89	4.24	4.18	1.94
विगत वर्ष की बकाया राजकोषीय देयताओं के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान	8.26	8.15	8.02	7.88	7.79
चुकाए ब्याज तथा प्राप्त ब्याज (प्रतिशत)की दर के मध्य अन्तर के कारण काल्पनिक हानि	5.99	5.26	3.79	3.70	5.85

स्रोत: वित्त लेखे

* 2016-17 से आरंभिक एवं अंत शेष में उदय योजना के अंतर्गत डिस्कॉम को दिया गया ₹ 2,890.50 करोड़ सम्मिलित है।

31 मार्च 2020 तक बकाया ऋण तथा अग्रिमों की कुल राशि ₹ 7,390 करोड़ थी। आर्थिक सेवाओं के भीतर मुख्य प्राप्तकर्ता विद्युत क्षेत्र ₹ 423 करोड़ (92.36 प्रतिशत) तथा सहकारिता ₹ 24 करोड़ (5.24 प्रतिशत) थे।

2017-18 में वसूली की गई ₹ 39.62 करोड़ की राशि विगत पांच वर्षों में ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली की सर्वाधिक प्रमात्रा थी। उसके बाद से ऋणों व अग्रिमों की वसूली में घटती प्रवृत्ति देखी गई। बल्कि इस सन्दर्भ में ब्याज प्राप्तियां भी विगत वर्ष की तुलना में 2019-20 में उल्लेखनीय रूप से घट गई। इससे राज्य सरकार द्वारा वसूली तंत्र की समीक्षा की आवश्यकता स्पष्ट रूप से प्रकट होती है।

कुल बकाया ऋणों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि विद्युत परियोजनाओं तथा उद्योग एवं खनीज के अंतर्गत आने वाले कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने विगत पांच वर्षों से (मार्च 2020 तक) ऋणों की चुकौती नहीं की थी तथा मामूली चुकौती के बावजूद फसलपालन को अतिरिक्त ऋण प्रदान किए गए थे जिससे वर्षों से समग्र बकाया शेष में वृद्धि होती रही।

राज्य सरकार ऋणों की वसूली करने में कमजोर है, अतः इन ऋणों एवं अग्रिमों को अनुदान के रूप में माने तथा उन्हें राजस्व व्यय के रूप में बुक करने पर विचार करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लेखे सही स्थिति को दर्शा रहे हैं।

(viii) अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूद्ध पूंजी

अपूर्ण पूंजीगत कार्यों में अवरूद्ध पूंजी की प्रवृत्ति का आंकलन पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता को भी दर्शाती है। अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों पर निधियों का अवरोधन व्यय की गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से आहत करता है तथा राज्य को लम्बी अवधि के लिए अभीष्ट लाभों से वंचित रखता है। इसके अतिरिक्त, सम्बन्धित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु उधार ली गई निधियां ऋण तथा ब्याज देयताओं को पूरा करने के संदर्भ में अतिरिक्त बोझ के रूप में सामने आती है।

वर्ष 2019-20 हेतु राज्य के वित्त लेखाओं के अनुसार, 31 मार्च 2020 तक लोक निर्माण एवं सिंचाई प्रभागों में 13 अपूर्ण/चल रही परियोजनाएं थी। 31 मार्च 2020 तक इन परियोजनाओं के संस्वीकृत वर्ष/प्रारंभ होने के वर्ष के आधार पर अपूर्ण परियोजनाओं की आयु-रूपरेखा तथा विभाग-वार रूपरेखा **तालिका-2.25 (क)** तथा **तालिका 2.25 (ख)** में दी गई है।

तालिका-2.25 (क): 31 मार्च 2020 तक अपूर्ण पूंजीगत कार्यों की आयु-रूपरेखा।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अधूरे कार्यों की संख्या	अनुमानित लागत/पुनः लागत	कुल व्यय (31 मार्च 2020 तक)
1996-97	01	16.36	9.40
2009-10	01	-	10.98
2011-12	03	59.40	62.30
2012-13	-	-	-
2013-14	-	-	-
2014-15	03	177.15	89.19
2015-16	-	-	-
2016-17	05	76.15	96.07
2017-18	-	-	-
2018-19	-	-	-
कुल	13	329.06	267.94

स्रोत: वित्त लेखे

तालिका 2.25 (ख): 31 मार्च 2020 तक अपूर्ण पूंजीगत कार्यों की विभाग-वार रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

विभाग	अधूरे कार्यों की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय
लोक निर्माण (पुल एवं सड़कें)	5	186.24	149.88
सिंचाई	8	126.46	118.06
कुल	13	312.70	267.94

स्रोत: वित्त लेखे

अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों में निधियों का अवरोधन व्यय की गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से आहत करता है तथा राज्य को लम्बी अवधि के लिए अभीष्ट लाभों से वंचित रखता है। समय बढ़ने के कारण उत्पन्न लागत वृद्धि से बचने के लिए इन सभी उपरोक्त परियोजनाओं को बिना विलम्ब पूर्ण करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।

2.4.4 व्यय प्राथमिकता

मानव विकास के स्तर में अभिवृद्धि हेतु राज्य को मूल सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर उनके व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि सम्बन्धित राष्ट्रीय औसत से आबंटन कम है, तो इसका अर्थ है कि किसी क्षेत्र विशेष से न्यून राजकोषीय प्राथमिकता (समग्र व्यय के सापेक्ष किसी श्रेणी के तहत व्यय का अनुपात) जुड़ी है। कुल व्यय के सापेक्ष इन घटकों का अनुपात जितना अधिक होगा व्यय की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर मानी जाती है।

तालिका 2.26, 2015-16 को आधार वर्ष लेते हुए 2019-20 के दौरान समग्र व्यय, शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों में व्यय तथा पूंजीगत व्यय के सन्दर्भ में विशेष श्रेणी राज्यों के साथ राज्य सरकार की व्यय प्राथमिकता का विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

तालिका- 2.26: 2015-16 तथा 2019-20 में राज्य की व्यय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)


राज्य की वित्तीय प्राथमिकता	सकल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	सामाजिक क्षेत्र व्यय/सकल व्यय	आर्थिक क्षेत्र व्यय/सकल व्यय	विकासात्मक व्यय/सकल व्यय	पूँजीगत व्यय/सकल व्यय	शिक्षा /सकल व्यय	स्वास्थ्य /सकल व्यय
औसत (अनुपात) 2015-16 में							
विशेष श्रेणी राज्य	24.58	36.25	30.10	66.34	13.96	18.32	5.95
हिमाचल प्रदेश	22.44	34.23	31.05	65.28	11.17	17.29	5.53
औसत (अनुपात) 2019-20 में							
विशेष श्रेणी राज्य	23.02	35.42	28.77	64.20	14.08	17.42	6.19
हिमाचल प्रदेश	21.97	36.59	28.88	65.47	14.23	17.66	6.34

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा जा सकता है, 2015-16 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य के समग्र व्यय के अनुपात के रूप में राजकोषीय प्राथमिकता का प्रत्येक घटक (आर्थिक क्षेत्र व्यय के अतिरिक्त) विशेष श्रेणी राज्यों की तुलना में थोड़ा कम था, यद्यपि यह 2019-20 के दौरान विशेष श्रेणी राज्यों से अधिक रहा। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के रूप में समग्र व्यय 2015-16 तथा 2019-20 के दौरान विशेष श्रेणी राज्यों से कम था। 2015-16 तथा 2019-20 के दौरान आर्थिक क्षेत्र में राज्य का व्यय विशेष श्रेणी राज्यों से अधिक रहा।

2.4.5 वस्तु शीर्ष-वार व्यय

वस्तु शीर्ष-वार व्यय, व्यय की वस्तु/प्रयोजन के विषय में जानकारी देता है। चार्ट 2.14, वस्तु शीर्ष-वार व्यय का विवरण प्रदान करता है।

चार्ट-2.14: वस्तु शीर्ष-वार व्यय (प्रतिशत में)



2.5 लोक लेखा

लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधियां, निक्षेप, उचंत, प्रेषण इत्यादि जैसे कुछ लेनदेन के सम्बन्ध में प्राप्तियां एवं संवितरण जो समेकित निधि का भाग नहीं होते, उन्हे सविधान के अनुच्छेद 266 (2) के तहत लोक लेखा में रखा जाता है तथा इन पर राज्य विधायिका की सम्मति आवश्यक नहीं होती है। वर्ष के दौरान संवितरण के पश्चात् बचा शेष वह उपलब्ध निधि है, जिसे सरकार विभिन्न प्रयोजनार्थ उपयोग करती है।

2.5.1 निवल लोक लेखा शेष

मार्च 2020 की समाप्ति पर राज्य के लोक लेखा में घटक-वार निवल शेष तालिका 2.27 में दिए गए हैं।

तालिका 2.27: वर्ष के 31 मार्च तक लोक लेखा में घटक-वार निवल शेष

(₹ करोड़ में)

विभाग	उप-विभाग	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
I - लघु बचत भविष्य निधि, इत्यादि	लघु बचत भविष्य निधि, इत्यादि	10,639.90	11,844.41	13,236.38	14,349.53	15,537.13
J - आरक्षित निधि	(क) ब्याज वाली आरक्षित निधि	0.71	0.95	8.48	1.00	1,887.65
	(ख) आरक्षित निधि पर ब्याज नहीं	218.62	218.63	316.54	316.60	834.66
	कुल (J):	219.33	219.58	325.02	317.60	2,722.31
K - जमा एवं अग्रिम	(क) जमा एवं अग्रिम	8.39	8.07	-0.89	-1.41	-1.64
	(ख) जमा एवं अग्रिम पर ब्याज नहीं	2,419.83	2,601.51	2,799.09	3,208.52	3,382.45
	(ग) अग्रिम	-0.53	-0.53	-0.53	-0.53	-0.51
	कुल (K):	2,427.69	2,609.05	2,797.67	3,206.58	3,380.30
L - उचंत एवं विविध	(क) उचंत	263.55	191.81	73.04	74.12	-1,330.44
	(ख) अन्य लेखें	-556.62	-759.25	-723.54	-101.91	-982.25
	(ग) बाह्य सरकारी के साथ लेखें	-	-	-	-	-
	(घ) विविध	-	-	-	-	-
	कुल (L):	-293.07	-567.44	-650.50	-27.79	2,312.69
M - प्रेषण	(क) मनी ऑर्डर और अन्य प्रेषण	363.54	332.91	398.45	509.19	612.45
	(ख) अंतर सरकारी समायोजन खाता	-0.09	-4.69	-1.21	0.31	-6.16
	कुल (M):	363.45	328.22	397.24	509.50	606.29
सकल योग		13,357.30	14,433.82	16,105.81	18,355.42	19,933.34


स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे।

टिप्पणी: -(ऋणात्मक) डेबिट शेष को दर्शाता है तथा +(धनात्मक) क्रेडिट शेष को दर्शाता है।

2015-20 से पांच वर्ष की अवधि में लोक लेखा में शेष राशि के संघटक में आए वार्षिक परिवर्तन चार्ट-2.15 में दिए गए हैं।

चार्ट 2.15:- लोक लेखा शेषों के संघटन में वार्षिक परिवर्तन

(₹ करोड़ में)




स्त्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे।

टिप्पणी: उचंत एवं विविध को अन्य लेखाओं से बाहर रखा गया है।

उपरोक्त तालिका 2.27 से देखा जा सकता है कि 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान निवल-लोक लेखा शेष में निरंतर वृद्धि हुई। यह 2015-16 के ₹13,358 करोड़ से ₹6,575 करोड़ बढ़कर 2019-20 के दौरान ₹19,933 करोड़ हो गए। 2019-20 के दौरान निवल शेष में हुई वृद्धि का मुख्य कारण आरक्षित एवं उचंत शीर्षों में निवल वृद्धि रही।

2019-20 में निवल लोक लेखा शेष में विगत वर्ष की अपेक्षा 8.60 प्रतिशत की वृद्धि होने का मुख्य कारण लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि (₹1,187.60 करोड़) में वृद्धि रही, जो आरक्षित निधियों (₹2,404.71 करोड़) व उचंत एवं विविध में गिरावट (₹2,284.90 करोड़) के कारण संतुलित हो गई।

31 मार्च 2020 तक निवल लोक लेखा शेष की पड़ौसी राज्यों से तुलना चार्ट 2.15 (क) में दी गई है। तुलना दर्शाती है कि हिमाचल प्रदेश के ₹19,933 करोड़ के लोक लेखा शेष के प्रति हरियाणा का शेष ₹33,581 करोड़ रहा तथा पंजाब का शेष ₹33,745 करोड़ रहा।



2.5.2 आरक्षित निधियां

आरक्षित निधियां राज्य सरकार के लोक लेखा के अंतर्गत निर्दिष्ट एवं परिभाषित उद्देश्यों हेतु सृजित की जाती हैं। ये निधियां राज्य की समेकित निधि के अंशों अथवा अनुदानों के योगदान से पूर्ण की जाती हैं।

आरक्षित निधियों के विवरण वित्त लेखाओं की **विवरणी 21 तथा 22** में उपलब्ध है। पांच आरक्षित निधियां (दो आरक्षित निधियां सब्याज तथा तीन आरक्षित निधियां ब्याज रहित) निर्दिष्ट उद्देश्यों हेतु निर्धारित की गई थी। यदि ब्याज रहित आरक्षित निधियों में निवेश नहीं किया गया हो तो इन सब्याज आरक्षित निधियों के शेष पर ब्याज सरकार द्वारा चुकाया जाता है तथा इन शेषों भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर के केन्द्रीय लेखा विभाग के प्रशासन के अन्तर्गत सरकारी प्रतिभूति/कोषागार बिल में निवेश किया जाता है। 31 मार्च 2020 तक विभिन्न आरक्षित निधियों में रखी शेष निधि (सब्याज तथा ब्याज रहित) **तालिका 2.28** में दर्शाई गई है।

तालिका 2.28: आरक्षित निधि का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	आरक्षित निधि का नाम	बकाया शेष 31 मार्च 2020 तक
क	आरक्षित निधि ब्याज सहित	1,887.65
1	राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष	226.93
2	राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष	1,660.72
ख	आरक्षित निधि ब्याज रहित	834.66
1	औद्योगिक विकास कोष	0.16
2	विद्युत विकास कोष	315.52
3	राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष	518.98
	कुल योग	2,722.31

स्रोत: वित्त लेखे

उपरोक्त में से, एक ब्याज रहित आरक्षित निधि अर्थात् औद्योगिक विकास कोष विगत पांच वर्षों से परिचलान में नहीं थी। राज्य सरकार ने इस अपरिचालित आरक्षित निधि को अभी तक बंद करके उसके शेष को राज्य की समेकित निधि में हस्तांतरित करना है।

2.5.2.1 समेकित ऋण शोधन निधि

राज्य सरकार से पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया देयताओं के 0.5 प्रतिशत का न्यूनतम वार्षिक अंशदान समेकित ऋण शोधन निधि में करना अपेक्षित है। तथापि राज्य सरकार ने समेकित ऋण शोधन निधि का सृजन नहीं किया। 31 मार्च 2019 तक राज्य सरकार की बकाया राज्य देयताएं ₹ 54,299 करोड़ थी। यदि समेकित ऋण शोधन निधि होती तो 2019-20 में निधियों के प्रति राज्य सरकार की देयताएं ₹ 271.50 करोड़ होती (विगत वर्ष की बकाया देयताओं का 0.5 प्रतिशत) यह दर्शाती है कि उस सीमा तक राजस्व अधिशेष में अन्योक्ति तथा राजकोषीय घाटे में न्यूनोक्ति हुई।

2.5.2.2 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि

तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, ओलावृष्टि, भू-स्खलन, हिम-स्खलन, बादल फटना इत्यादि के पीड़ित व्यक्तियों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए किए गए व्यय की पूर्ति करने हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का गठन किया।

भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार केन्द्र तथा राज्य सरकार से इस निधि में 90:10 के अनुपात में अंश देना अपेक्षित है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के दिशा-निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय अंश की प्राप्ति राज्य लेखाओं में राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि हेतु केन्द्र सरकार 07-वित्त आयोग अनुदान 104-सहायता अनुदान से मुख्य शीर्ष 1601-सहायता अनुदान के अंतर्गत राजस्व के रूप में लेखांकित की जाती है। अंशदान की समस्त राशि (केन्द्रीय अंश एवं राज्यांश) के लिए प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत-05-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि-101-आरक्षित निधि में हस्तांतरण तथा निक्षेप लेखे-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के लेखे 2245-राहत शीर्ष के अंतर्गत उचित बजट प्रावधान बनाती है। केन्द्रीय अंश की प्राप्ति होने पर राज्य अपने अंश के साथ यह राशि मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि के अधीन सब्याज आरक्षित निधि के अंतर्गत लोक लेखा में हस्तांतरित करेगा। राहत कार्यों पर हुआ वास्तविक व्यय केवल मुख्य 2245 के अंदर सम्बन्धित उप/लघु शीर्ष में ही बुक किया जाएगा।

राज्य सरकार से भारतीय रिजर्व बैंक के अधिविकर्ष विनियमन दिशा-निर्देशों के तहत अधिविकर्ष हेतु प्रयोज्य दर पर राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को ब्याज का भुगतान करना अपेक्षित है। ब्याज अर्ध वार्षिक आधार पर जमा किया जाना है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि की अभिवृद्धि एवं राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के निवेश से अर्जित आय दोनों को केन्द्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों, नीलाम किए गए कोषागार बिलों तथा अनुसूचित वाणिज्य बैंको के अन्य सब्याज निक्षेपों में निवेश किया जाना है।

2019-20 के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए वास्तविक व्यय के सहायक दस्तावेजों/सह-वाउचरों/साक्ष्य के अभाव के कारण सभी निधियों पर आपत्ति की गई तथा इसे आपत्ति पुस्तिका उचंचत लेखा-8658-102 के अंतर्गत रखा गया था, फलस्वरूप वित्त लेखाओं में व्यय की कोई राशि नहीं दर्शाई गई।

2.5.2.3 प्रत्याभूति विमोच्य निधि

जारी किए गए बॉण्ड तथा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा अन्य निकायों द्वारा लिए गए अन्य उधारों के संदर्भ में तथा लाभार्थियों द्वारा मांगे जाने पर सरकार द्वारा जारी की गई गारंटी के कारण उत्पन्न भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार 'प्रत्याभूति विमोच्य निधि' का गठन करती है। निधि में संचित राशि का उपयोग केवल सरकार द्वारा जारी गारंटी के भुगतान पर ही किया जाता है तथा उन संस्थानों को भुगतान नहीं किया जाता जिनकी ओर से गारंटी जारी की गई थी।

जैसाकि प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा अनुरक्षित की गई लेखा बहियों में दर्शाया गया है कि राज्य सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष से पहले के दूसरे वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया गारंटियों के कम से कम 0.5 प्रतिशत के बराबर राशि का अंशदान करना अपेक्षित है।

इन निधियों का निवेश भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। यद्यपि राज्य सरकार ने प्रत्याभूति विमोच्य निधि स्थापित नहीं की थी। फलस्वरूप 31 मार्च 2020 तक राजस्व अधिशेष में अत्योक्ति तथा राजकोषीय घाटे में ₹ 21.55 करोड़ तक न्यूनोक्ति हुई।

2.5.2.4 राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष

क्षतिपूरक वनीकरण के संचालन, सहयोगकृत प्राकृतिक पुनर्जनन, वनों का संरक्षण एवं सुरक्षा, बुनियादी ढांचे का विकास, वन्यजीव संरक्षण व सुरक्षा तथा अन्य सम्बन्धित गतिविधियां एवं इसके अतिरिक्त अन्य

सम्बन्धित अथवा वहां घटित आकस्मिक मामलों के लिए संग्रहित धन के उपयोग तथा प्राप्त राशि के प्रबंधन हेतु राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष का सृजन अपेक्षित है। इस कोष के तहत लेखांकन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश पर्यावरण मंत्रालय, वन एवं जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार के माध्यम से नवम्बर 2018 में जारी किए गए। 2019-20 के दौरान पर्यावरण मंत्रालय, वन एवं जलवायु परिवर्तन भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्षतिपूरक वनीकरण कोष से हिमाचल प्रदेश के अंश के रूप में ₹ 1,660.72 करोड़ की राशि हस्तांतरित की। यह राशि 8121-129-राज्य क्षतिपूरक, वनीकरण कोष के अंतर्गत बुक की गई है।

2.5.3 उचंत एवं विविध


विगत वर्ष 2018-19 की तुलना में 2019-20 के दौरान उचंत लेखा की शेष राशि में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई। 2019-20 के दौरान ₹1,373.77 करोड़ के वास्तविक व्यय (राजस्व व्यय: ₹1,202.25 करोड़ तथा पूंजीगत व्यय: ₹171.52 करोड़) से सम्बन्धित बिल/वाउचर के प्रस्तुत न करने के कारण प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय ने आपत्ति उठाई तथा सम्पूर्ण राशि वस्तु शीर्ष 8658-102-उचंत लेखा (लोक लेखा) में रखी गई। कोषागार से राशि का आहरण विभिन्न आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा मात्र संस्वीकृत आदेशों के आधार पर किया गया था तथा सरकारी खातों के बाहर विभिन्न बचत बैंक खातों में रखी गई थी। राज्य सरकार ने उपरोक्त राशि को वास्तविक व्यय हुए बिना राज्य विधानसभा द्वारा दिए गए बजट प्रावधानों के विरुद्ध व्यय के रूप में मान लिया था।

2.6 ऋण प्रबंधन

ऋण प्रबंधन, सरकार के ऋण के प्रबंधन हेतु निधियन की आवश्यक मात्रा, इसके जोखिमों एवं लागत लक्ष्यों की प्राप्ति तथा ऐसे किसी अन्य स्वतंत्र ऋण प्रबंधन लक्ष्यों को पूरा करने हेतु जो सरकार अधिनियम अथवा अन्य वार्षिक बजट उद्घोषणाओं के माध्यम से निर्धारित कर सकती है, के लिए रणनीति स्थापित करने एवं कार्यान्वित करने की प्रक्रिया है।

2015-16 से 2019-20 के दौरान वर्ष-वार समग्र ऋण नीचे चार्ट 2.16 में दिया गया है:

चार्ट 2.16: 2015-20 के दौरान हिमाचल प्रदेश में बकाया ऋण का विवरण



2.6.1 ऋण रूपरेखा: घटक


राज्य सरकार का कुल ऋण, राज्य के आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति तथा वित्तीय संस्थानों से ऋण इत्यादि), केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम तथा लोक लेखा देयताएं निर्मित करता है। 2019-20 के दौरान राज्य की बकाया राजकोषीय देयताएं चार्ट 2.17 में दर्शाई गई हैं। 2015-16 से प्रारंभ हो कर पांच वर्ष की अवधि हेतु राज्य की घटक-वार ऋण प्रवृत्ति तालिका 2.29 में दर्शाई गई है।

तालिका 2.29: घटक-वार ऋण प्रवृत्ति

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	
समग्र बकाया ऋण	41,197.43	47,244.02	51,030.51	54,299.19	62,211.84	
लोक ऋण	आंतरिक ऋण	26,860.93	31,494.03	33,591.47	35,363.18	39,527.77
	भारत सरकार से ऋण	1,049.05	1,076.43	1,079.43	1,061.77	1,043.81
लोक लेखा देयताएं	13,287.45	14,673.57	16,359.61	17,874.24	21,640.25	
समग्र बकाया ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	7.87	14.68	8.01	6.41	14.57	
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	114,239	125,634	138,351	153,845	165,472	
समग्र ऋण/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	36.06	37.60	36.88	35.29	37.60	
लोक ऋण प्राप्ति	6,129.21	8,603.31	5,600.29	6,427.41	10,847.39	
लोक ऋण चुकौती	3,947.74	3,942.84	3,499.85	4,673.34	6,700.75	
उपलब्ध लोक ऋण	2,181.47	4,660.47	2,100.44	1,754.07	4,146.64	
लोक ऋण चुकौती/प्राप्ति (प्रतिशत)	64.41	45.83	62.49	72.71	61.77	
निवल लोक लेखा प्राप्ति	824.14	1,386.11	1,686.04	1,514.64	2,457.90	
उपलब्ध कुल ऋण	3,005.61	6,046.58	3,786.48	3,268.71	6,604.54	

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.17: 31 मार्च 2020 को समाप्त बकाया ऋण का विवरण




राज्य की समग्र राजकोषीय देयताएं 2015-16 के ₹ 41,197 करोड़ से 51.07 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 2019-20 में बढ़कर ₹62,212 करोड़ हो गई जिसका मुख्य कारण आंतरिक ऋण (₹12,666.85 करोड़) तथा लोक लेखा देयताओं (₹8,352.80 करोड़) में वृद्धि थी। 2019-20 कुल राजकोषीय देयताओं में 14.57 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि यह पिछले वर्ष 6.41 प्रतिशत थी। राजकोषीय देयताओं का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात 2015-16 के 36.06 प्रतिशत से बढ़ कर 2019-20 में 37.60 प्रतिशत हो गया। यह देयताएं राजस्व प्राप्तियों की 2.02 गुना तथा राज्य के स्वयं के संसाधनों की 6.14 गुना थी।

यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019-20 की मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में अनुमानित ₹57,518 करोड़⁴ के लक्ष्य से ₹62,212 करोड़ की राजकोषीय देयताएं उच्च स्तर पर थीं।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद से बकाया ऋण का प्रतिशत विगत पांच वर्षों (2015-20) में 35 से 38 प्रतिशत के मध्य ही स्थिर रहा। 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान ऋण प्राप्तियों का 59 से 77 प्रतिशत, पिछले दायित्वों की चुकौती में प्रयुक्त किया था।

चार्ट- 2.18: लिए गए आंतरिक ऋण की तुलना में चुकौती

(₹ करोड़ में)



स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण 2015-16 के ₹ 6,079 करोड़ से ₹ 4,698 करोड़ (77.28 प्रतिशत) बढ़कर 2019-20 में ₹ 10,777 करोड़ हो गया। 2019-20 के दौरान आंतरिक ऋण पर ₹ 2,985.69 करोड़ का ब्याज चुकाया गया।

बाजारी उधार राज्य सरकार के आंतरिक ऋण का बड़ा हिस्सा होता है, जिसकी ब्याज दरें 6.30 से 9.75 प्रतिशत के मध्य हैं। 2019-20 में ₹10,777 करोड़ की कुल आंतरिक ऋण प्राप्तियों में से बाजार ऋण ₹6,580 करोड़ थे। ₹ 6,612 करोड़ की कुल आंतरिक ऋण चुकौती में से ₹ 2,120 करोड़ बाजार ऋण चुकाए गए थे। 31 मार्च 2020 तक बकाया बाजारी उधार ₹ 28,142 करोड़ थे। बाजारी उधारों में 18.83 प्रतिशत (₹ 4,460 करोड़) की निवल वृद्धि हुई। बिना किसी महामारी वाले वर्ष में भारी उधारों के सन्दर्भ में, राज्य सरकार ने अंतिम बैठक में कहा कि 2019-20 हेतु केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश (₹ 7,398 करोड़) के अंतर्गत अनुमानित प्राप्तियों के प्रति भारत सरकार ने ₹ 5,769 करोड़ के अनुमान

⁴ अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹1,68,972 करोड़) का 34.04 प्रतिशत

संशोधित किए। हालांकि केन्द्रीय करों व शुल्कों में राज्यांश के अंतर्गत राज्य सरकार को वास्तविक राशि मात्र ₹ 4,677 करोड़ जारी किए गए थे। जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार को खुले बाजार से और अधिक उधार लेने पड़े।

राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण स्वरूप (पैटर्न) में संगठनात्मक परिवर्तन आया है जिसे तालिका 2.30 में दर्शाया गया है। राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने के लिए 2015-16 से 2019-20 की अवधि में आंतरिक ऋण, भारत सरकार से प्राप्त ऋण, लोक लेखा सहित ऋण की प्रवृत्ति को चार्ट 2.19 में चिन्हांकित किया गया है।

तालिका-2.30: राजकोषीय घाटे के घटक तथा इसका वित्तपोषण स्वरूप (पैटर्न)

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राजकोषीय घाटे के संघटक	2,164.09	2,948.60[#]	3,869.87	3,512.54	5,597.41
क राजस्व अधिशेष	1,137.67	920.12	313.90	1,508.21	11.98
ख निवल पूंजीगत व्यय	-2,864.49	-3,499.03	-3,720.85	-4,574.59	-5,171.87
ग निवल अग्रिम एवं ऋण	-437.27	-369.69 [#]	-462.92	-446.15	-437.17
राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण स्वरूप (पैटर्न) *					
1 बाजारी उधार	1,664.45	2,162.65	2,550.99	2,108.10	4,460.00
2 भारत सरकार से प्राप्त ऋण	(-) 21.81	27.38	3.00	(-) 17.65	(-) 17.95
3 राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति	975.15	(-) 500.77	(-) 514.71	(-) 538.25	(-) 569.10
4 वित्त संस्थाओं से लिया गया ऋण	(-) 436.32	80.31 [#]	61.16	201.86	273.69
5 लघु बचत, भविष्य निधि	718.43	1,204.51	1,391.97	1,113.14	1,187.60
6 निक्षेप एवं अग्रिम	114.87	181.36	188.63	408.91	173.71
7 उचंत एवं विविध	(-) 33.55	(-) 71.74	(-) 118.76	1.08	(-) 1,404.92
8 प्रेषण	147.57	(-) 35.23	69.02	112.25	96.80
9 आरक्षित निधि	(-) 9.15	0.25	105.45	(-) 7.43	2,404.71
10 कुल घाटा	3119.64	3048.72	3736.75	3382.01	6604.54
11 नकद शेष में वृद्धि (-) गिरावट (+)	-955.55	-100.12	133.12	130.53	(-) 1,007.48
12 सकल राजकोषीय घाटा	2,164.09	2,948.60[#]	3,869.87	3,512.54	5,597.06

स्रोत: वित्त लेखे


*ये सभी आंकड़े वर्ष के दौरान संवितरित/जारी किए गए का कुल हैं।

[#] ₹ 2,890.50 करोड़ (डिस्कॉम को ऋण) की राशि को छोड़कर

2015-20 के दौरान राजकोषीय घाटे को बड़े पैमाने पर लोक ऋण के माध्यम से वित्त पोषित किया गया था, जिसमें बाजारी उधार, वित्तीय संस्थानों इत्यादि से प्राप्त ऋण सम्मिलित हैं।

चार्ट 2.19: 2015-20 के दौरान राजकोषीय घाटे के वित्तपोषित की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)



2019-20 में राजकोषीय घाटे (₹5,597 करोड़) को बड़े पैमाने पर बाजारी उधारों (₹4,460 करोड़) आरक्षित निधि (₹ 2,405 करोड़) एवं लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि (₹1,188 करोड़) द्वारा प्रबंधित किया गया था। तालिका 2.31 राजकोषीय घाटे के घटकों के तहत प्राप्तियों एवं संवितरणों को दर्शाती है।

तालिका -2.31: राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने वाले घटकों के तहत प्राप्तियां एवं संवितरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्राप्तियां	संवितरण	निवल
1 बाजारी उधार	6,580.00	2,120.00	4,460.00
2 भारत सरकार से प्राप्त ऋण	70.48	88.43	-17.95
3 राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति	0	569.10	-569.10
4 वित्त संस्थाओं से लिया गया ऋण	4,196.91	3,923.22	273.69
5 लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि	3,834.47	2,646.87	1,187.60
6 निक्षेप एवं अग्रिम	4,060.19	3,886.48	173.71
7 उच्चत एवं विविध	4,534.10	5,938.65	-1,404.55
8 प्रेषण	7,735.47	7,638.67	96.80
9 आरक्षित निधि	2,404.71	0	2,404.71
10 समग्र घाटा	33,416.33	26,811.42	6,604.91
11 नकद शेष में वृद्धि/गिरावट	52.70	1,060.18	-1,007.48
12 सकल राजकोषीय घाटा	33,469.03	27,871.60	5,597.43

स्त्रोत: वित्त लेखे

2.6.2 ऋण रूपरेखा: परिपक्वता एवं अदायगी


ऋण परिपक्वता एवं अदायगी रूपरेखा, ऋण अदायगी अथवा ऋण चुकाने में सरकार की प्रतिबद्धता की परिचायक है। राज्य के बकाया ऋणों एवं अग्रिमों (लोक ऋण) की परिपक्वता रूपरेखा तालिका 2.32 तथा चार्ट 2.20 में दी गई है।

तालिका 2.32: लोक ऋण की ऋण परिपक्वता रूपरेखा की अदायगी

परिपक्वता का वर्ष	चुकौती की अवधि (वर्षों में)	राशि (₹ करोड़ में)			प्रतिशत (लोक ऋण के संदर्भ में)
		आंतरिक ऋण	भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम	कुल	
2020-21 से	0 - 1	3,305	94	3,399	8
2021-22 से 2022-23 के मध्य	1 - 3	6,484	195	6,679	17
2023-24 से 2024-25 के मध्य	3 - 5	6,865	170	7,035	17
2025-26 से 2026-27 के मध्य	5 - 7	7,988	106	8,094	20
2027-28 से लगातार	7 और इससे अधिक	14,886	479	15,365	38
	अन्य ⁵	--	--	--	--
कुल		39,528	1,044	40,572	100

स्त्रोत: वित्त लेखे


⁵ इस राशि की भुगतान अनुसूची, लेखा व हकदारी विभाग द्वारा नहीं बनायी जाती है।



मार्च 2020 तक कुल बकाया लोक ऋण ₹ 40,572 करोड़ था। 31 मार्च 2020 तक लोक लेखा की बकाया पूंजी की परिपक्वता रूपरेखा दर्शाती है कि 62 प्रतिशत (₹ 25,207 करोड़) कुल बकाया ऋण सात वर्षों में तथा शेष ₹15,365 करोड़ (38 प्रतिशत) सात वर्षों के बाद परिपक्व होने थे।

ब्याज सहित बकाया लोक ऋण की अदायगी समय सारणी चार्ट 2.21 में दी गई है।

चार्ट-2.21: लोक ऋण की अदायगी समय-सारणी (₹ करोड़ में)




₹62,234 करोड़ के ब्याज सहित कुल बकाया लोक ऋण (मूलधन: ₹ 40,572 करोड़ एवं ब्याज: ₹ 21,662 करोड़) में से 11 प्रतिशत (₹ 6,735 करोड़) अगले वर्ष में देय है। 39 प्रतिशत (₹ 24,302 करोड़) 1-5 वर्षों के समय में देय है जबकि शेष 50 प्रतिशत (₹ 31,197 करोड़) पांच वर्ष से अधिक समय तक चुकाए जाने हैं। लोक ऋण अदायगी एवं ब्याज के रूप में वार्षिक धन निकासी 2024-25 तक के पांच वर्ष के दौरान लगभग ₹ 6,207 करोड़ होगी। लोक ऋण की वर्तमान वार्षिक अदायगी (मूलधन) ब्याज समेत ₹ 6,327 करोड़ (अर्थोपाय अग्रिम के ₹ 3,444 करोड़ छोड़कर) है।

दस वर्षों की अवधि में बकाया बाजारी ऋण की राशि तथा उस पर चुकाए जाने वाले ब्याज का विवरण चार्ट 2.22 में दिया गया है।

चार्ट 2.22: बाजारी ऋणों की अदायगी समय सारणी

(₹ करोड़ में)



राज्य को आगामी तीन वित्तीय वर्षों में अर्थात् 2022-23 तक बाजार ऋणों के मूलधन के ₹ 7,567 करोड़ तथा ब्याज के ₹ 5,960 करोड़ चुकाने होंगे। 2024-25 तक के आगामी दो वर्षों में ₹ 4,995 करोड़ मूलधन तथा ₹ 2,964 करोड़ ब्याज देय होगा। 2024-25 तक आगामी पांच वर्षों के दौरान ऋण अदायगी एवं ब्याज के रूप में वार्षिक धन निकासी लगभग ₹ 4,297 करोड़ होगी। ब्याज समेत ऋण की वर्तमान वार्षिक अदायगी ₹ 4,118 करोड़ है।

2025-26 से 2029-30 की अवधि में ₹12,480 करोड़ का ऋण तथा ₹ 3,737 करोड़ का ब्याज देय होगा। ऐसे में राज्य को इस अवधि के दौरान लगभग ₹ 3,243 करोड़ सालाना चुकाने होंगे।

2.7 ऋण धारणीयता विश्लेषण

सरकार के ऋण के परिमाण के अतिरिक्त, राज्य की ऋण धारणीयता का निर्धारण करने वाले तथा भविष्य में राज्य के ऋण दायित्वों को चुकाने में उसकी क्षमता का संकेत देने वाले विभिन्न मापदण्डों का विश्लेषण किया जाना महत्वपूर्ण है। यह प्रभाग बकाया ऋणों की वृद्धि; ब्याज भुगतान एवं राजस्व प्राप्ति, ऋण अदायगी एवं ऋण प्राप्ति के अनुपात; राज्य के पास उपलब्ध कुल ऋण के संदर्भों में सरकार के ऋण की धारणीयता का आंकलन प्रस्तुत करता है। **तालिका 2.33**, 2015-16 से प्रारंभ होकर अगले पांच वर्षों की अवधि हेतु इन संकेतकों के अनुसार राज्य की ऋण धारणीयता का विश्लेषण करती है।

तालिका 2.33: ऋण धारणीयता सूचकांकों की प्रवृत्ति

ऋण धारणीयता के सूचकांक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
बकाया लोक ऋण* (₹ करोड़ में)	27,910	32,570	34,671	36,425	40,572
बकाया लोक ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	8.48	16.70	6.45	5.06	11.39
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	1,14,239	1,25,634	1,38,351	1,53,845	1,65,472
सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.09	9.97	10.12	11.2	7.56
लोक ऋण / सकल घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	24.43	25.92	25.06	23.68	24.52
लोक ऋण को औसत ब्याज भुगतान (₹ करोड़ में)	2,244	2,459	2,829	2,958	3,071
बकाया लोक ऋण पर औसत ब्याज दर (ब्याज भुगतान/लोक ऋण का आरम्भिक शेष+लोक ऋण का अंत शेष/2) (प्रतिशत में)	8.37	8.13	8.41	8.32	7.97

ऋण धारणीयता के सूचकांक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राजस्व प्रतियों से ब्याज भुगतान का प्रतिशत	9.57	9.36	10.34	9.56	9.99
लोक ऋण से लोक ऋण संवितरणों का प्रतिशत	64.42	45.83	62.50	72.71	61.78
राज्य को उपलब्ध निवल लोक ऋण (₹ करोड़ में)#	(-) 63	2,201	(-)729	(-)1,204	1,075
ऋण प्राप्तियों से निवल ऋण उपलब्ध का प्रतिशत	-1.03	25.58	-13.02	-18.73	9.92
ऋण धारणीयता (प्रमात्रा विस्तार + प्राथमिक घाटा) (₹ करोड़ में)	1,470	1,010	511	1,559	-1,529

स्त्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य सरकार को उपलब्ध निवल ऋण की गणना लोक ऋण पर लोक ऋण अदायगी एवं ब्याज भुगतान के सापेक्ष अधिक लोक ऋण प्राप्तियों के रूप में की जाती है।

*बकाया लोक ऋण, केन्द्र सरकार से 6003-आंतरिक ऋण एवं 6004-ऋण एवं अग्रिम शीर्ष के अंतर्गत प्राप्त बकाया शेषों का योग है।


प्रमात्रा विस्तार= ऋण पूंजी* ब्याज विस्तार= सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि-औसत ब्याज दर

ऋण स्थिरता की आवश्यक शर्त है कि यदि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लोक ऋण के ब्याज दर से अधिक है, तो ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिर होने की संभावना होगी बशर्ते प्राथमिक शेष, शून्य अथवा धनात्मक अथवा मामूली रूप से ऋणात्मक हो। इस प्रकार, यदि प्राथमिक घाटा परिमाण विस्तार के साथ मिलकर ऋणात्मक हो जाता है, तो ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात बढ़ जाएगा।

यह स्पष्ट है कि 2015-16 से 2019-20 की पांच वर्ष की अवधि में सकल राज्य घरेलू उत्पाद से लोक ऋण का अनुपात 24 से 26 प्रतिशत की सीमा के भीतर था तथा बजट में ऋण हेतु निर्धारित 31.11 प्रतिशत की अधिकतम सीमा से कम था। विगत वर्ष की तुलना में 2019-20 में ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि मात्रा विस्तार के साथ प्राथमिक घाटे के ऋणात्मक आंकड़े के कारण हुई। 2015-16 से प्रारंभ हो कर पांच वर्षों हेतु ऋण धारणीयता संकेतकों की प्रवृत्ति चार्ट 2.23 में दर्शाई गई है।

चार्ट 2.23: ऋण धारणीयता संकेतकों की प्रवृत्ति

(प्रतिशत में)



2015-20 की अवधि के दौरान राज्य सरकार का लोक ऋण 2015-16 के ₹ 27,910 करोड़ से 45.37 प्रतिशत वृद्धि दर्ज करते हुए 2019-20 में ₹ 40,572 करोड़ तक बढ़ गया।

ब्याज भुगतान का भार राजस्व प्राप्तियों पर नौ से दस प्रतिशत तक था। 2015-20 के दौरान ऋण प्राप्तियों का 45.83 से 72.71 प्रतिशत मौजूदा देयताओं के निर्वहन में प्रयुक्त किया गया। यद्यपि, 2015-16 से 2019-20 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान जब सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 7.69 प्रतिशत की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर से वृद्धि हुई, बकाया लोक ऋण में 7.77 प्रतिशत की तीव्र दर से वृद्धि हुई।

2.7.1 उधार ली गई निधियों का उपयोग

उधार ली गई धनराशि का आदर्श उपयोग पूंजी सृजन तथा विकासात्मक गतिविधियों में होता है। उधार ली गई निधियों को वर्तमान खपत की पूर्ति में तथा बकाया ऋणों के ब्याज के भुगतान में उपयोग करना अनुचित है। विगत पांच वर्षों के दौरान उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्ति तालिका 2.34 तथा चार्ट 2.24 में दर्शाई गई है।

तालिका 2.34: उधार ली गई निधियों का उपयोग


(₹ करोड़ में)

वर्ष	1	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल उधारियां	2	6,129.21	8,603.31	5,600.29	6,427.40	10,847.39
पिछली उधारियों की चुकौती (मूलधन)	3	3,947.73 (64.41)	3,942.84 (45.83)	3,499.85 (62.49)	4,673.35 (72.71)	6,700.75 (61.77)
निवल पूंजीगत व्यय*	4	2,181.48 (35.59)	3,499.03 (40.67)	2,100.44 (37.51)	1,754.05 (27.29)	4,146.64 (38.23)
संवितरित निवल ऋण एवं अग्रिम	5	-शून्य-	1,161.44 (13.50)	- शून्य -	- शून्य -	- शून्य -
राजस्व व्यय के प्रति प्रयुक्त कुल उधारों का भाग	6	$\{2 - (3+4+5)\}$				
		- शून्य -				

*निवल पूंजीगत व्यय = कुल पूंजीगत व्यय - विविध पूंजीगत प्राप्तियां

कोष्ठक में दर्शाए आंकड़े उधार ली गई निधियों के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

चार्ट 2.24: उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्तियाँ



2015-20 के दौरान ऋण प्राप्तियों का कोई भी भाग राजस्व व्यय को पूरा करने में उपयोग नहीं किया गया था। उधार ली गई निधियां पिछले उधारों (मूलधन) की अदायगी तथा पूंजीगत व्यय हेतु उपयोग की गई थी।

2.7.2 गारंटी (प्रत्याभूति)-आकस्मिक देयताओं की प्राप्ति

गारंटियां राज्य की समेकित निधि पर वे आकस्मिक देयताएं होती हैं जो ऐसे उधारकर्ता, जिन्हें गारंटी दी गई है उनके बकाया(चूक) होने की स्थिति में उत्पन्न होती है। वित्त लेखाओं की विवरणी-9 तथा 20 के अनुसार, विगत पांच वर्षों में अधिकतम राशि हेतु राज्य द्वारा दी गई गारंटियां तालिका 2.35 में दी गई है तथा वे प्राप्तकर्ता/निकाय जिन्होंने 31 मार्च 2020 की समाप्ति तक राज्य सरकार की गारंटियां प्राप्त की उनके विवरण चार्ट 2.25 में दिए गए हैं।


तालिका 2.25: राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

(₹ करोड़ में)

गारंटियां	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
गारंटियों की बकाया राशि	3,714.39	4,550.42	4,393.66	4,309.21	1,947.07
वर्ष के दौरान वृद्धि	367.00	3,053.02	146.27	74.28	639.70
वर्ष के दौरान विलोपन	933.93	2,217.00	303.03	158.72	3001.84*
वर्ष के दौरान लागू	--	--	--	--	--
ब्याज (मानदंड) सहित गारंटी की बकाया राशि पर लागू सीमा	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व प्राप्ति का 40 प्रतिशत				
पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व प्राप्तियों के लिए गारंटी की बकाया राशि का प्रतिशत	21	19	17	16	6

* इस वर्ष के वित्त लेखाओं से हटाए गए ₹ 2,890.50 करोड़ (डिस्कॉम को ऋण) तथा ₹13.18 करोड़ (गारंटीकृत राशि पर प्रभारित ब्याज) की राशि को शामिल किया गया है क्योंकि यह विगत वर्षों के वित्त लेखाओं में अनजाने में राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियों के रूप में दर्शाए गए थे।

चार्ट- 2.25: 31 मार्च 2020 की समाप्ति तक गारंटियां प्राप्त करने वाले निकाय



स्रोत: वित्त लेखे

2019-20 के दौरान गारंटी की कोई राशि नहीं मांगी गई थी। वित्त लेखाओं के अनुसार 31 मार्च 2020 तक बकाया गारंटी ₹ 1,947 करोड़ थी। हालांकि, यह उल्लेखनीय है कि अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखे चालू नहीं थे तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं राज्य सरकार ने आंकड़ों के अंतर का मिलान

नहीं किया था। वर्ष के दौरान (₹ 640 करोड़) राज्य सरकार द्वारा जिन्हें गारंटियां दी गई वे मुख्य प्राप्तकर्ता थे विद्युत (₹ 325 करोड़), सांविधिक निगम एवं बोर्ड (₹ 210 करोड़), सरकारी कम्पनियां (₹ 66 करोड़) तथा सहकारी बैंक (₹ 39 करोड़)। 2019-20 की समाप्ति पर गारंटियों की बकाया राशि (₹ 1,948 करोड़) राज्य के पिछले वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों की छह प्रतिशत थी, जो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित 40 प्रतिशत के लक्ष्य के भीतर थी।

इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश नियमावली, 2009 एवं सरकार के दिशानिर्देशानुसार (6 मार्च 1992) गारंटी शुल्क (1 प्रतिशत) तथा प्रतिबद्धता प्रभार (0.2 प्रतिशत) गारंटी के मंजूरी के समय उधारकर्ताओं पर लगाया जाएगा। राज्य सरकार के पास निकायों/कम्पनियों से प्राप्त करने योग्य/देय गारंटी शुल्क एवं प्रतिबद्धता प्रभारों की राशि के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। विगत 10 वर्षों में (2018-19 तक), राज्य सरकार ने गारंटी शुल्क एवं प्रतिबद्धता प्रभारों की कोई राशि प्राप्त/उदग्रहित नहीं की। यद्यपि, 2019-20 के दौरान, हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम सीमित से गारंटी कमीशन शुल्क के रूप में ₹ 0.72 लाख की अल्प राशि प्राप्त की गई थी।

2.7.3 नकद शेष का प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ हुए अनुबंध के अनुसार, राज्य सरकारों को बैंक में न्यूनतम दैनिक नकद शेष बनाए रखना होगा। यदि किसी दिन शेष अनुमत न्यूनतम से कम हो जाता है, तो यह कमी समय-समय पर सामान्य अर्थोपाय अग्रिम/विशेष अर्थोपाय अग्रिम/ अधिविकर्ष लेकर पूरी की जाती है। राज्य सरकार के लिए सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की सीमा समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संशोधित की जाती है। राज्य सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक में ₹ 0.55 करोड़ का न्यूनतम नकद शेष बनाए रखना है। राज्य सरकार को सामान्य अर्थोपाय अग्रिमों हेतु अधिकतम सीमा 1 फरवरी 2016 से ₹ 550 करोड़ नियत है। भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखने के लिए विशेष अर्थोपाय अग्रिम भी देता है।

2019-20 के दौरान, राज्य सरकार 327 दिनों के लिए न्यूनतम दैनिक नकद शेष बनाए रख सकी। सरकार को 25 अवसरों पर ₹ 2,516 करोड़ अर्थोपाय अग्रिम के रूप में तथा 13 अवसरों पर ₹ 928 करोड़ अधिक विकर्ष भारतीय रिजर्व बैंक से लेना पड़ा जिसे वर्ष के दौरान ही चुकाया गया। वर्ष 2019-20 की समाप्ति पर कोई बकाया अर्थोपाय अग्रिम एवं अधिविकर्ष नहीं थे। वर्ष के दौरान ₹ 361 करोड़ राशि ब्याज के रूप में चुकाई गई थी। तालिका 2.36 में वर्ष के दौरान राज्य सरकार के नकद शेष तथा इनमें से किए गए निवेश को दर्शाती है।

तालिका 2.36: नकद शेष तथा उसके निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2019 को आरम्भिक शेष	31 मार्च 2020 को अंत शेष	वृद्धि (+)/ कमी (-)
(क) सामान्य नकद शेष			
कोषागारों में नकद	शून्य	शून्य	शून्य
स्थानीय-पारगमन में प्रेषण	शून्य	शून्य	शून्य
भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा	(-) 49.58	77.93	127.51
कुल	(-) 49.58	77.93	127.51

विवरण	1 अप्रैल 2019 को आरम्भिक शेष	31 मार्च 2020 को अंत शेष	वृद्धि (+) / कमी (-)
नकद शेष निवेश लेखा में किया निवेश	102.09	9,82.06	879.97
कुल (क)	52.51	10,59.99	1,007.48
(ख) अन्य नकद शेष एवं निवेश			
विभागीय अधिकारियों अर्थात् लोक निर्माण के अधिकारियों, वन विभाग अधिकारियों, जिला मजिस्ट्रेट के पास नकद	0.16	0.16	शून्य
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	0.03	0.03	शून्य
निर्धारित निधि का निवेश	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (ख)	0.19	0.19	शून्य
कुल (क+ख)	52.70	10,60.18	1,007.48
वसूल किया गया ब्याज	66.90	55.02	-11.88

वर्ष की सम्पत्ति पर राज्य सरकार का नकद शेष 2018-19 के ₹ 52.70 करोड़ से ₹ 1,007.48 करोड़ की उल्लेखनीय वृद्धि के साथ, 2019-20 में 1,060.18 करोड़ हो गया। नकद शेष से किया गया निवेश भी ₹102.90 करोड़ से बढ़कर ₹ 982.06 करोड़ हो गए।

राज्य सरकार उसके अधिशेष नकद शेष को अल्प एवं दीर्घकालिक भारत सरकार की प्रतिभूतियों तथा कोषागार बिलों में निवेश करती है। इस तरह के निवेशों से प्राप्त लाभ को 0049-ब्याज प्राप्तियां शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियों के रूप में जमा किया जाता है। राज्य सरकार ने 2019-20 के दौरान भारत सरकार की प्रतिभूतियों एवं कोषागार बिलों में किए गए नकद शेष निवेशों से ₹ 55.02 करोड़ का ब्याज अर्जित किया गया था।

2015-16 से 2019-20 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान राज्य के नकद शेष निवेश तालिका 2.37 में दिए गए हैं।

तालिका-2.37: नकद शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष- 8673)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरम्भिक शेष	अंत शेष	वृद्धि (+) / गिरावट (-)	अर्जित ब्याज
2015-16	00	556.80	556.80	39.59
2016-17	556.80	759.43	202.63	53.30
2017-18	759.43	723.72	(-) 35.71	81.13
2018-19	723.72	102.09	(-) 621.63	66.90
2019-20	102.09	982.06	879.97	55.02

स्त्रोत: वित्त लेखे।


2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान राज्य सरकार के नकद शेष निवेश की प्रवृत्ति का विश्लेषण उजागर करता है कि 2015-17 के दौरान निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई तदोपरांत लगातार दो वर्ष क्रमशः गिरावट हुई। 2019-20 के दौरान, निवेश में पुनः ₹ 880 करोड़ की वृद्धि हुई।

राज्य सरकार को भारी नकद शेष उपलब्ध होने के बावजूद उसका सृजनात्मक उपयोग किए बिना बाजारी ऋणों का सहारा लेना पड़ा, यह खराब निगरानी संकेत है कि जिससे नकद शेष में अभिवृद्धि हुई।

चार्ट 2.26, 2015-20 की अवधि के दौरान राज्य द्वारा लिए गए बाजारी ऋण तथा नकद शेष में उपलब्ध शेषों की तुलना प्रस्तुत करता है। बाजारी ऋण, उच्च ब्याज दरों पर लिए गए थे जबकि कोषागार बिलों में निवेश न्यूनतम दरों पर ब्याज प्राप्त करते हुए किए गए थे।


चार्ट 2.26: बाजारी ऋण के सापेक्ष नकद शेष

(₹ करोड़ में)



चार्ट 2.27 2019-20 के दौरान नकद शेष तथा निवेश लेखा से नकद शेष की माह-वार तुलना प्रस्तुत करता है।

चार्ट 2.27 : 2019-20 के दौरान नकद शेष तथा निवल नकद शेष निवेशों की माह वार गतिविधि



स्रोत: मासिक सिविल लेखे।

राज्य सरकार को नकद शेष उपलब्ध होने के बावजूद उसका सृजनात्मक उपयोग किए बिना वर्ष के दौरान बाजारी ऋणों का सहारा लेना पड़ा। राज्य के पास पर्याप्त नकद शेष होने के बावजूद वर्ष 2019-20 के दौरान, राज्य सरकार ने बाजार से ₹ 4,660 करोड़ उठाए जबकि इस उधार से काफी हद तक बचा जा सकता था।

2.8 निष्कर्ष

- राज्य ने 14वें वित्त आयोग द्वारा की गई संस्तुति के अनुसार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में अभी तक संशोधन नहीं किया है। बजट/मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में अनुमानित लक्ष्यों तथा राजस्व घाटे/अधिशेष एवं राजकोषीय घाटे के वास्तविक आंकड़ों के मध्य उल्लेखनीय अन्तर पाया गया। मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी में निर्धारित लक्ष्य 14वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप नहीं थे।
- यद्यपि राज्य ने राजस्व अधिशेष बनाए रखने का लक्ष्य प्राप्त किया था तथापि इसमें लगातार गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई। 2016-20 के दौरान राज्य में 14 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्रीय अंतरणों में वृद्धि के कारण लगातार राजस्व अधिशेष हुआ। राजस्व अधिशेष में 2016-17 से 2019-20 तक (2018-19 के अतिरिक्त) निरंतर गिरावट देखी गई यह ₹ 1,137 करोड़ (2015-16), ₹ 920 करोड़ (2016-17); ₹ 314 करोड़ (2017-18), ₹ 1,508 करोड़ (2018-19) तथा ₹ 12 करोड़ 2019-20 के दौरान रहा।
- राजकोषीय घाटा (₹ 5,597 करोड़) सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.38 प्रतिशत था जो 2019-20 के दौरान लक्ष्य से तीन प्रतिशत या उसके कम से आगे बढ़ गया। इस घाटे को मुख्य रूप से बाजारी उधारों के द्वारा प्रबंधित किया गया। राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि में वर्ष 2018-19 को छोड़कर लगातार गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई। 2015-16 में हुई 31.37 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2019-20 में राजस्व प्राप्तियों में 0.67 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान खपत को पूरा करने के लिए उधार ली गई निधियों पर निर्भरता बहुत अधिक हो गई। राज्य के स्वयं के संसाधनों, जिसमें कर एवं कर-भिन्न शामिल है, से मात्र 33 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियां आई जबकि शेष 67 प्रतिशत केन्द्रीय अंतरणों द्वारा दी गई जिसमें केन्द्रीय करों व शुल्को का राज्यांश (15 प्रतिशत) एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान (52 प्रतिशत) शामिल थे।
- राजस्व व्यय 2015-20 की अवधि के दौरान कुल व्यय का औसतन 84.4 प्रतिशत (78.9 प्रतिशत से 87.0 प्रतिशत में मध्य) रहा। 2015-20 के दौरान पांच वर्ष की अवधि में राजस्व व्यय की वृद्धि-दर में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई। 2015-20 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान प्रतिबद्ध व्यय राजस्व व्यय का 68 से 71 प्रतिशत के मध्य रहा जबकि यह राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 65 से 70 प्रतिशत था।
- पूंजीगत व्यय में विगत वर्ष 2018-19 (₹ 4,583 करोड़) से 2019-20 के दौरान (₹ 5,174 करोड़) ₹ 591 करोड़ की वृद्धि (13 प्रतिशत) हुई तथा यह कुल व्यय का 14 प्रतिशत रहा।
- समग्र राजकोषीय देयताएं विगत वर्ष की अपेक्षा वर्ष की समाप्ति पर 14.57 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ₹ 62,212 करोड़ थी। कुल राजकोषीय देयताएं-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात विगत वर्ष से 2019-20 में 2.31 प्रतिशत बढ़ गया तथा 37.60 प्रतिशत पर स्थिर हुआ जो 14वें वित्त आयोग के लक्ष्यों से ऊपर था। सरकार का आंतरिक ऋण 2018-19 के ₹ 35,363 करोड़ से 2019-20 के दौरान बढ़ कर ₹ 39,528 करोड़ (11.78 प्रतिशत) हो गया।

- 31 मार्च 2020 तक राज्य सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, सरकारी कम्पनियों एवं सहकारिताओं में उसके कुल निवेश (₹4,261.06 करोड़) पर 5.83 प्रतिशत प्रतिफल अर्जित किया। हालांकि, मात्र एक कम्पनी ने कुल प्रतिफल का 98 प्रतिशत दिया। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने आठ कम्पनियों, निगमों में ₹ 1,772.72 करोड़ का निवेश किया जिनका नेट वर्थ पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका था। यह सरकारी निवेशों के क्षरण में परिणत हुआ।
- विगत पांच वर्षों में (मार्च 2020 तक) विद्युत परियोजनाओं तथा उद्योग एवं खनिज के अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा ऋणों की चुकौती नहीं की गई थी तथा फसलपालन को मामूली अदायगी के बावजूद अतिरिक्त ऋण दिए गए। वर्ष के दौरान समग्र बकाया शेष में वृद्धि हुई।
- राज्य सरकार ने 31 मार्च 2020 तक पांच आरक्षित निधियों का संचालन किया जिसमें से दो सब्याज आरक्षित निधियां (₹ 1,887.65 करोड़ क्रेडिट) हैं तथा तीन ब्याज रहित आरक्षित निधियां (₹ 834.66 करोड़ क्रेडिट) हैं। वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने इन निधियों को निवेशित नहीं किया था।

2.9 सिफारिशें

- राज्य सरकार, अपने स्वयं के कर-राजस्व के संवर्धन हेतु प्रयास करें। वह लम्बित कर दावों का समय बद्ध निपटान, कर आंकलन में बकाया का निपटान, राजस्व बकाया की वसूली करें तथा बेहतर संसाधन जुटाने की दिशा में कर-भिन्न राजस्व में सुधार करें;
- राज्य सरकार प्रतिबद्ध व्यय को कम करने के तरीके खोजें ताकि विकास व्यय के हेतु अधिक निधियां उपलब्ध कराई जा सकें;
- राज्य सरकार लाभ अर्जित करने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उधार लेने की उच्च लागत को देखते हुए इनमें निवेश की गई पूंजी पर उचित प्रतिफल सुनिश्चित करने के मार्ग खोजें;
- सरकार विभिन्न क्षेत्रों को अग्रिम के रूप में दिए गए ऋणों की वसूली करने में कमजोर रही अतः राज्य सरकार ऋणों एवं अग्रिमों को अनुदान के रूप में माने तथा लेखाओं में उनकी सही स्थिति दर्शाने के लिए उन्हें राजस्व व्यय के रूप में बुक करें।
- राज्य सरकार अपूर्ण परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित करें तथा यह सुनिश्चित करें कि कोई अतिरिक्त लागत वृद्धि ना हो;
- राज्य सरकार को राजस्व व्यय के प्राथमिकताओं का निर्धारण करना चाहिए ताकि राज्य को भविष्यगामी देयताओं से निपटने के लिए उधारों पर कम निर्भर किया जा सकें।

अध्याय-III

बजटीय प्रबंधन

अध्याय-III


बजटीय प्रबंधन

3.1 बजट प्रक्रिया

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 की अनुपालना में, राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में राज्य के विधानमण्डल के समक्ष राज्य की उस वर्ष हेतु प्राक्कलित प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण रखवाएगा जिसे “वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)” कहा जाता है। व्यय के प्राक्कलन, व्यय के “प्रभारित” एवं “दत्तमत” मदों¹ को अलग-अलग प्रदर्शित करते हैं तथा राजस्व लेखे पर व्यय को अन्य व्यय से अलग करते हैं। राज्य सरकार द्वारा कोई भी व्यय करने से पहले विधायिका से प्राधिकार लेना आवश्यक होता है। बजट से सम्बन्धित जरूरी शब्दों की शब्दावली **परिशिष्ट 3.1** में दर्शाई गई है।

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली के अनुसार, वित्त विभाग विभिन्न विभागों से प्राक्कलन प्राप्त करके वार्षिक बजट बनाता है। नियंत्रण अधिकारी विभाग प्रमुखों के परामर्श पर प्राप्तियों एवं व्यय का विभागीय प्राक्कलन बनाते हैं तथा निर्धारित तिथियों पर वित्त विभाग को प्रस्तुत करते हैं। वित्त विभाग प्राक्कलनों को एकत्रित कर विस्तृत प्राक्कलन बनाता है जिसे 'अनुदानों की मांग' कहा जाता है। राज्य का बजट **चार्ट 3.1** में दिए गए निम्नलिखित दस्तावेजों से मिल कर बनता है।

चार्ट 3.1: राज्य के बजट दस्तावेज का विवरण




¹ **प्रभारित व्यय:** व्यय की कुछ श्रेणियां (अर्थात् संवैधानिक प्राधिकरणों के वेतन, ऋण चुकौती, इत्यादि) राज्य की समेकित निधि पर प्रभार गठित करती हैं तथा इनके लिए विधायिका की सम्मति आवश्यक नहीं होती।

दत्तमत व्यय: अन्य सभी व्यय हेतु विधायिका की सम्मति आवश्यक होती है।

बजट के विभिन्न घटकों को नीचे चार्ट 3.2 में दर्शाया गया है:

चार्ट-3.2: वर्ष 2019-20 के बजट कार्यान्वयन का सारांश



स्रोत: बजट नियमावली एवं विनियोजन लेखे में निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर

3.1.1 वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरण तथा बचत का सारांश

2019-20 में व्यय का कुल बजट प्रावधान ₹ 53,708 करोड़ था। वर्ष के दौरान ₹ 45,528 करोड़ (84.77 प्रतिशत) का वास्तविक व्यय हुआ। इसके परिणामस्वरूप ₹ 8,180 करोड़ (15.23 प्रतिशत) की बचत हुई। 32 अनुदानों/ विनियोजनों हेतु बजटीय प्रावधानों की तुलना में हुए वास्तविक व्यय (वर्ष 2019-20) की सारांशित स्थिति तालिका 3.1 में दी गई है।

तालिका-3.1: वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बजट प्रावधान, वास्तविक संवितरण तथा बचत/ आधिक्य (₹ करोड़ में)

कुल बजट प्रावधान		संवितरण		बचत (-)/आधिक्य (+)	
दत्तमत्त	प्रभारित	दत्तमत्त	प्रभारित	दत्तमत्त	प्रभारित
42,255	11,453	34,507	11,021	-7,748	-432

स्रोत: विनियोजन लेखे

3.1.2 प्रभारित एवं दत्तमत्त संवितरण

विगत पांच वर्षों (2015-20) के दौरान कुल संवितरण का प्रभारित एवं दत्तमत्त में विनियोजन तालिका 3.2 में दिया गया है।

तालिका-3.2: 2015-16 से 2019-20 के दौरान संवितरण एवं बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल बजट प्रावधान		संवितरण		बचत (-) / आधिक्य (+)	
	दत्तमत्त	प्रभारित	दत्तमत्त	प्रभारित	दत्तमत्त	प्रभारित
2015-16	27,459	4,829	24,908	7,188	-2,551	2359
2016-17	31,253	7,423	31,312	7,396	59	-27
2017-18	33,869	7,399	30,440	7,371	-3,428	-28
2018-19	37,936	9,048	33,620	8,849	-4,316	-199
2019-20	42,255	11,453	34,507	11,021	-7,748	-432

स्रोत: विनियोजन लेखे

जैसा कि तालिका-3.2 से देखा जा सकता है कि दोनों खंडों (दत्तमत्त एवं प्रभारित) में बचतें हुई हैं। 2015-16 तथा 2017-18 से 2019-20 के दौरान दत्तमत्त खण्ड के तहत तथा विगत चार साल अर्थात् 2016-17 से 2019-20 के दौरान प्रभारित खण्ड के तहत बचतें हुई हैं।

3.2 विनियोजन लेखे

विनियोजन लेखे प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विभिन्न उद्देश्यों हेतु दत्तमत्त अनुदानों एवं प्रभारित विनियोजनों की राशि की तुलना में सरकार के व्यय के लेखे होते हैं। ये लेखे मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण एवं पुनर्विनियोजन को अलग-अलग करके दर्शाते हैं तथा जो बजट की प्रभारित एवं दत्तमत्त दोनों मदों के सम्बन्ध में विनियोजन अधिनियम द्वारा प्राधिकृत है, उनकी तुलना में विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजी एवं राजस्व व्यय को दर्शाते हैं। इस प्रकार, विनियोजन लेखे, निधियों के उपयोग की समझ, वित्त के प्रबंधन तथा बजटीय प्रावधानों की निगरानी की सुविधा प्रदान करते हैं तथा इसलिए वित्त लेखाओं के पूरक होते हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोजनों की लेखापरीक्षा यह पता लगाने का प्रयास करती है कि क्या वास्तव में विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया व्यय विनियोजन अधिनियम के तहत दिए गए प्राधिकरण के अनुसार है, तथा यह कि संविधान (अनुच्छेद 202) के प्रावधानों के तहत प्रभारित व्यय इसी प्रकार प्रभारित किया गया है। यह ये भी सुनिश्चित करती है कि क्या किया गया व्यय कानूनों, प्रासंगिक नियमों, विनियमों तथा निर्देशों के अनुरूप है।

3.3 बजटीय एवं लेखा प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर टिप्पणी

3.3.1 कानूनी प्राधिकार के बिना किया गया व्यय

संविधान के अनुच्छेद 204 के प्रावधानों के अनुसार पारित कानून द्वारा किए गए विनियोजन के तहत आहरित धन के अतिरिक्त राज्य की समेकित निधि से कोई भी धन नहीं निकाला जाएगा। राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम रूप में, पुनर्विनियोजन, अनुपूरक अनुदान या विनियोजन द्वारा अतिरिक्त निधियां प्राप्त करने के अतिरिक्त निधियों के प्रावधान के बिना किसी योजना/सेवा पर नई योजना पर व्यय नहीं किया जाना चाहिए।

तालिका 3.3 में बिना बजट प्रावधान के किए गए व्यय का सारांश दर्शाया गया है। इसे संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना माना जाता है। राज्य सरकार को ऐसे व्ययों से बचना चाहिए। यदि किन्हीं परिस्थितियों में व्यय अपरिहार्य हो जाता है, तो वित्त विभाग को अनुच्छेद 205 एवं 206 के तहत प्रावधानों का पालन अवश्य करना चाहिए।

तालिका 3.3: बजट प्रावधान के बिना हुए व्यय का सारांश

(₹ लाख में)

अनुदान/ विनियोजन	लेखा शीर्ष	व्यय	योजना/उप शीर्ष के नाम
प्रभारित			
5	2053-00-093-01-S00N	1.20	सामान्य स्थापना
दत्तमत			
11	2401-00-109-32-C90N	207.30	राष्ट्रीय बांस मिशन
	2401-00-109-32-S10N	23.03	राष्ट्रीय बांस मिशन
	2401-00-800-14-S00N	295.61	फसल विविधीकरण परियोजना जापान अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संस्था
	4402-00-102-02-S00N	0.82	लघु किसान विकास संस्था (आर.आई.डी.एफ.)
22	2408-01-102-13-S25N	817.00	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को गेहूं व चावल पर सब्सिडी
32	2059-01-789-04-S10N	4.88	सरकार के स्वामित्व वाले आंगनवाडी केंद्रों का रखरखाव
योग		1349.84	

स्त्रोत: विनियोजन लेखे

3.3.2 विनियोजन अधिनियम/अनुदानों के लिए विस्तृत मांगों द्वारा अन्तरणों को अधिदेशित न करना (लोक लेखा/बैंक खातों में)

विनियोजन अधिनियम, वित्तीय वर्ष के दौरान इंगित अनुदान के तहत व्यय किए जाने का प्राधिकार देता है। इस कारण विनियोजन अधिनियम के माध्यम से राज्य की समेकित निधि से लोक लेखा शीर्षों अथवा बैंक खातों में धन राशि अन्तरित किए जाने का प्राधिकार नहीं है।

चालू वर्ष (2019-20) के दौरान इस प्रकार के मामले नहीं देखे गए।

3.3.3 पूंजीगत व्यय का राजस्व व्यय एवं प्रभारित व्यय व दत्तमत व्यय तथा एक दूसरे में गलत वर्गीकरण

व्ययों तथा प्राप्तियों का गलत वर्गीकरण वित्तीय विवरणों की सत्यनिष्ठा पर गहरा प्रभाव डालता है। राज्य के वित्तीय नियम विनियोजन की प्राथमिक इकाईयों को श्रेणीबद्ध करते हैं। पूंजीगत सम्पत्तियों एवं अन्य पूंजीगत व्यय की प्राप्ति का प्रावधान रखने के लिए विशिष्ट वस्तु शीर्ष बनाए गए हैं। पूंजीगत प्रकृति के व्यय की बुकिंग से संबंधित ये वस्तुएं केवल पूंजीगत मुख्य शीर्षों के अनुरूप होने चाहिए। राजस्व प्रकृति के व्यय का पूंजीगत व्यय में अथवा पूंजीगत प्रकृति के व्यय का राजस्व व्यय में वर्गीकरण, राजस्व व्यय के अत्योक्ति/न्यूनोक्ति तथा राजस्व घाटा/अधिशेष में परिणत होता है।

चालू वर्ष (2019-20) के दौरान इस प्रकार के मामले नहीं देखे गए।


3.3.4 अनावश्यक अथवा अपर्याप्त अनुपूरक अनुदान

बजट में हुई संभावित अथवा वास्तविक बचतों को व्यय की नई मदें प्रस्तुत करने के अवसर के रूप में नहीं माना जाना चाहिए तथा उन्हें (ऐसे व्यय को) अगले वर्ष तक रोका जाना चाहिए। बजट में स्पष्ट रूप से हुई बचतों को इस डर के बिना कि अगले वर्ष बजट आवंटन घट जाएगा, अभ्यर्पित किया जाना चाहिए।

एक उप-शीर्ष से दूसरे में बहुत अधिक पुनर्विनियोजन करने से सदैव बचना चाहिए। वर्ष के दौरान नया व्यय प्रस्तुत करने के लिए तर्कपूर्ण स्पष्टीकरण यह है कि वह नया व्यय, जिसे टाला नहीं जा सकता अथवा जो अनिवार्य रूप से आवश्यक हो अथवा वह जो महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था निर्मित करेगा अथवा वह जो राजस्व या जनता को सुरक्षित रूप से संरक्षित करने हेतु आवश्यक हो, परन्तु ऐसी परिस्थिति में यह अवश्य दर्शाया जाए कि यह आवश्यकताएं पहले से ज्ञात नहीं थी तथा बजट में इसका प्रावधान किया गया था। पुनर्विनियोजन की प्रक्रिया मात्र त्रुटियां तथा दूरदृष्टि के अभाव को सुधारने हेतु नहीं बनाई गई है।

16 अनुदानों (राजस्व/पूँजीगत-दत्तमत तथा प्रभारित-दत्तमत) के तहत 18 मामलों में (प्रत्येक मामले में एक करोड़ या अधिक) ₹ 438.61 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान (तालिका 3.4) के स्तर तक भी नहीं पहुंचा। ₹ 217.57 करोड़ के अनुपूरक अनुदान के दो अन्य मामले (तालिका 3.5) अपर्याप्त सिद्ध हुए क्योंकि वे आवश्यकता को पूरा करने हेतु पर्याप्त नहीं थे (चार्ट 3.3)।

चार्ट 3.3: अनावश्यक तथा अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान



स्रोत: विनियोजन लेखे

नीचे तालिका 3.4 में उन मामलों का विवरण वर्णित है जहां अनुपूरक अनुदान (प्रत्येक मामले में एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए।

तालिका 3.4: उन मामलों का विवरण जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधानों से बचत
राजस्व-दत्तमत					
1	04-सामान्य प्रशासन	219.78	19.31	185.02	34.76
2	07- पुलिस एवं सम्बन्धित संगठन	1,429.08	3.98	1,220.59	208.48
3	09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2,172.35	33.59	1,828.22	344.13
4	10-लोक निर्माण-सड़कें, पुल एवं भवन	3,540.28	29.66	2,833.11	707.16
5	12-बागवानी	350.92	24.07	296.35	54.57
6	21-सहकारिता	33.52	1.21	29.95	3.58
7	23-विद्युत विकास	505.71	39.98	416.93	88.78
8	24-छपाई एवं लेखन सामग्री	29.13	1.20	28.18	0.95
9	26-पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन	69.20	19.96	32.97	36.23
10	29-वित्त	6,774.49	6.76	5,568.29	1,206.20
11	30-अन्य सामान्य सेवाएं	91.09	6.18	85.96	5.13
राजस्व-प्रभारित					
12	03- न्याय प्रशासन	50.47	2.97	42.08	8.39
पूंजी-दत्तमत					
13	07- पुलिस एवं सम्बन्धित संगठन	68.33	13.89	61.24	7.09
14	08-शिक्षा	96.85	10.40	77.02	19.83
15	14-पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य पालन	18.46	1.89	14.93	3.53
16	26- पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन	57.79	8.50	37.34	20.45
17	31-जनजातीय विकास	375.38	64.14	345.48	29.89
18	32-अनुसूचित जाति विकास	1,118.25	150.92	1,037.55	80.70
योग		17,001.08	438.61	14,141.21	2,859.85

स्त्रोत: विनियोजन लेखे।

तालिका 3.5: उन मामलों का विवरण जहां अनुपूरक अनुदान (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) अपर्याप्त सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय	आधिव्यय
राजस्व: दत्तमत					
1	22- खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति	275.36	39.90	316.76	1.49
पूंजीगत: दत्तमत					
2	13-सिंचाई, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	709.05	177.66	934.79	48.08
योग		984.41	217.57	1251.55	49.57

यद्यपि राज्य सरकार ने अनुपूरक अनुदानों की मांग सम्बन्धित अनुदानों के तहत विभिन्न योजनाओं में होने वाले अतिरिक्त व्यय का हवाला देते हुए की थी, तथापि अंतिम व्यय मूल प्रावधानों से भी कम रहा। यह दर्शाता है कि प्रशासनिक विभाग मासिक व्यय नियंत्रण तंत्र के माध्यम से व्यय की खराब निगरानी करने के कारण वित्तीय वर्ष की शेष अवधि हेतु वास्तव में आवश्यक निधियों का उचित आंकलन/अनुमान नहीं कर पाया था।

3.3.5 पुनर्विनियोजन हेतु पूर्व विधायी प्राधिकरण की आवश्यकता

पुनर्विनियोजन-अर्थात् एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनियोजन की एक इकाई से हुई बचतों का, उसी अनुदान या प्रभारित विनियोजन के भीतर अन्य इकाई के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए अन्तरण। इस प्रकार, सरकार को एक ही अनुदान के भीतर विनियोजन की एक इकाई से दूसरे इकाई में प्रावधानों को पुनर्विनियोजित करने की अनुमति है अतः मूल प्रावधान के गंतव्य को एक उद्देश्य से दूसरे के लिए बदलना, निर्धारित सीमाओं एवं प्रतिबंधों के अधीन है। किसी भी उद्देश्य हेतु विधानसभा किसी निश्चित प्रयोजन के लिए दत्तमत अनुपूरक अनुदानों से पुनर्विनियोजन नहीं किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि अनुपूरक अनुदान जिस प्रयोजनार्थ सम्मत किया गया है उसी के लिए प्रयोग किया जाए तथा अन्य किसी उद्देश्य हेतु नहीं।

तीन अनुदानों के तहत, चार बड़े मामले पाए गए, जहां चालू वर्ष के दौरान विधायिका की पूर्व स्वीकृति के बिना अनुपूरक अनुदान/प्रावधानों (₹ 9.63 करोड़) से ₹ 6.82 करोड़ (71 प्रतिशत) का पुनर्विनियोजन किया गया था, जैसा कि तालिका 3.6 में दिखाया गया है।

तालिका-3.6: अनुपूरक अनुदान से किए गए पुनर्विनियोजन का विवरण

(₹ में)

क्रम सं०	अनुदान सं०	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	पुनर्विनियोजन
1	9	2210-05-105-17	0	4,88,44,000	0	4,88,44,000
2	10	4059-01-051-38	0	10,80,000	34,970	10,45,000
3		5054-04-337-06	0	3,66,51,000	1,91,80,000	1,74,71,314
4	27	2230-02-101-04	0	97,63,500	89,40,383	8,23,117
योग			0	9,63,38,500	2,81,55,353	6,81,83,431

स्रोत: विनियोजन लेखे।

ये सभी पुनर्विनियोजन 31 मार्च 2020 तक किए गए थे तथा ऐसा करने के कारण संहितागत औपचारिकताएं पूर्ण न होना (अनुदान सं० 9), तालाबंदी (लॉकडाउन) लागू होना (अनुदान सं० 10) तथा बिजली के बिल कम होना (अनुदान सं० 27) थे।

मार्च 2020 के तीसरे सप्ताह में लॉकडाउन लगने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए, दिए गए कारणों तथा पुनर्विनियोजनों की तिथि से यह स्पष्ट है कि सम्बन्धित विभाग नियमित आधार पर अनुमानित आवधिक व्ययों का आंकलन करने में विफल रहा।

3.3.6 अनावश्यक अथवा अत्याधिक पुनर्विनियोजन

किसी अनुदान के भीतर विनियोजन की उस एक इकाई से जहां बचतें प्रत्याशित हैं, उस दूसरी इकाई में जहाँ अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है, निधियों का अन्तरण पुनर्विनियोजन कहलाता है। अनावश्यक अथवा अत्याधिक सिद्ध हुए पुनर्विनियोजनों का विवरण तालिका 3.7 में दर्शाया गया है।

तालिका:-3.7 अत्याधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान सं०	लेखा शीर्ष	प्रावधान				वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य(+)/ बचत (-)
			मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	कुल		
1	5- भू-राजस्व व जिला प्रशासन	2245-80-102-05	5.50	0.00	8.85	14.35	0.00	-14.35
2	8-शिक्षा	2202-02-109-15	11.85	0.00	4.99	16.84	0.00	-16.84
		2202-80-107-08	5.00	0.00	7.00	12.00	0.00	-12.00
3	13-सिंचाई, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	4215-01-102-23	72.13	0.00	36.52	108.65	165.24	56.59
4	15-योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	5054-04-800-06	33.13	0.00	7.40	40.53	24.65	-15.88
		5475-00-800-01	79.52	0.00	4.25	83.77	56.45	-27.32
5	20-ग्रामीण विकास	2216-03-102-04	8.22	0.00	2.49	10.71	0.10	-10.61
6	29-वित्त	2049-03-104-01	1,265.95	0.00	182.42	1,448.37	1,143.72	-304.65
7	31- जनजातीय विकास	2202-03-796-02	21.81	0.00	8.85	30.66	5.58	-25.08
8	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	2225-01-789-08	0.00	0.00	18.86	18.86	0.28	-18.58
		2236-02-789-01	20.56	0.00	0.46	21.02	8.49	-12.53
		2501-06-789-06	6.30	0.00	12.40	18.70	0.00	-18.70

स्त्रोत: विनियोजन लेखे।

इन सभी मामलों में पुनर्विनियोजन आदेश 31 मार्च 2020 को दिए गए थे तथा इनमें सम्बन्धित योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता को निर्दिष्ट किया गया था। आठ मामलों में से सात मामलों में पुनर्विनियोजन अनावश्यक सिद्ध हुए, क्योंकि इन मामलों में हुई बचतें पुनर्विनियोजन राशि से अधिक थी। यद्यपि, पूंजीगत से राजस्व में तथा राजस्व से पूंजीगत में एवं दत्तमत से प्रभारित या प्रभारित से दत्तमत में पुनर्विनियोजन होने का कोई मामला 2019-20 के दौरान नहीं देखा गया।

3.3.7 बचतें

पूर्ण रूप से सटीक अनुमान लगाना हमेशा संभव नहीं होता; परंतु जहां दूरदर्शिता के अभाव, स्पष्ट अनुमान की उपेक्षा अथवा असावधानी पूर्ण अनुमान के परिणामस्वरूप त्रुटि पूर्ण अथवा गलत अनुमान बनाया जाता है, वहां इसे आसानी से स्वीकार नहीं किया जा सकता। बजट में हर उस चीज का, जिसे पहले से भांपा जा सके प्रावधान करने तथा जितना आवश्यक हो उतना ही प्रावधान करना, सभी प्राक्कलन अधिकारियों का स्वर्णिम सिद्धांत माना जाना चाहिए। प्रशासनिक एवं वित्त विभागों को अनुमानों की जांच करते समय, विगत वास्तविकों के प्रमाणित तथा अच्छी तरह से जांचे गए औसत को, साथ ही उन ज्ञात अथवा यथोयोग्य पूर्वाभास तथ्यों को जो औसत में संशोधन ला सकते हैं, कठोरता से लागू करना चाहिए।

जब अभ्यर्पण की आवश्यकता स्वतः प्रकट होती है, नियंत्रण अधिकारियों को अभ्यर्पित की जाने वाली धनराशि का आंकलन सतर्कता से करना चाहिए। जितना हो सके उतना अधिक अभ्यर्पण करने का लक्ष्य होना चाहिए ताकि व्यय को संशोधित अनुदान के भीतर रखा जा सके।

अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित बजटीय आवंटन, खराब व्यय निगरानी तंत्र, योजना कार्यान्वयन की कमजोर क्षमता/कमजोर आन्तरिक नियंत्रण ने वित्तीय वर्ष के अंत में निधियां जारी करने को प्रोत्साहित किया तथा बड़ी शेष राशि को सरकारी खाते के बाहर, बैंक खातों में रोके रखने की विभागों की प्रवृत्ति को बढ़ाया। अत्यधिक बचतों ने अन्य विभागों को भी निधियों से वंचित किया जिसे उपयोग किया जा सकता था।

i) आवंटन की तुलना में बचतें

₹ 8,180 करोड़ की सकल बचतें पाई गईं। विनियोग के विश्लेषण से पता चला कि 57 मामलों में, बचत कुल प्रावधान के ₹ एक करोड़ या 20 प्रतिशत से अधिक हुई, जैसा कि परिशिष्ट -3.2 में वर्णित है। विभिन्न अनुदानों में ₹ 45,451.32 करोड़ के कुल प्रावधान के प्रति ₹ 8,225.53 करोड़ अप्रयुक्त/बचत के रूप में शेष रहे। 14 अनुदानों (दत्तमत) में, ₹ 8,225.53 करोड़ की कुल बचतों/अप्रयुक्त राशि में से 17 मामलों में ₹ 6,828.96 करोड़ (83 प्रतिशत) राशि की पर्याप्त बचतें (प्रत्येक मामले में ₹100 करोड़ या अधिक) पाई गईं जिसे तालिका 3.8 में दर्शाया गया है।


तालिका-3.8: वर्ष के दौरान बड़ी बचतों (₹100 करोड़ से ऊपर) वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं०	अनुदान सं०	मूल	अनुपूरक	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	अभ्यर्पण	अभ्यर्पण को छोड़कर बचतें
राजस्व- (दत्तमत)								
1	05	724.59	1,023.96	1,748.55	1,096.92	651.63	104.30	547.33
2	07	1,429.08	3.98	1,433.06	1,220.59	212.47	211.91	0.56
3	08	6,641.11	0.00	6,641.11	5,530.51	1,110.61	1,070.29	40.32
4	09	2,172.35	33.59	2,205.94	1,828.22	377.72	372.54	5.18
5	10	3,540.28	29.66	3,569.94	2,833.11	736.83	736.45	0.38
6	13	2,586.54	0.00	2,586.54	2,358.63	227.91	228.34	0.43
7	16	592.47	0.00	592.47	447.22	145.25	145.20	0.05
8	18	234.06	0.00	234.06	133.54	100.52	84.70	15.81
9	20	1,463.63	0.00	1,463.63	1,112.46	351.17	310.09	41.08
10	23	505.71	39.98	545.69	416.93	128.76	14.87	113.89
11	29	6,774.49	6.76	6,781.25	5,568.29	1,212.96	1,304.08	-91.12
12	31	1,360.02	0.00	1,360.02	988.64	371.39	329.19	42.20
13	32	1,424.41	0.00	1,424.41	911.05	513.37	395.09	118.27
पूँजीगत- (दत्तमत)								
14	10	1,292.53	515.61	1,808.14	1,624.21	183.94	247.47	-63.54
15	15	303.99	0.00	303.99	188.65	115.34	30.40	84.94
16	23	429.39	250.00	679.39	521.92	157.47	202.13	-44.66
17	32	1,118.25	150.92	1,269.17	1,037.55	231.62	222.55	9.08
योग		32,592.90	2,054.46	34,647.36	27,818.44	6,828.96	6,009.60	820.20

स्रोत: विनियोजन लेखे।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, सरकार ने 14 अनुदानों के अन्तर्गत 17 मामलों में ₹ 2,054.46 करोड़ का अनुपूरक बजट मांगा, जो मूल बजट के प्रति ₹ 6,828.96 करोड़ (21 प्रतिशत) की बचतों को देखते हुए अनावश्यक सिद्ध हुआ। बचत के किन्हीं विशिष्ट कारणों को न तो विनियोजन लेखों में दिया गया (सामान्य प्रकृति के तथा बार-बार दिए जाने वाले कारणों को छोड़कर) और न ही राज्य सरकार (दिसम्बर 2020) द्वारा उपलब्ध करवाया गया। इन अनुदानों के अंतर्गत हुई बड़ी बचतें यह दर्शाती है कि राज्य सरकार ने आवश्यक निधियों का वास्तविक अनुमान किए बिना बजट प्रावधान बनाए गए थे। **चार्ट-3.4** में बजट आवंटन के प्रति हुई बचतों के प्रतिशत को अनुदानों/विनियोजनों के अनुसार श्रेणीबद्ध किया गया है।



(ii) निरंतर बचतें

22 अनुदानों में विगत पांच वर्षों के दौरान, 28 मामलों में (प्रत्येक मामले में एक करोड़ या अधिक) निरंतर बचतें हुई (विवरण **परिशिष्ट 3.3** में), जिनमें से चार मामलों (प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ या अधिक) नीचे **तालिका -3.9** में दर्शाए गए हैं।

तालिका-3.9: निरंतर बचतों के मामलों का विवरण (प्रत्येक मामले में ₹ 100 या अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं०	अनुदान सं०	अनुदान का नाम/ विनियोजन	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राजस्व- दत्तमत							
1	08	शिक्षा	1076.22	864.96	665.02	955.16	1110.61
2	09	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	366.81	295.90	211.66	330.83	377.72
3	20	ग्रामीण विकास	208.74	121.61	402.93	383.93	351.17
4	31	जनजातीय विकास	123.39	177.85	242.34	325.72	371.39

स्रोत: विनियोजन लेखे।

पर्याप्त मात्रा में हुई निरंतर बचतें परिचायक हैं कि विभागों का बजटीय नियंत्रण प्रभावी नहीं था तथा निधियों के आवंटन के दौरान बीते वर्षों की प्रवृत्तियों पर ध्यान नहीं दिया गया था। इसे पूर्ववर्ती राज्य वित्त

लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में भी इंगित किया गया था, परंतु राज्य सरकार ने इन प्रतिवेदनों का संज्ञान नहीं लिया।

(iii) ₹10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण का विवरण

मार्च माह की समाप्ति तक ₹10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण के उदाहरण तालिका-3.10 में दिए गए हैं:

तालिका-3.10 : मार्च माह की समाप्ति तक ₹10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं०	अनुदान सं०	मूल	अनूपुरक	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	अभ्यर्पित राशि
1	3	257.64	12.18	269.82	215.98	-53.84	-50.84
2	4	229.81	46.78	276.59	198.66	-77.93	-61.45
3	5	735.49	1023.96	1759.45	1100.51	-658.94	-104.69
4	6	88.05	32.03	120.08	105.61	-14.47	-14.31
5	7	1497.41	18.05	1515.46	1282.01	-233.45	-224.08
6	8	6737.96	10.70	6748.66	5607.82	-1140.84	-1100.52
7	9	2325.54	78.94	2404.48	2001.40	-403.08	-397.88
8	10	4834.81	648.20	5483.01	4464.64	-1018.37	-983.92
9	11	524.07	37.60	561.67	519.75	-41.92	-41.66
10	12	367.28	24.07	391.35	311.75	-79.60	-33.69
11	13	3295.58	187.14	3482.72	3303.03	-179.69	-228.43
12	14	424.49	1.89	426.38	351.15	-75.23	-60.41
13	15	378.64	0.00	378.64	240.62	-138.02	-53.09
14	16	610.91	0.04	610.95	459.36	-151.59	-151.54
15	18	280.96	0.00	280.96	161.38	-119.58	-103.76
16	19	1067.72	106.64	1174.36	1060.62	-113.74	-101.41
17	20	1483.66	0.06	1483.72	1126.50	-357.22	-310.09
18	23	935.10	289.98	1225.08	938.86	-286.23	-216.99
19	27	381.42	60.76	442.18	402.17	-40.01	-32.25
20	28	568.11	102.93	671.04	577.80	-93.24	-71.65
21	29	14600.02	3445.76	18045.78	16510.49	-1535.29	-1312.24
22	30	132.13	9.44	141.57	123.70	-17.87	-11.29
23	31	1735.40	64.49	1799.89	1334.30	-465.59	-421.91
24	32	2542.66	150.93	2693.59	1948.60	-744.99	-617.64
योग		46,034.85	6,352.57	52,387.43	44,346.71	-8,040.72	-6,705.71

स्रोत: विनियोजन लेखे।


31 मार्च 2020 तक, 24 मामलों में ₹ 6,705.74 करोड़ (प्रत्येक मामले में 10 करोड़ या अधिक) का अभ्यर्पण किया गया (15 प्रतिशत अथवा मूल बजट का आवंटन)। राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लगाए जाने को अभ्यर्पण करने का मुख्य कारण बताया। कारण न्यायोचित नहीं है, क्योंकि कोविड-19 के कारण लॉकडाउन 20 मार्च 2020 के पश्चात् लगाया गया था। अन्तिम कार्य दिवस

(31 मार्च 2020) पर निधियों का अभ्यर्ण कमजोर वित्तीय नियंत्रणों का परिचायक है तथा यह अन्य विकास कार्यों हेतु निधियों का उपयोग न होने के रूप में परिणत हुआ।

(iv) उपयोग की प्रतिशतता द्वारा समूहबद्ध किए गए अनुदान/विनियोजनों की संख्या का वितरण

उपयोग की प्रतिशतता द्वारा समूहबद्ध किए गए अनुदानों / विनियोजनों की संख्या के वितरण का विवरण नीचे दिए गए चार्ट 3.5 में दिया गया है:


चार्ट-3.5: उपयोग के प्रतिशतता द्वारा समूहबद्ध किए गए अनुदानों/विनियोजनों की संख्या का वितरण



मात्र एक अनुदान (26-पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन) में उपलब्ध निधियों का 50 प्रतिशत से भी कम उपयोग किया गया। उपलब्ध निधियों का कम उपयोग (45 प्रतिशत) होने के कारण यह ₹ 85.15 करोड़ (55 प्रतिशत) की बचत में परिणत हुआ। यह बचतें मुख्यतः परियोजना के कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुईं।

चार्ट: 3.6: वित्तीय वर्ष 2019-20 की समाप्ति के पूर्व हुई बचतें एवं अभ्यर्ण

(₹ करोड़ में)



स्त्रोत: विनियोजन लेखे।

जैसाकि राज्य सरकार द्वारा सूचित किए गए अभ्यर्पण आदेशों से देखा गया, सभी अभ्यर्पण 31 मार्च, 2020 तक किए गए थे, जो अंततः निधियों के कमजोर प्रबंधन के परिचायक हैं तथा यह वित्तीय संसाधनों के अप्रभावी उपयोग में परिणत हुआ।

3.3.8 व्यय अधिक्य तथा इसका विनियमन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के अनुसार, पारित कानून द्वारा किए गए विनियोजन के तहत आहरित धन के अतिरिक्त राज्य की समेकित निधि से कोई धन नहीं निकाला जाएगा। साथ ही, भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, राज्य सरकार को अनुदान/विनियोजनों से अधिक आहरण को राज्य विधायिका से विनियमित करवाना अनिवार्य है। यद्यपि अनुच्छेद के अन्तर्गत व्यय के विनियमन हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है, फिर भी लोक लेखा समिति द्वारा विनियोजन लेखाओं पर चर्चा पूर्ण होने के उपरांत व्यय आधिक्य का विनियमन किया जाता है।

3.3.8.1 वित्तीय वर्ष 2019-20 से संबंधित व्यय आधिक्य

वर्ष हेतु किए गए प्रावधान से अधिक व्यय न केवल विधायिका से मंजूरी की आवश्यकता के प्रावधानों का उल्लंघन है, अपितु यह अकुशल कार्य-योजना का भी परिचायक है, जोकि उद्देश्यार्थ बनाए गए व्यय की वृद्धि के क्रम पर दृष्टि रखकर टाले जा सकते हैं। वित्तीय वर्ष में प्रावधानों से व्यय आधिक्य के मामले **तालिका-3.11** दिए गए हैं।

तालिका -3.11: 2019-20 के दौरान अनुदान/विनियोजन से अधिक संवितरण का सारांश

(₹ में)

		विभाग/अनुदान के नाम					
		5- भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	13- सिंचाई, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	21-सहकारिता	22- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	28-शहरी विकास, नगर तथा ग्राम परियोजना	29- वित्त
दत्तमत	राजस्व	00	00	00	1,49,32,006	00	00
	पूँजीगत	00	48,07,99,467	3,50,000	00	6,06,266	00
प्रभारित	राजस्व	1,20,000	00	00	00	00	00
	पूँजीगत	00	22,70,296	00	00	00	42,183
कुल आधिक्य		49,91,20,218					

स्त्रोत: विनियोजन लेखे।

2019-20 में सात मामलों (चार अनुदान एवं तीन विनियोजन) में बजट प्रावधान से अधिक ₹ 49.91 करोड़ का व्यय अधिक्य हुआ। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान उपरोक्त में उल्लेखनीय भागीदारी करने वाली योजनाओं के तहत राज्य की समेकित निधि से प्राप्त प्राधिकरण से अधिक संवितरण का विवरण नीचे **तालिका-3.12** में दिया गया है:

तालिका -3.12: 2019-20 के दौरान प्राधिकरण के सापेक्ष शीर्ष-वार संवितरण

(₹ लाख में)

क्रम सं०	अनुदान सं०	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोजन	कुल	व्यय	आधिक्य
राजस्व-दत्तमत								
1	22	2408-01-102-13	गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को गेहूँ व चावल पर सब्सिडी	0.00	667.44	667.44	817.00	149.56
राजस्व-प्रभारित								
2	05	2053-00-093-01	सामान्य स्थापना	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20
पूँजीगत- दत्तमत								
3	13	4215-01-102-08	नलकूप	424.00	0.00	424.00	425.67	1.67
		4215-01-102-23	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	7,212.60	3,651.82	10,864.42	16,524.20	5,659.78
		4702-00-101-01	विभिन्न जिलों में उठाऊ सिंचाई योजना	326.00	37.58	363.58	415.18	51.60
4	21	6425-00-107-02	(ऋण से प्राप्तियाँ) सहकारी समितियों को ऋण	1.00	0.00	1.00	4.50	3.50
5	28	4215-02-106-02	विभिन्न जिलों में जल निकासी स्वच्छता सीवरेज योजनाएं	6,342.00	0.00	6,342.00	6,380.03	38.03
पूँजीगत-प्रभारित								
6	13	4700-01-800-01	नहरें	879.96	0.00	879.96	907.49	27.53
7	29	6003-00-110-03	गिरावट तथा रिजर्व बैंक द्वारा अधिविकर्ष	92,363.73	467.98	9,2831.71	92,832.19	0.48

स्रोत: विनियोजन लेखे।

अनुदान सं०: 22 के मामले में, ₹ 1.50 करोड़ का अंतिम आधिक्य कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान दो माह का गेहूँ का आटा एवं चावल अग्रिम रूप से जारी करने के कारण हुआ। हालांकि अन्य आधिक्यों के सन्दर्भ में कोई कारण नहीं बताए गए हैं।

3.3.8.2 अनुदानों में निरंतर आधिक्य

कई अनुदानों में वर्ष-दर-वर्ष व्यय आधिक्य देखा गया है। यह निरंतर व्यय आधिक्य परिचायक है कि विभागों में बजटीय नियंत्रण अप्रभावी था तथा बजट अनुमान वास्तविकता के आधार पर नहीं बनाए गए थे। व्यय आधिक्य का इस प्रकार बार-बार होना राज्य विधायिका की इच्छा की अवहेलना है। विधायिका

की पूर्व अनुमति के बिना कठोरता से एक भी रूपया खर्च न किया जा सके, इसलिए, इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। निरंतर आधिक्य बजट बनाते समय अनुचित प्राक्कलन कारण हो सकते हैं।

2015-16 से 2019-20 के दौरान निरंतर आधिक्य का कोई मामला नहीं देखा गया है।

3.3.8.3 विगत वित्तीय वर्षों के व्यय आधिक्य का विनियमन

लम्बी अवधि तक व्यय आधिक्य का विनियमन न होना कार्यकारिणी पर विधायी नियंत्रण को कमजोर बनाता है। यद्यपि, वर्ष 2013-14 से 2018-19 हेतु 21 अनुदान एवं 12 विनियोजनों के तहत हुआ, ₹ 9154.73 करोड़ का व्यय आधिक्य दिसम्बर 2020 तक राज्य विधायिका से विनियमित होना शेष था। उपरोक्त के अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान चार अनुदानों एवं तीन विनियोजनों द्वारा अनुमति के अतिरिक्त किए गए ₹ 49.91 करोड़ के व्यय आधिक्य का विनियमन भी अपेक्षित है। विनियमन हेतु लम्बित व्यय आधिक्य की वर्ष-वार राशि नीचे तालिका 3.13 में सारांशित की गई है:

तालिका-3.13: विनियमन हेतु अपेक्षित विगत वर्षों (2013-19) से संबंधित व्यय आधिक्य

वर्ष	अनुदानों / विनियोजनों की सं०	अनुदान / विनियोजन संख्या	विनियोजन लेखों में टिप्पणी की गई आधिक्य राशि जिसका विनियमन अपेक्षित है (आंकड़े ₹ में)	विनियमन प्राप्ति
2013-14	10 अनुदान 3 विनियोजन	2, 3, 4, 5, 10, 13, 16, 17, 21 एवं 28 2, 7 तथा 9	4,74,86,14,325	अभी तक नियमित नहीं किए गए।
2014-15	10 अनुदान 6 विनियोजन	1,2,6,11,12,13,18,19, 23 (राजस्व) एवं 23 (पूँजीगत) 1, 10, 19, 29 (राजस्व), 29 (पूँजीगत) तथा 31	15,85,69,18,458	
2015-16	7 अनुदान 4 विनियोजन	5, 8, 10, 13, 19, 23, 28 13, 16, 29 (राजस्व) एवं 29 (पूँजीगत)	28,48,43,38,113	
2016-17	5 अनुदान 3 विनियोजन	2, 13 (राजस्व) एवं 3,10 तथा 23 (पूँजीगत) 1, 16 (राजस्व) एवं 29 (पूँजीगत)	30,37,60,82,471	
2017-18	2 अनुदान 1 विनियोजन	5, 10 (राजस्व) 10 (पूँजीगत)	3,86,76,41,211	
2018-19	6 अनुदान 2 विनियोजन	05,13, 22,20 (राजस्व) 03,10,12,29 (पूँजीगत)	8,21,37,16,840	
कुल			91,54,73,11,418	

स्रोत: विनियोजन लेखे।

3.3.9 पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान

भारत सरकार के लेखांकन मानक-2 के अनुसार, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत करने के मामले को छोड़ कर, सहायता अनुदान के रूप में संवितरित निधियां अनुदेयी द्वारा किस लिए खर्च की गई है, इस उद्देश्य को पृथक रखते हुए अनुदान द्वारा अनुदेयी का संवितरित अनुदान राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत एवं लेखांकित किए जाए।

2019-20 के दौरान, पूंजीगत सम्पत्ति हेतु ₹ 844.13 करोड़ की राशि प्रदान की गई थी तथा सम्पूर्ण राशि राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत बुक की गई है। इसे लेखाओं में राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

3.4 बजटीय एवं लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियाँ

3.4.1 बजट प्राक्कलन तथा प्रत्याशित एवं वास्तविक के मध्य अंतर

कर प्रशासन/अन्य प्राप्तियां एवं सार्वजनिक व्यय का कुशल प्रबंधन विभिन्न राजकोषीय सूचकांकों की प्राप्ति पर नियंत्रण रखता है। अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित बजटीय आवंटन, कमजोर योजना कार्यान्वयन की कमजोर क्षमता / कमजोर आंतरिक नियंत्रण, विभिन्न विकासात्मक आवश्यकताओं को मध्य निम्नतर-इष्टतम आवंटन की ओर धकेलते हैं। कुछ विभागों में हुई अत्यधिक बचतें अन्य विभागों को निधियों से वंचित रखती है, जिसे वे उपयोग कर सकते थे।

2019-20 के दौरान, 32 अनुदान/विनियोजनों के संबंध में मूल एवं अनुपूरक प्रावधान की तुलना में वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति तालिका-3.14 में दी गई है।

तालिका-3.14: 2019-20 के दौरान बजट (मूल/अनुपूरक) प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोजन	अनुपूरक अनुदान/ विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	शुद्ध बचत	मार्च में अभ्यर्पण	
							राशि	प्रतिशत
दत्तमत	I. राजस्व	33,995.63	1,616.41	35,612.04	28,830.50	-6,781.54	5,754.25	16.16
	II. पूंजीगत	4,635.89	1,292.51	5,928.41	5,218.72	-709.69	654.38	11.04
	III. ऋण तथा अग्रिम	457.06	257.29	714.34	458.21	-256.14	296.64	41.53
	योग	39,088.58	3,166.21	42,254.80	34,507.43	-7,747.37	6,705.27	15.87
प्रभारित	I. राजस्व	4,618.79	18.47	4,637.25	4,303.65	-333.60	17.78	0.38
	II. पूंजी	2.00	112.89	114.89	16.40	-98.48	1.17	1.02
	III. लोक ऋण चुकौती	3,261.75	3,439.00	6,700.75	6,700.75	0.00	0.00	0.00
योग	7,882.54	3,570.35	11,452.89	11,020.81	-432.08	18.95	1.40	
सकल योग	46,971.12	6,736.56	53,707.68	45,528.24	-8,179.45	6,724.21	12.52	

स्रोत: विनियोजन लेखे।

जैसा की उपर्युक्त तालिका में दिखाया गया है, ₹ 8179.45 करोड़ की हुई समग्र बचत अनुदान/विनियोजनों में ₹ 8229.36 करोड़ की बचत में से ₹ 49.91 करोड़ का आधिक्य समायोजित करने का परिणाम थी।

2015-20 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान एवं वास्तविक व्यय का विवरण तालिका-3.15 में दर्शाया गया है।

तालिका-3.15: 2015-20 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान तथा वास्तविक व्यय


(₹ करोड़ में)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
मूल बजट	30,186	34,739	37,940	43,842	46,971
अनुपूरक बजट	2,102	3,937	3,327	3,143	6,737
संशोधित अनुमान	28,986	35,439	36,872	41,428	47,061
वास्तविक व्यय	32,096	38,708	37,811	42,469	45,528
बचत (-)/आधिक्य (+)	-192	32	-3,456	-4,516	-8,180
बचत (-)/ आधिक्य (+) की प्रतिशतता	(-) 0.59	0.08	(-) 8.37	(-) 9.61	(-) 15.23

स्रोत: विनियोजन लेखे तथा संबंधित वर्षों के बजट दस्तावेज

बजट उपयोग में आवंटन के प्रति 2016-17 से 2019-20 तक गिरती प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई। बजट आवंटन के (मूल एवं अनुपूरक) प्रति उपयोग को चार्ट 3.7 में दर्शाया गया है:

चार्ट - 3.7: 2015-16 से 2019-20 के दौरान बजट उपयोग



स्रोत: विनियोजन लेखे

3.4.2 अनुपूरक बजट एवं अवसर लागत

कई बार, विभाग अनुपूरक प्रावधान प्राप्त करते समय, विधायिका को विभिन्न योजनाओं / गतिविधियों के अन्तर्गत अलग-अलग उद्देश्यों हेतु बड़ी अतिरिक्त मांग की सूचना देता है, परंतु अंत में वे न तो संपूर्ण अनुपूरक प्रावधान या उसका कोई हिस्सा खर्च पाता है, न ही मूल बजट प्रावधान को ही खर्च कर पाता है। जबकि इसी दौरान कुछ योजनाएं निधियों की आवश्यकता के चलते अपूर्ण रह जाती हैं। इस प्रकार, ऐसे मामलों में अधूरी योजनाओं के अभीष्ट लाभ बड़े पैमाने पर जनता तक नहीं पहुंच पाते। इसके अतिरिक्त इससे परियोजना लागत में वृद्धि होती है।

सरकार भी वित्त मंत्री के बजट भाषण तथा अन्य बजट दस्तावेजों के माध्यम से कार्यान्वयन हेतु कई नई नीतियों/योजनाओं की घोषणा करती है जो या तो उस वित्तीय वर्ष के लिए एक बारगी गतिविधि अथवा आवर्ती प्रकृति की होती है। दत्तमत पूंजीगत प्रभाग के अन्तर्गत अप्रयुक्त निधियों का विवरण नीचे तालिका 3.16 में दिया गया है:

तालिका-3.16: दत्तमत पूंजीगत प्रभाग के अन्तर्गत अप्रयुक्त निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान का नाम	मूल आवंटन	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	अप्रयुक्त निधियां
पूंजीगत- दत्तमत						
1	07-पुलिस एवं संबद्ध संगठन	68	14	82	61	21
2	08-शिक्षा	97	10	107	77	30
3	14-पशुपालन, डेयरी विकास एवं मत्स्य पालन	18	2	20	15	5
4	26-पर्यटन एवं नगर उद्भूयन	58	9	67	37	30
5	32-अनुसूचित जाति उप योजना	1,118	151	1,269	1,038	231
योग		1,359	186	1,545	1,228	317

स्त्रोत: विनियोजन लेखे

राज्य सरकार से वर्ष के दौरान निधियों के अभाव के चलते पूरी न की सकी योजनाओं/परियोजनाओं के सन्दर्भ में जानकारी उपलब्ध न होने के कारण लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या पूंजीगत प्रभाग के अन्तर्गत ₹ 317 करोड़ की बचत का उपयोग योजनाओं/परियोजनाओं को पूर्ण करने में किया जा सकता था अथवा नहीं।

3.4.3 बजट की प्रमुख नीतिगत घोषणाएं एवं वास्तविक व्यय

बजट की कुछ प्रमुख नीतिगत घोषणाएं एवं उसके प्रति हुआ वास्तविक व्यय तालिका 3.17 में दिया गया है:

तालिका-3.17: 2019-20 के दौरान बजट की प्रमुख नीतिगत घोषणाएं तथा वास्तविक व्यय

क्रम सं०	योजनाओं का नाम	वर्गीकरण	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें (+)/ आधिक्य (-)
1	कौशल विकास भत्ता योजना	2230-03-003-09	9,900.00	4,620.14	5,279.86
		2230-03-796-06	103.37	21.61	81.76
		कुल	10,003.37	4,641.75	5,361.62
2	अटल आर्दश विद्या केन्द्र	4202-01-202-09	1500.00	0.00	1500.00
3	मुख्यमंत्री नूतन पॉली आवास	4402-00-102-02	700.00	0.82	699.18
		4402-00-796-01	100.00	0.00	100.00
		4402-00-789-02	200.00	0.00	200.00
		कुल	1000.00	0.82	999.18
4	मुख्यमंत्री खुम्ब विकास योजना	2401-00-119-75	500.00	298.84	201.16
5	एक बूटा बेटी के नाम	2406-01-102-41	29.79	29.79	52.8
6	एकीकृत सहकारी विकास परियोजना	2425-00-109-01	20.07	20.07	0.00
		2425-00-789-01	1.00	0.00	1.00
		6425-00-107-02	1.00	4.50	-3.5
		कुल	22.07	24.57	-2.5
7	सहारा	2210-06-200-09	37.14	37.14	0.00
योग			13,092.37	5,032.91	8,059.46

स्त्रोत: बजट भाषण और वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी

जैसा कि उपरोक्त से स्पष्ट है, 2019-20 के दौरान इन योजनाओं पर ₹130.93 करोड़ के कुल बजट प्रावधान के प्रति मात्र ₹ 50.33 करोड़ (38.44 प्रतिशत) का व्यय किया गया था। सात में से दो योजनाओं में व्यय बजट प्रावधान के 50 प्रतिशत से कम था। जिससे लाभार्थियों को अभीष्ट लाभों से वंचित रहना पड़ा।

3.4.4 योजनाएं तथा कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु उनमें वास्तविक निधियन

सरकार द्वारा की गई कई नीतिगत पहल योजना के दिशानिर्देशों/तौर-तरीकों पर मंजूरी न मिलने, प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता के चलते कार्य प्रारम्भ न होने, बजट जारी न होने इत्यादि के कारण या तो आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से निष्पादित नहीं की गई। इससे लाभार्थी अभीष्ट लाभों से वंचित रहे। ऐसी योजनाओं में हुई बचत से अन्य विभाग उन निधियों से वंचित रहे जिनका वे उपयोग कर सकते थे।

96 योजनाएं जिनमें प्रावधान (लगभग ₹ एक करोड़ तथा अधिक) किया गया था परंतु कोई भी व्यय नहीं किया गया (विवरण परिशिष्ट 3.4 में दिया गया है) उनमें से कुछ योजनाओं के विवरण तालिका 3.18 में दर्शाए गए हैं।

तालिका-3.18: योजनाएं जिनके लिए प्रावधान किया गया परंतु कोई व्यय नहीं किया गया उनका विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	व्यय	टिप्पणी
1	(जल शक्ति विभाग) मुख्य अभियंता हि0प्र0 सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग	बाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं (ब्रिक्स) के अंतर्गत ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता योजना	100.07	0	वर्ष के दौरान इन योजनाओं पर कोई व्यय नहीं किया गया है। इन योजनाओं में कम व्यय होने का कोई कारण नहीं बताया गया।
2	निदेशक, उद्यान	उद्यान विकास परियोजना	78.97	0	
3	मुख्य अभियंता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग	विश्व बैंक राज्य सड़क	75.00	0	
4	मुख्य अभियंता, हिमाचल प्रदेश, लोक निर्माण विभाग	सड़कों के रखरखाव पर व्यय	69.29	0	
5	निदेशक, ऊर्जा	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम को ऋण	62.00	0	
6	निदेशक, पंचायती राज	वित्तियोग के तहत ग्राम पंचायतों को निष्पादन अनुदान	59.72	0	
7	निदेशक, पर्यटन	पर्यटन हेतु बुनियादी ढांचा द्वारा विकास निवेश कार्यक्रम	55.69	0	
8	निदेशक, ऊर्जा	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम इक्विटी अंशदान	45.00	0	
9	निदेशक, शिक्षा	अनुसूचित जाति के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	44.28	0	
10	सचिव, वित्त	वित्त विभाग के साथ आरक्षित निधि के पेंशनभोगी	42.40	0	

स्रोत: विनियोजन लेखे

ऐसी 36 योजनाएं हैं जहां ₹ 10 करोड़ से अधिक का बजट प्रावधान किया गया था, परंतु संशोधित परिव्यय में सम्पूर्ण प्रावधान या तो पुनर्विनियोजन द्वारा अथवा अभ्यर्पण द्वारा हटा दिया गया। इन योजनाओं का विवरण तालिका 3.19 में दिया गया है।

तालिका 3.19-उन योजनाओं का विवरण जहां सम्पूर्ण बजट प्रावधान घटा दिया गया

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	योजना का नाम	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोजन	अभ्यर्ण	संशोधित परिव्यय
1	नई दिल्ली में राजकीय अतिथि गृह का निर्माण	20.90	0.00	-20.90	0.00
2	मुख्यमंत्री आदर्श विद्या केन्द्र	15.00	0.00	-15.00	0.00
3	मौजूदा सूचना संचार प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला व अन्य प्रयोगशालाओं की सुविधाओं का उन्नयन/रखरखाव	32.90	-24.76	-8.14	0.00
4	चम्बा में मेडिकल कॉलेज का निर्माण	10.38	0.00	-10.38	0.00
5	सड़क के रखरखाव पर व्यय	69.29	-69.29	0.00	0.00
6	विश्व बैंक राज्य सड़क	75.00	0.00	-75.00	0.00
7	जल से कृषि को बल	25.00	-25.00	0.00	0.00
8	योजना के अन्तर्गत सिंचाई क्षेत्र विकास	26.06	-26.06	0.00	0.00
9	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता (ब्रिक्स)	100.07	-100.07	0.00	0.00
10	रेलवे लाइन का निर्माण	26.19	0.00	-26.19	0.00
11	अत्याधिक औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण	15.00	0.00	-15.00	0.00
12	वित्त विभाग के पास आरक्षित निधि के पेंशन भोगी	42.40	-36.28	-6.12	0.00
13	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना	28.97	0.00	-28.97	0.00
14	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन योजना	29.32	0.00	-29.32	0.00
15	प्रधानमंत्री आवास कृषि सिंचाई योजना	14.80	0.00	-14.80	0.00
16	वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को निष्पादन अनुदान	59.72	-8.78	-50.94	0.00
17	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	24.28	0.00	-24.28	0.00
18	सतलुज जल विद्युत निगम सीमित	10.00	0.00	-10.00	0.00
19	स्मार्ट सिटी मिशन	37.40	-28.54	-8.86	0.00
20	विश्व बैंक सहायता प्राप्त ग्रैटर शिमला जलापूर्ति योजना	11.61	0.00	-11.61	0.00
21	हि0प्र0 राज्य विकास ऋण (नया ऋण)	331.20	-331.20	0.00	0.00
22	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम परियोजना के लिए ऋण	47.00	0.00	-47.00	0.00
23	विश्व बैंक सहायता प्राप्त हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना	10.80	0.00	-10.80	0.00
24	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	40.50	0.00	-40.50	0.00
25	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	113.35	0.00	-113.35	0.00
26	दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना	11.09	-11.09	0.00	0.00

क्रम सं.	योजना का नाम	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोजन	अभ्यर्पण	संशोधित परिव्यय
27	राष्ट्रीय रूबन योजना	11.22	-6.58	-4.64	0.00
28	मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना- बाह्य सहायता प्राप्त राष्ट्रीय विकास बैंक परियोजना	33.70	0.00	-33.70	0.00
29	विश्व बैंक सहायता प्राप्त हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास योजना	30.23	-2.58	-27.65	0.00
30	स्मार्ट सिटी मिशन	12.60	-1.07	-11.53	0.00
31	हिमाचल पथ परिवहन निगम में निवेश	15.62	-15.62	0.00	0.00
32	विश्व बैंक ग्रामीण सड़क	25.00	-16.20	-8.80	0.00
33	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम को ऋण	62.00	0.00	-62.00	0.00
34	मौजूदा सूचना संचार प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला व अन्य प्रयोगशालाओं की सुविधाओं का उन्नयन/रखरखाव	12.60	0.00	-12.60	0.00
35	अनुसूचित जाति के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	34.28	0.00	-34.28	0.00
36	सरकारी विश्वविद्यालयों पर व्यय	12.00	-12.00	0.00	0.00
योग		1477.48	-715.12	-762.36	0.00

संस्वीकृत योजनाओं पर निधियों का उपयोग न करना, बजट अनुमान बनाने एवं उनका उपयोग करने में राज्य के विभागों के अनौपचारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। योजनाओं के कार्यान्वयन की कमजोर क्षमता, बड़ी शेष राशि सरकारी खातों से बाहर बैंक खातों में बचा कर रखने की तथा उन्हें वर्ष की समाप्ति पर अभ्यर्पण करने की विभागों की प्रवृत्ति ने भी अन्य विभागों को उन निधियों से वंचित रखा जिन्हें वे उपयोग कर सकते थे।

3.4.5 व्यय का तीव्र प्रवाह

सरकारी निधियां सम्पूर्ण वर्ष के दौरान एक समान रूप से खर्च की जानी चाहिए। वित्तीय वर्ष के अंत के समय व्यय का तीव्र प्रवाह वित्तीय औचित्य की अवमानना है। इससे सम्बन्धित दिशा-निर्देश बजट नियम-पुस्तिका, वित्तीय विभाग के कार्यालय-ज्ञापनों इत्यादि में उपलब्ध है। किसी माह विशेष में उत्पन्न अप्रत्याशित भारी व्यय से उस माह विशेष के दौरान राजस्व व्यय की बेमेलता के कारण हुए राजकोषीय असंतुलन तथा अस्थाई नकदी संकट को टालने के लिए व्यय की गति स्थिर बनाए रखना, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है।

राज्य सरकार ने चरणबद्ध तरीके से व्यय को विनियमित करने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान किए जाने वाले व्यय हेतु तिमाही-वार प्रतिशत² निर्धारित किए हैं।

² प्रथम तिमाही-20 प्रतिशत; द्वितीय तिमाही-25 प्रतिशत; तृतीय तिमाही-30 प्रतिशत; चतुर्थ तिमाही-25 प्रतिशत

मार्च 2020 में किए गए पर्याप्त व्यय (अथवा नियत प्रतिशत से अधिक) के मामलों का विवरण परिशिष्ट 3.5 में दिया गया है। वे मामले जहां मार्च में ही 50 प्रतिशत से अधिक का व्यय हुआ, नीचे तालिका-3.20 में दिए गए हैं।

तालिका-3.20: अनुदान जहां अकेले मार्च माह में 50 प्रतिशत से अधिक व्यय किया गया (प्रतिशत का घटता हुआ क्रम)


क्र०सं०	अनुदान संख्या व नाम	लेखा शीर्ष	मार्च के दौरान व्यय (प्रतिशत में)
1	29- वित्त	2049-03-104-01	98.01
2	10- लोक निर्माण कार्य- सड़कें पुल तथा भवन	4216-01-106-01	69.67
3	13- सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	4702-00-101-03	67.14
4	11- कृषि	2401-00-109-31	66.75
5	13- सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	4701-20-800-02	64.60
6	05- भूमि राजस्व एवं जिला प्रशासन	2245-05-101-02	62.61
7	28- शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास	4215-02-106-02	55.86
8	27- श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	4202-02-105-03	52.15
9	32- अनुसूचित जाति उप योजना	5054-04-789-04	53.02
10	32- अनुसूचित जाति उप योजना	4215-01-789-04	50.19

यद्यपि, और अधिक विश्लेषण करने पर उजागर हुआ कि मार्च 2020 में ऐसे कोई मामले/उप-शीर्ष (योजनाएं) नहीं पाए गए जहां सम्पूर्ण व्यय किया गया।

इन प्राप्तियों के प्रति मासिक प्राप्तियों व व्यय का विवरण चार्ट 3.8 में दिया गया है।

चार्ट 3.8: वर्ष 2019-20 के दौरान मासिक प्राप्तियां एवं व्यय

(₹ करोड़ में)



अंतिम तिमाही के मुख्यतः मार्च माह के दौरान व्यय का तीव्र प्रवाह वित्तीय नियमों की अवमानना को दर्शाता है। राज्य सरकार वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही/माह में व्यय के तीव्र प्रवाह से बचने के लिए उपयुक्त तंत्र सृजित करें।

3.5 चयनित अनुदानों की समीक्षा

दो अनुदानों (अनुदान संख्या 13-“सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य” तथा अनुदान संख्या 22-“खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति”) के सन्दर्भ में 2017-18 से 2019-20 की अवधि में व्यय पर बजटीय प्रक्रिया एवं नियंत्रण की समीक्षा से निम्नवत उजागर हुआ:

3.5.1 अनुदान संख्या 13-“सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य”

विगत तीन वर्षों (2017-18 से 2019-20) हेतु राजस्व और पूंजीगत प्रभाग के अन्तर्गत आवंटित निधियों, किए गए व्यय तथा बचत/आधिक्य की समग्र कुल स्थिति तालिका 3.21 में दी गई है:

तालिका-3.21: आवंटित निधियों, किए गए व्यय तथा बचत / आधिक्य का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रभाग	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल अनुदान	व्यय	आधिक्य(+)/ बचत(-)
2017-18	राजस्व प्रभाग	2,260.78	177.80	2,438.58	2,408.25	-30.32
	पूंजीगत प्रभाग	489.66	77.95	567.61	478.84	-88.76
2018-19	राजस्व प्रभाग	2,530.56	0	2,530.56	2,636.89	106.33
	पूंजीगत प्रभाग	579.74	218.08	797.82	626.04	-171.78
2019-20	राजस्व प्रभाग	2,586.53	0.22	2,586.75	2,358.76	-227.99
	पूंजीगत प्रभाग	709.05	186.92	895.97	944.27	48.30

उपरोक्त तालिका से यह देखा गया कि राजस्व प्रभाग में 2017-18 एवं 2019-20 के दौरान बजट प्रावधान के प्रति क्रमशः ₹ 30.06 करोड़ तथा ₹ 227.99 करोड़ की बचत हुई। इसी भांति, पूंजीगत प्रभाग के अन्तर्गत 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान अनुपूरक प्रावधान से आवंटित निधियां अनावश्यक सिद्ध हुई तथा क्रमशः ₹ 88.76 करोड़ तथा ₹ 171.78 करोड़ की बचत में परिणत हुई। 2018-19 में किया गया ₹106.33 करोड़ (राजस्व प्रभाग) तथा 2019-20 में किया गया ₹ 48.30 करोड़ का (पूंजीगत प्रभाग) व्यय आधिक्य/अनाधिकृत था तथा राज्य विधायिका से विनियमित किया जाना अपेक्षित है। सहायक नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) ने बताया (दिसम्बर 2020) कि पूंजीगत प्रभाग (जल जीवन मिशन - केन्द्रीय अंश) के अन्तर्गत 28.03.2020 को सरकार से प्राप्त ₹ 57.11 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान पर ध्यान नहीं दिया गया था।

बजट प्रावधान से अधिक बचत

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009 के नियम 31(4) में यह प्रावधान है कि सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा आयोजनागत व आयोजोनेत्तर दोनों व्यय के संशाधित अनुमानों तथा आयोजोनेत्तर व्यय के बजट अनुमान की छानबीन करने तथा मंजूर करने के पश्चात् निर्धारित पद्धति एवं प्रारूप में वित्त विभाग को अग्रेषित किया जाए। इसी प्रकार, नियम 41 यह भी निर्धारित करता है कि अपने प्रशासनिक विभाग के

माध्यम से विभागाध्यक्ष उनके नियंत्रणाधीन विनियोजन अनुदानों में पाई गई सभी प्रत्याशित बचतों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व निर्धारित तिथि के भीतर वित्त विभाग को अभ्यर्पित करेगा।

अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि 2019-20 के दौरान, विभाग ने या तो अवास्तविक बजट प्रावधान बनाए थे अथवा निर्धारित प्रक्रिया / नियमानुसार राशि संवितरित/अभ्यर्पित नहीं की थी जिससे निधियों की आवश्यकता वाले अन्य शीर्ष जहां से निधियां उपयोग की जानी थी, वंचित रह गए। बजट प्रावधान के प्रति ₹ 16.79 करोड़ की बचत में परिणत हुए 17 मामलों/ उप-शीर्षों (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या अधिक) का विवरण नीचे तालिका-3.22 में दिया गया है:

तालिका-3.22: बजट प्रावधान से अधिक हुई बचतों (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या अधिक) का विवरण

(₹ लाखों में)

क्रम सं०	लेखा शीर्ष	मूल अनुदान	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	अंतिम अनुदान	व्यय	बचतें (-)
1	2215-01-005-02- राज्य आयोजनेत्तर	57.75	0	165.60	223.35	200.66	-22.69
2	2215-01-102-13-SOON - राज्य आयोजनेत्तर	4,374.47	0	4,007.87	8,382.34	8,021.34	-361.01
3	2215-01-102- राज्य आयोजनागत	0	0.01	24.09	24.10	11.21	-12.90
4	4215-01-102-01-SOON- राज्य आयोजनेत्तर	0	0.01	24.76	24.77	0	-24.77
5	4215-01-102-01-SOON- राज्य आयोजनागत	1,116.00	0	91.69	1,207.69	1,163.34	-44.35
6	4215-08-SOON- राज्य आयोजनेत्तर	515.00	0	0	515.00	500.90	-14.10
7	4215-16- SOON- राज्य आयोजनागत	9,800.00	0	853.00	10,653.00	10,274.92	-378.08
8	4215-23- SOON- राज्य आयोजनागत	350.00	0	0	350.00	254.33	-95.67
9	4700-01-800-01- SOON- राज्य आयोजनागत	0	0.02	22.99	23.01	0	-23.01
10	4702-00-101-02- SOON- राज्य आयोजनागत	200.00	0	0	200.00	178.10	-21.90
11	4702-00-101-03- SOON- राज्य आयोजनागत	4,489.00	0	0	4,489.00	4,202.21	-286.79
12	4702-00-101-06-C90N केन्द्रीय अंश आयोजनागत	4,436.00	0	3,651.94	8,087.94	8,038.00	-50.00
13	4702-00-101-06-SOON- राज्य आयोजनेत्तर	450.00	0	0	450.00	400.00	-50.00
14	4702-00-101-06-S10N- राज्य आयोजनागत	494.00	0	57.14	551.14	496.74	-54.40
15	4702-00-101-07-S10N- राज्य आयोजनागत	329.00	0	-57.14	271.86	250.31	-21.55
16	4702-00-102-03-S00N- राज्य आयोजनागत	1,347.00	0	0	1,347.00	1,218.50	-128.50
17	4705-00-313-01- SOON- राज्य आयोजनागत	2,303.00	0	0	2,303.00	2,214.22	-88.78
	योग	30,261.22	0.04	8,841.94	39,103.20	37,424.78	-1,678.50

इसके अतिरिक्त, उपरोक्त तालिका से निम्नलिखित बिन्दु देखे गए:

- दो मामलों में (क्रम संख्या 4 एवं 9), ₹ 47.75 लाख की पुनर्विनियोजित निधियों (क्रमशः ₹ 24.76 लाख व ₹ 22.99 लाख) की सम्पूर्ण राशि अनावश्यक सिद्ध हुई तथा अप्रयुक्त रही जिसके परिणामस्वरूप इन शीर्षों के अन्तर्गत बचत हुई।
- नौ मामलों में ₹ 8,899.08 लाख की पुनर्विनियोजन, निधियों में से ₹ 971.21 लाख (11 प्रतिशत) 2019-20 की समाप्ति तक अप्रयुक्त रहे।

इस प्रकार, मूल अनुदान में तथा पुनर्विनियोजन के माध्यम से निधियों का अवास्तविक प्रावधान बचत में परिणत हुआ, जो बजट अनुमान बनाने में एवं पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों की मांग में न केवल अनौपचारिक दृष्टिकोण को अपितु संस्वीकृत योजना पर निधियों की अप्रयुक्ति को भी दर्शाता है। सहायक नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) ने बताया (दिसम्बर 2020) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी में कमी, अंतरण प्रविष्टियाँ स्वीकृत न होने तथा कार्य में कम निष्पादन के कारण बचतें हुई।

3.5.2 अनुदान संख्या 22- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

विगत तीन वर्षों (2017-18 से 2019-20) हेतु राजस्व एवं पूंजीगत प्रभागों के अन्तर्गत आवंटित निधियों, किए गए व्यय तथा बचत/आधिक्य की समस्त स्थिति तालिका 3.23 में दी गई है:

तालिका-3.23: आवंटित निधियों, किए गए व्यय तथा बचत/आधिक्य का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रभाग	मूल प्रावधान	पूरक प्रावधान	कुल अनुदान	व्यय	आधिक्य (+)/ बचत(-)
2017-18	राजस्व	239.70	55.15	294.85	240.13	-54.72
	पूंजीगत	1.97	0	1.97	1.97	0
2018-19	राजस्व	261.52	31.59	293.11	328.40	35.29
	पूंजीगत	2.01	0	2.01	2.01	0
2019-20	राजस्व	275.36	39.95	315.31	316.80	1.49
	पूंजीगत	2.00	0.36	2.36	2.17	-0.19

स्रोत: विनियोजन लेखे।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अभिलेखों की जांच में निम्नलिखित बिन्दु उजागर हुए:

प्रावधान के बिना किया गया व्यय

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली का परिच्छेद 1.19 निर्धारित करता है कि अनुच्छेद 204 के अनुसार विनियोजन अधिनियम के माध्यम से पारित कानून द्वारा किए गए विनियोजन के तहत आहरित धन के अतिरिक्त राज्य की समेकित निधि से कोई धन नहीं निकाला जाए।

अनुदान सं0 22- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के सन्दर्भ में वर्ष 2019-20 के पुनर्विनियोजन आदेश की संवीक्षा से उजागर हुआ कि लेखा शीर्ष 2408-01-102-13-S25N- आयोजनेत्तर के अन्तर्गत न तो कोई मूल प्रावधान, न ही अनुपूरक प्रावधान किया गया था परन्तु ₹ 6.67 करोड़ का पुनर्विनियोजन किया गया था। यह इस बात का परिचायक है कि पुनर्विनियोजन हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए बनाया गया।

इसके अतिरिक्त, निदेशालय, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि वित्त विभाग ने विभाग के अनुरोध पर ऊपर उल्लिखित लेखा-शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 8.17 करोड़ की अतिरिक्त निधियां प्रदान की थी (27.03.2020) जो कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण उत्पन्न संकटकालीन आवश्यकता को देखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े परिवारों को दो महीने का गेहूँ का आटा/चावल उपलब्ध करने के लिए प्रबंध निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित को उसी दिन जारी कर दी गई थी। तदनुसार, विभाग ने 27.03.2020 को अतिरिक्त रूप से प्रदत्त ₹ 8.17 करोड़ का समावेश करते हुए अंतिम आधिक्य/अभ्यर्पण विवरणी वित्त विभाग को प्रस्तुत की (05.05.2020)।

वित्त विभाग ने भी अधिक अनुदानों/विनियोजन का संज्ञान लिया (अक्टूबर 2020) तथा विभाग से ₹ 6.67 करोड़ के पुनर्विनियोजन प्रावधान से अधिक व्यय के कारण पता लगाने का निर्देश दिया है। यह दर्शाता है कि पुनर्विनियोजन के माध्यम से अतिरिक्त रूप से उपलब्ध करवाए गए ₹ 8.17 करोड़ पर्याप्त नहीं थे जिसके कारण ₹ 6.67 करोड़ का पुनर्विनियोजन अविधिकपूर्ण सिद्ध हुआ तथा ₹ 1.50 करोड़ के व्यय आधिक्य में परिणत हुआ।

विभाग ने बताया कि कोविड-19 महामारी फैलने से राष्ट्रीय खाद्य एवं सुरक्षा अधिनियम से जुड़े परिवारों को दो महीने का गेहूँ का आटा/चावल के वितरण के कारण यह प्रावधान वित्त विभाग द्वारा किया गया था। यद्यपि, वित्त विभाग का उत्तर प्रतीक्षित (मई 2021) था।

बहुप्रयोजन लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अन्तर्गत व्यय का अंकन (बुकिंग)

लघु शीर्ष '800 अन्य व्यय' के अन्तर्गत बुकिंग केवल तब की जाए जब लेखाओं में उचित लघु शीर्ष उपलब्ध न हो। लघु शीर्ष-800 का सामान्य व्यवहार में परिचालन रोका जाना चाहिए क्योंकि यह अस्पष्ट लेखा प्रस्तुत करता है।

निदेशालय, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के अभिलेखों की नमूना-जांच से उजागर हुआ कि वर्ष 2018-20 के दौरान राज्य योजना (हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना) पर ₹ 93.91 करोड़ का व्यय किया गया था तथा इसे लेखा शीर्ष 2408-01-800- अन्य व्यय -02-हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना-राज्य आयोजनेत्तर के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था। योजना पर बड़ी राशि का किया गया व्यय आवर्ती प्रकृति का है तथा इसे अस्थायी नहीं माना जा सकता जो बहुप्रयोजन लेखा शीर्ष अर्थात् 800-अन्य व्यय के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है जैसा कि तालिका-3.24 में वर्णित है।

तालिका:3.24- लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत व्यय की बुकिंग

वित्त वर्ष	योजना	व्यय (₹ करोड़ में)
2018-19	2408-01-800-02 हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना	30.34
2019-20	2408-01-800-02- हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना	63.57
योग		93.91

स्रोत : <https://himkosh.nic.in/eHPOLTIS/PublicReports/wfrmMinorHeadWiseQueries.aspx>

इस प्रकार, ₹ 93.91 करोड़ के व्यय को पृथक लेखा शीर्ष में लिखने के बजाए बहुप्रयोजन लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' में वर्गीकृत किया गया जिसके परिणामस्वरूप अस्पष्ट लेखे प्रतिबिम्बित हुए जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग की पारदर्शिता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

विभाग ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया कि सभी विभागीय योजनाएं वित्त विभाग के अनुमोदन के पश्चात मुख्य शीर्ष-2408 'खाद्य भण्डार एवं भण्डार गृह' के अन्तर्गत बुक की जाती है। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि व्यय बहुप्रयोजन लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अन्तर्गत बुक किया गया था जो वित्तीय रिपोर्टिंग का साफ एवं पारदर्शी प्रस्तुतीकरण नहीं करता।

3.6 निष्कर्ष

- राज्य सरकार की बजटीय व्यवस्था स्तरीय नहीं थी क्योंकि 2019-20 के दौरान निधियों का उपयोग समग्र बजट में कुल अनुदानों एवं विनियोजनों का 84.77 प्रतिशत था। बजटीय आवंटन अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित था क्योंकि कुल 32 अनुदानों में से 14 अनुदानों में ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत हुई। चार अनुदानों में विगत पांच वर्षों से ₹ 100 करोड़ से अधिक की निरंतर बचतें हुई। आगे यह देखा गया कि सभी अभ्यर्पण वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस पर किए गए थे।
- अनुपूरक प्रावधान भी वास्तविक आधार पर नहीं बनाए गए थे क्योंकि 18 मामलों में अनुपूरक प्रावधान या तो अकारण अथवा अत्यधिक किए गए थे। वर्ष के अंत में व्यय का तीव्र प्रवाह देखा गया। 2019-20 के दौरान 8 अनुदानों/विनियोजनों के तहत 10 शीर्षों में कुल व्यय का 50 प्रतिशत या उससे अधिक 2020 के मार्च माह में किया गया।
- चार अनुदानों एवं तीन विनियोजनों में किया गया ₹ 49.91 करोड़ का व्यय राज्य विधायिका द्वारा दिए गए प्राधिकरण से अधिक था जो बजटीय एवं वित्तीय नियंत्रण की व्यवस्था को भंग करता है। 2013-14 से 2018-19 से सम्बन्धित ₹ 9,154.73 करोड़ के संवितरण आधिक्य सहित व्यय आधिक्य को राज्य विधायिका से विनियमित किया जाना अपेक्षित है।

- 96 योजनाओं में, प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक का बजट प्रावधान उपलब्ध होने के बावजूद कोई व्यय नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, 36 योजनाओं में सम्पूर्ण बजट प्रावधान या तो पुनर्विनियोजन द्वारा या अभ्यर्पण द्वारा हटा दिया गया। यह राज्य विभागों की कमजोर वित्तीय योजना का परिचायक है जिसने न केवल अभीष्ट लाभों का खण्डन किया अपितु संसाधनों का भी अवरोधन किया।
- अनुदान सं0 13 सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य की समीक्षा से उजागर हुआ कि मूल अनुदान में तथा पुनर्विनियोजन के द्वारा निधियों का अवास्तविक प्रावधान बचत में परिणत हुआ। यह बजट अनुमान बनाने में पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों की मांग में न केवल अनौपचारिक दृष्टिकोण को अपितु संस्वीकृत योजना पर निधियों की अप्रयुक्ति को भी दर्शाता है।
- अनुदान सं 22-खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति की समीक्षा से उजागर हुआ कि बजट प्रावधान के बिना किया गया व्यय हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन था। इसके अतिरिक्त ₹ 93.91 करोड़ का व्यय पृथक लेखा शीर्ष में लिखने के बजाए बहुप्रयोजन शीर्ष 800 अन्य व्यय के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया, जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग की पारदर्शिता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

3.7 सिफारिशें

- राज्य सरकार को उसके बजटीय पूर्वानुमानों में और अधिक वास्तविकता लानी होगी तथा बचत/व्यय आधिक्य को घटाने हेतु प्रभावी नियंत्रण तंत्र सुनिश्चित करना होगा।
- राज्य सरकार को बचत/आधिक्य का आंकलन करना होगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व राशि का अभ्यर्पण करना होगा ताकि उनका अन्य क्षेत्रों / योजनाओं में प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सके।
- सरकार को वर्ष के अंत में व्यय के तीव्र प्रवाह से बचने के लिए, समयबद्ध अभ्यर्पण के माध्यम से बचत के समुचित उपयोग हेतु तथा आवधिक निगरानी के द्वारा किए गए व्यय हेतु निर्धारित तिमाही लक्ष्यों का अनुपालन करना होगा। अनुदान से अधिक व्यय विधायिका की इच्छा की अवहेलना है। इसलिए इसे गंभीरता से लेना तथा शीघ्रतिशीघ्र विनियमित करना होगा।
- सरकार अभीष्ट लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए बजटीय अनुमान बनाते समय, राज्य में प्रमुख नीति निर्णयों एवं विकास योजनाओं के यथार्थ निष्पादन हेतु रणनीति निरूपित करें।

अध्याय-IV

लेखा और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाओं की गुणवत्ता

अध्याय - IV

लेखा एवं वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाओं की गुणवत्ता

प्रासंगिक एवं विश्वसनीय जानकारी के साथ एक मजबूत वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवस्था राज्य सरकार के कुशल एवं प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इस प्रकार, वित्तीय नियमों, प्रक्रिया एवं निर्देशों की अनुपालना साथ ही इस अनुपालना की प्रास्थिति पर समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण रिपोर्टिंग सुशासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालना एवं नियंत्रण पर रिपोर्ट यदि प्रभावी और परिचालन में है, तो वह सरकार को रणनीतिक योजना एवं निर्णय लेने सहित बुनियादी प्रबंधन की जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहयोग प्रदान करती है।

लेखाओं की पूर्णता से सम्बन्धित मुद्दे

4.1 राज्य की समेकित निधि अथवा लोक लेखा से बाहर रखी निधियां

अनुच्छेद 267 के प्रावधानों के अधीन अनुच्छेद 266(1) में प्रावधान है कि किसी राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किया गया समस्त राजस्व, उस सरकार द्वारा कोषागार बिल, ऋण अथवा अर्थोपाय अग्रिम जारी करके उठाया गया समस्त ऋण तथा उस सरकार को ऋणों की चुकौती से प्राप्त समस्त धन “राज्य की समेकित निधि” का पात्र होने के लिए एक समेकित निधि का निर्माण करेगा। अनुच्छेद 266(2) में प्रावधान है कि अन्य समस्त लोक धन जो राज्य की सरकार द्वारा अथवा उसकी ओर से, प्राप्त किया जाता है, राज्य के लोक लेखा में जमा किया जाएगा।

यह पाया गया कि वह निधियां जो समेकित निधि में जमा की जानी थी उन्हें राज्य की समेकित निधि से बाहर रखा गया, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

4.1.1 भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर

भारत सरकार ने भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों की नियुक्ति एवं सेवा की शर्तों के विनियमन तथा उन्हें उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य व कल्याण के उपाय उपलब्ध कराने के लिए “भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (नियुक्ति एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996” तथा भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (उपकर अधिनियम) अधिनियमित किया। उपकर धारा 14 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर भारत सरकार ने भवन एवं अन्य निर्माण-कार्य श्रमिक कल्याण उपकर नियम, 1998 (उपकर नियम) का गठन किया। तदनुसार, अधिनियम के तहत हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण-कार्य श्रमिक नियम, 2008 बनाया गया तथा हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण-कार्य श्रमिक कल्याण बोर्ड को मार्च 2009 में स्थापित किया गया।

उपकर अधिनियम की धारा 3 में भवन अथवा अन्य निर्माण कार्य से सम्बंधित प्रत्येक नियोक्ता पर उपकर लगाने एवं एकत्र करने का तथा इस प्रकार के उपकर से एकत्रण लागत घटाने, जो एकत्र की गई राशि के एक प्रतिशत से अधिक न हो, के पश्चात् बोर्ड को चुकाए जाने का प्रावधान है। उपकर नियम की धारा 5 के अनुसार, एकत्र की गई उपकर की आय को राज्य की लेखांकन प्रक्रिया के तहत निर्धारित चालान के फार्म (तथा बोर्ड के लेखा शीर्ष

में) के साथ बोर्ड को हस्तांतरित करना होगा। इसके अतिरिक्त, बोर्ड एक स्वायत्त निकाय है तथा प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा) द्वारा बोर्ड के लेखाओं की अलग से लेखापरीक्षा की जाती है तथा प्रमाणित किया जाता है।

यह उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिक उपकर के लेखांकन हेतु कोई नियम नहीं बनाए गए थे तथा श्रमिक उपकर के संग्रहण एवं बुकिंग के लिए सरकार ने कोई शीर्ष प्रदान नहीं किया था। संग्रहित श्रमिक उपकर, भवन एवं सड़क/जल शक्ति विभाग द्वारा निर्माण लागत पर एक प्रतिशत की दर से उद्ग्रहित किया जा रहा है तथा 8443-सिविल निक्षेप-108-लोक निर्माण निक्षेप के तहत बुक किया जा रहा है। लोक निर्माण निक्षेप के तहत उपकर की बुकिंग के लिए कोई उप-शीर्ष नहीं है इसलिए उपकर का संग्रहण करके उसे श्रमिक कल्याण बोर्ड में हस्तांतरित किया गया तथा हस्तांतरित की जानी वाली शेष राशि का निर्धारित, लेखांकन नियमों के अभाव में पता नहीं लगाया जा सका।

बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार इसमें ₹ 592.83 करोड़ का प्रारंभिक शेष था तथा 2019-20 के दौरान श्रमिक उपकर, ब्याज, आदि के रूप में ₹ 116.53 करोड़ प्राप्त किए गए थे। वर्ष के दौरान बोर्ड ने ₹ 53.49 करोड़ खर्च किए जिसमें से ₹ 51.13 करोड़ श्रमिक कल्याण गतिविधियों/योजनाओं पर खर्च किया गया था।

इस प्रकार, बोर्ड वर्ष के दौरान श्रमिक उपकर, ब्याज आदि के माध्यम से प्राप्त राशि भी खर्च नहीं कर पाया। इसके परिणामस्वरूप बोर्ड के पास वर्ष की समाप्ति पर (31 मार्च 2020) ₹ 655.87 करोड़ की राशि थी। अप्रयुक्त निधियों की लागत एवं उपयोग करने का कम प्रतिशत परिचायक है कि बोर्ड विद्यमान योजनाओं पर पर्याप्त रूप से खर्च नहीं कर रहा था।

4.1.2 नियामक

हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग तथा हिमाचल प्रदेश अचल सम्पत्ति (रियल एस्टेट) नियामक नामक नियामकों की निधियों की प्रास्थिति नीचे तालिका 4.1 में दी गई है:

तालिका-4.1: नियामक तथा उनके द्वारा एकत्रित निधियों के विवरण

क्रम सं०.	नियामक प्राधिकरण का नाम	नियामक आयोग निधि का गठन	सरकार के प्रति बकाया राशि
1.	हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग	मई 2007 में गठित हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग निधि को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक और ऐसे बैंकों की अन्य शाखाओं में सहायक खातों में धन राशि का रखरखाव किया जाएगा। निधि में राज्य सरकार द्वारा दिए गए सभी अनुदान तथा ऋण, सभी शुल्क और जुर्माना, और अन्य स्रोतों से प्राप्त सभी अन्य राशि शामिल होंगी।	हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की कोई बकाया राशि सरकार की ओर नहीं थी।

क्रम सं०.	नियामक प्राधिकरण का नाम	नियामक आयोग निधि का गठन	सरकार के प्रति बकाया राशि
2.	हिमाचल प्रदेश निजी शैक्षणिक संस्थान नियामक आयोग	हिमाचल प्रदेश निजी शैक्षणिक संस्थान नियामक आयोग अधिनियम 2010 की धारा 8 के अनुसार एक कोष स्थापित किया जाएगा जिसमें निम्न जमा किया जाएगा क) निजी शिक्षण संस्थान द्वारा हर साल कुल फीस का ऐसा प्रतिशत जो समय-समय पर आयोग द्वारा सहायता की जा सकती है, लेकिन कुल फीस का 1 प्रतिशत से अधिक नहीं। ख) राज्य सरकार से ऋण जो तीन साल के भीतर चुकाने योग्य होगा ग) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त कोई अन्य अनुदान और घ) शास्ति के माध्यम से प्राप्त सभी राशि	2011-12 से 2012-13 की अवधि में ₹1.80 करोड़ की राशि 1 प्रतिशत शुल्क के रूप में एकत्र की गई थी। हालांकि, माननीय उच्च न्यायालय में 1 प्रतिशत शुल्क के संग्रह के प्रावधान का मामला न्यायिक निर्णय के लिए लंबित है। हिमाचल प्रदेश निजी शैक्षणिक संस्थान नियामक आयोग ने जुर्माना/शास्ति लगाने के एवज में ₹1.06 करोड़ की राशि भी प्राप्त की। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन के कारण यह राशि फिक्सड डिपोजिट में जमा की गई है। हिमाचल प्रदेश निजी शैक्षणिक संस्थान नियामक आयोग ने 2011-12 से 2019-20 तक राज्य सरकार से ऋण के रूप में ₹7.70 करोड़ प्राप्त किए। हिमाचल प्रदेश निजी शैक्षणिक संस्थान नियामक आयोग द्वारा दैनिक प्रयोग के खर्च के लिए इसका उपयोग किया गया। हिमाचल प्रदेश निजी शैक्षणिक संस्थान नियामक आयोग ने 31/03/2020 को प्राप्त ऋण की किसी भी राशि को चुकाया नहीं है। 31/03/2020 को कुल देय राशि ₹7.70 करोड़ थी और जिसमें ब्याज भी शामिल था।
3.	हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण	प्राधिकरण की आय में अनुदान, पंजीकरण शुल्क, शिकायत शुल्क और प्रवर्तकों, एजेंटों और शिकायतकर्ताओं से प्राप्त ई-शुल्क शामिल होंगे।	चूंकि प्राधिकरण ने अपना काम जनवरी 2020 से ही शुरू किया है, इसलिए राज्य सरकार से निधियां अनुदान के रूप में प्राप्त की गईं।

4.2 समेकित निधि में राज्य सरकार के जमा नहीं किए गए ऋण

राज्य सरकार ने सूचित किया कि सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य में बजट से बाहर उधारों का सहारा नहीं लिया। वर्ष 2019-20 के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के दौरान कहीं भी ऐसी कोई उधारियां नहीं पाई गईं।

4.3 सब्याज निक्षेपों के ब्याज के सम्बन्ध में देयताओं का निर्वहन न होना

सब्याज निक्षेपों (लेखाओं के मुख्य शीर्ष 8338 से 8342) में राशि पर ब्याज प्रदान करने तथा भुगतान करने की सरकार पर कोई देयता नहीं पाई गई।

4.4 राज्य के कार्यान्वयन अभिकरणों (एजेंसियों) को सीधे हस्तांतरित निधियां

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता को दी जाने वाले समस्त सहायता 2014-15 के बाद से कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी न करके राज्य सरकार को जारी करने के भारत सरकार के निर्णय के बावजूद, निधियां सीधे कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित की गईं। ये निधियां राज्य बजट के माध्यम से जारी न होने के

कारण, राज्य सरकार के लेखाओं में नहीं दर्शाई गई। 2019-20 के दौरान भारत सरकार से सीधे निधियां प्राप्त करने वाली कुछ प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसियों के नाम तालिका-4.2 में दिए गए हैं:

तालिका-4.2: भारत सरकार द्वारा राज्य की कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित निधियां

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	कार्यान्वयन एजेंसियों के नाम	भारत सरकार की योजनाओं के नाम	वर्ष 2019-20 के दौरान सरकार द्वारा जारी
1	राजस्व विभाग, हिमाचल प्रदेश	प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना-एफ पी आई	572.05
3	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास एवं रोजगार गारंटी सोसायटी	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून	441.60
4	महिला एवं बाल विकास निदेशालय	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	32.97
5	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड के लिए विशेष श्रेणी के राज्य पैकिज	31.01
6	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	राज्य की एजेंसियों हेतु अंतः राज्यीय सहायता	29.18
7	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	परिवहन सब्सिडी योजना	20.49
8	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग बोर्ड	स्वदेश दर्शन	19.93
9	हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम	सड़क परिवहन	18.58
10	हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम	तेजी से अपनाने और विनिर्माण के लिए योजना	18.58
11	हिमाचल प्रदेश ऐड्स नियंत्रण सोसायटी शिमला	राष्ट्रीय एड्स एवं एस.टी.डी. नियंत्रण कार्यक्रम	12.29
12	हिमाचल प्रदेश ऐड्स नियंत्रण सोसायटी शिमला	राष्ट्रीय एड्स एवं एस.टी.डी. नियंत्रण कार्यक्रम	12.29
13	उपायुक्त, कांगड़ा	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास	10.00
14	अन्य		153.72
कुल			1372.69

स्रोत: वित्त लेखे-परिशिष्ट VI

विगत तीन वर्षों के दौरान कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित समग्र राशि का विवरण तालिका-4.3 में दर्शाया गया है।

तालिका-4.3: राज्य की कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित निधियां

राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरण	2017-18	2018-19	2019-20
अंतरित निधियां (₹ करोड़ में)	901.83	962.08	1,372.69

लेखा महानियंत्रक की सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सेवा, पी एफ एम एस पोर्टल के अनुसार, भारत सरकार ने 2019-20 के दौरान कार्यान्वयन एजेंसियों को ₹1,372.69 करोड़ सीधे जारी किए थे। कार्यान्वयन एजेंसियों के निधियों का सीधा हस्तांतरण (अन्तरण) 2018-19 के ₹962.08 करोड़ से 42.68 प्रतिशत बढ़ कर 2019-20 में

₹1,372.69 करोड़ हो गया। इसमें भारत सरकार द्वारा राज्य बजट के माध्यम से केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु सहायता अनुदान के रूप में जारी की गई राशि (₹4,915.06 करोड़) का 27 प्रतिशत भी शामिल है।

4.5 स्थानीय निधियों का निक्षेप

राज्य के कुछ पंचायती राज अधिनियमों में यह प्रावधान है कि जिला परिषद, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत क्रमानुसार जिला परिषद कोष, पंचायत समिति कोष एवं ग्राम पंचायत कोष बनाएंगे (मुख्य शीर्ष - 8448-स्थानीय निधियों का निक्षेप-109-पंचायत निकाय की निधियों के अंतर्गत)। इसमें पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्राप्त की गई राशि जैसे केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त एवं राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रदत्त अनुदान तथा राज्य के कर एवं कर-भिन्न प्राप्तियों सहित उसके स्वयं के राजस्व के अतिरिक्त सभी राशि, तथा अधिनियम के अंतर्गत वसूली की गई व वसूली योग्य समस्त राशि सम्मिलित होगी। अधिनियम में यह भी परिकल्पना की गई है कि नगरपालिका कोष शहरी स्थानीय निकायों (नगर पंचायत, नगर परिषद एवं नगर निगम) द्वारा आयोजित किए जाए। इस अधिनियम के तहत वसूली की गई अथवा वसूली योग्य सभी धनराशि तथा इनके द्वारा इसके अतिरिक्त प्राप्त सभी धन राशि को मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों का निक्षेप-102-नगरपालिका कोष के अंतर्गत नगरपालिका कोष में रखा जाना है। इन कोषों का विवरण नीचे दी गई तालिका 4.4 में वर्णित है।

तालिका- 4.4: स्थानीय निधियों को जमा

(₹ करोड़ में)

वर्ष		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
पंचायत निकाय कोष (8448-109)	प्रारंभिक शेष	134.83	5.34	1.18	0.66	0.13
	प्राप्तियां	1.68	-	0.51	-0.51	0
	व्यय	131.17	4.16	1.03	0.02	0.06
	अंतिम शेष	5.34	1.18	0.66	0.13	0.07
नगरपालिका कोष (8448-102)	प्रारंभिक शेष	0.23	0.29	0.29	0.19	0.28
	प्राप्तियां	0.06	0	-0.02	0.09	0
	व्यय	-	0	0.08	-	0.16
	अंतिम शेष	0.29	0.29	0.19	0.28	0.12

स्त्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखें

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 31 मार्च 2020 तक पंचायत निकायों एवं शहरी स्थानीय निकायों के कोषों में क्रमशः ₹ 0.07 करोड़ एवं ₹ 0.12 करोड़ का संचित शेष था।

4.6 उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 1971 (2009 में संशोधित) के नियम 157 की शर्तों के अनुसार जहां किसी निर्दिष्ट उद्देश्य हेतु अनुदान स्वीकृत किए गए हैं वहां सम्बन्धित विभागीय अधिकारी अनुदेयी से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करके उसका सत्यापन करने के पश्चात् स्वीकृति में निर्दिष्ट तिथियों के भीतर प्रधान महालेखाकार

(लेखा व हकदारी) को अग्रेषित करेगा। सहायता-अनुदान का आहरण करने वाले विभागीय अधिकारी अनुदान से जुड़ी शर्तों को पूरा करने के लिए प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) से प्रमाणीकरण हेतु प्राथमिक रूप से जिम्मेदार होगा। निर्दिष्ट अवधि से अधिक समय तक उपयोगिता प्रमाणपत्रों का बकाया होना अभीष्ट उद्देश्यों हेतु अनुदानों के उपयोग का आश्वासन न मिलने का परिचायक है तथा इस प्रकार लेखाओं में अधिकतम सीमा तक दर्शाए गए व्यय को अंतिम नहीं माना जा सकता। मार्च 2020 तक ₹ 2,847.94 करोड़ राशि के 2,482 उपयोगिता प्रमाणपत्र लंबित थे। उपयोगिता प्रमाणपत्रों के प्रस्तुतीकरण के सन्दर्भ में आयु-वार एवं वर्ष-वार स्थिति तालिका-4.5 एवं तालिका- 4.6 में सारांशित की गई है।

तालिका 4.5: उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में आयु-वार बकाया

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष		भुगतान		जमा करने के कारण	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2017-18 तक	1119	777.08	640	307.43	479	469.65
2018-19	1288	1121.72	684	528.79	604	592.93
2019-20	13694	3,344.30	12295	1558.94	1399	1785.36

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हिमाचल प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर संकलित।

टिप्पणी: 2018-19 के दौरान संवितरित सहायता अनुदान हेतु उपयोगिता-प्रमाणपत्र ऊपर उल्लिखित वर्ष "देय वर्ष" से संबन्धित है यानि वास्तविक आहरण के 12 महीनों पश्चात्।


तालिका 4.6: बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों का वर्ष-वार विवरण

भारत सरकार द्वारा अंतरण करने वाले वर्ष	बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
2012-13	33	7.96
2013-14	11	15.28
2014-15	10	56.62
2015-16	65	106.21
2016-17	360	283.58
2017-18	604	592.93
2018-19	1,399	1,785.36
योग	2,482	2,847.94

उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करने का अर्थ है वर्ष के दौरान खर्च की गई निधियों का प्राधिकारियों ने स्पष्टीकरण नहीं दिया। यह भी आश्वासन नहीं मिला कि ये निधियां जिन अभीष्ट लक्ष्यों हेतु प्रदान की गई थी उन्हें प्राप्त किया गया। उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत न करने से निधियों के दुरुपयोग का खतरा होता है

इसलिए यह आवश्यक है कि राज्य सरकार इस पहलू की बारीकी से निगरानी करे एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र के प्रस्तुतीकरण हेतु जवाबदार सम्बन्धित व्यक्तियों से समयबद्ध तरीके से सम्पर्क करे।

चार्ट-4.1: 10 प्रमुख विभागों के संबंध में 2018-19 तक भुगतान किए गए अनुदानों हेतु बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र



कुल 2,482 बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों में से ₹ 1,062.58 करोड़ के अनुदानों हेतु 1,083 उपयोगिता प्रमाणपत्र 2009-10 से 2017-18 की अवधि से सम्बन्धित हैं। ₹ 2,847.94 करोड़ की कुल राशि, जिसके उपयोगिता-प्रमाणपत्र बकाया थे, में से 58 प्रतिशत दो विभागों (पंचायत राज विभाग के 41.15 प्रतिशत; ₹ 1,171.90 करोड़ तथा शहरी विकास विभाग के 16.72 प्रतिशत; ₹ 476.19 करोड़) से सम्बन्धित थे।

4.6.1 अनुदेयी संस्थान को “अन्य” के रूप में दर्ज करना

कुछ राज्यों में सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाले विभिन्न निकायों एवं प्राधिकरणों को संस्थान कोड देने की व्यवस्था है। ये अनुदान प्रधान महालेखाकार कार्यालय के वी.एल.सी. सिस्टम में भी दर्ज किए जाते हैं एवं प्रत्येक संस्थान की बकाया राशि के प्रति उपयोगिता प्रमाणपत्र के प्रस्तुतीकरण की निगरानी की जाती है। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस व्यवस्था को काम करने के लिए अनुदेयी संस्थान को उचित रूप में दर्ज करना होगा। सही कोड के अभाव में, समस्त संस्थानों की बकाया राशि की गणना नहीं की जा सकती।

हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहे संस्थानों को कोई कोड प्रदान नहीं किया गया जिससे प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्रों की निगरानी की जा सके।

वित्त लेखे वर्ष 2019-20 के विवरण संख्या 10 के अनुसार, वर्तमान वर्ष के दौरान विभिन्न संस्थानों को सहायता अनुदान के रूप में ₹ 3,506.49 करोड़ की राशि दी गई थी। ₹ 3,506.49 करोड़ की कुल सहायता अनुदान में से 2019-20 के दौरान ₹ 555.21 करोड़ (15.83 प्रतिशत) “अन्य” को दिए गए। सरकार ने सहायता-अनुदान की

काफी अधिक राशि लगातार “अन्य” के रूप में दर्ज की, जो 2015-19 के दौरान 25.09 प्रतिशत से 35.14 प्रतिशत के मध्य थी।

तालिका-4.7: “अन्य” प्रकार के अनुदेयी संस्थानों को सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सहायता अनुदान की कुल राशि	अन्य प्रकार के अनुदेयी संस्थानों को दी गई राशि	सहायता अनुदान का कुल प्रतिशतता
2015-16	2,612.28	917.86	35.14
2016-17	3,356.98	842.39	25.09
2017-18	2,895.45	784.69	27.10
2018-19	3,633.95	1,048.43	28.85
2019-20	3,506.49	555.22	15.83

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

4.7 सार आकस्मिक बिल

आहरण एवं संवितरण अधिकारी अग्रिम रूप से धनराशि का आहरण करने एवं उसके पश्चात् समायोजन बिल प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत होता है। राज्य सरकार ने युवा सेवा एवं खेल, आयुर्वेद, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अभियोग, कृषि एवं बागवानी नामक के छः विभाग सार आकस्मिक बिल के संचालन हेतु चिन्हित किए थे (जून 2017) परन्तु राज्य सरकार ने अंतिम रूप में आहरित आकस्मिक प्रकृति के व्ययों की पहचान करने/निगरानी करने तथा इसके समायोजन (विस्तृत आकस्मिक बिलों के माध्यम से) हेतु कोई तंत्र निरूपित नहीं किया था। यद्यपि, आहरण एवं संवितरण अधिकारी कोषागार में आकस्मिक अग्रिम के आहरण हेतु दैनिक व्यय फार्म (एच.पी.टी.आर.-5) का उपयोग कर रहे हैं।

आहरित किया गया एवं लेखांकित नहीं किया गया अग्रिम अपव्यय/दुरुपयोग/अपराध आदि की संभावना को बढ़ाता है तथा इसलिए सम्बन्धित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा विस्तृत आकस्मिक बिलों को जमा करना सुनिश्चित करने के लिए बारीकी से निगरानी करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, विस्तृत आकस्मिक बिल अधिकतम सीमा तक प्राप्त न होने से वित्त लेखाओं में दर्शाए गए व्यय को सही अथवा अंतिम नहीं माना जा सकता।

4.8 व्यक्तिगत निक्षेप लेखे

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम खंड-I, 1971 के नियम 12.7 के तहत, व्यक्तिगत निक्षेप लेखे, समेकित निधि से किसी विशिष्ट उद्देश्य हेतु उपयोग करने के लिए राशि स्थानांतरित करके संचालित किए जाते हैं तथा सम्बन्धित मुख्य शीर्षों में बिना वास्तविक नकदी प्रवाह के अंतिम व्यय के रूप में बुक किए जाते हैं। व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं में रखे अव्ययित शेष को वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन समेकित निधि में वापस स्थानांतरित करना होता है

तथा वे आवश्यकतानुसार अगले वर्ष पुनः खोले जाते हैं, विगत कई वर्षों से लगातार पत्राचार करने के बावजूद राज्य सरकार ने इस नियम का पालन नहीं किया।

2019-20 की समाप्ति पर 112 व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं में रखी ₹ 2.82 करोड़ की अव्ययित शेष राशि राज्य की समेकित निधि में स्थानांतरित नहीं की गई। 2019-20 के दौरान व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं की प्रास्थिति तालिका-4.8 में दी गई है।

तालिका-4.8: 31 मार्च 2020 तक व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं (एमएच-8443-106) की प्रास्थिति

(₹ करोड़ में)

01.04.2019 तक के		वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि		वर्ष के दौरान संवितरण		31.03.2020 तक अंत शेष		परिचालित लेखे		बंद किए गए लेखे	
सं०	राशि	सं०	राशि	सं०	राशि	सं०	राशि	सं०	राशि	सं०	राशि
112	2.56	00	0.61	00	0.35	112	2.82	102	2.59	10	0.23

112 व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं में से 36 लेखाओं में शून्य शेष था तथा ये व्यक्तिगत निक्षेप लेखे एक वर्ष से अधिक समय से परिचालन में नहीं थे। निर्धारित प्रक्रियानुसार व्यक्तिगत निक्षेप लेखे लेखा के प्राधिकृत शीर्षों अर्थात् एमएच-8443-सिविल निक्षेप-106-व्यक्तिगत निक्षेप के तहत खोले जाते हैं तथा व्यक्तिगत निक्षेप लेखाधारकों एवं समस्त कोषागारों द्वारा आपूरित धन एवं ऋण ज्ञापनों (वृद्धि व हानि) के साथ मिलान किए जाते हैं। यद्यपि दो ऐसे मामले देखे गए जहां व्यक्तिगत निक्षेप लेखे लेखाओं के प्राधिकृत शीर्षों के बजाय अन्य शीर्षों (8448-106 और 8448-109) में खोले गए थे।


व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं में राशि रखी रहने के परिणामस्वरूप व्यय में अधिकतम सीमा तक अन्योक्ति हुई। व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं का आवधिक रूप से मिलान न करने तथा व्यक्तिगत निक्षेप लेखाओं में रखी अव्ययित राशि समेकित निधि में स्थानांतरित न करने से लोक धन के दुरुपयोग, धोखाधड़ी एवं दुर्विनियोजन का खतरा उत्पन्न होता है।

4.9 लघु शीर्ष-800 का अविवेकपूर्ण उपयोग

अन्य प्राप्तियों एवं अन्य व्यय के सम्बन्ध में लघु शीर्ष-800 तब संचालित किए जाते हैं जब लेखाओं में मुख्य शीर्ष के तहत उचित लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं होते। यदि ऐसे दृष्टान्त नियमित रूप से घटित होते हैं तब यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वे प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) से चर्चा कर उचित लघु शीर्ष खोलने की मंजूरी प्राप्त करें। लघु शीर्ष-800 नियमित तौर से संचालित नहीं किए जाने चाहिए क्योंकि प्राप्तियों एवं व्यय की लघु शीर्ष 800 के तहत अविवेकपूर्ण बुकिंग लेनदेन की प्रकृति एवं प्रारदर्शिता को प्रभावित करती है तथा लेखाओं को अस्पष्ट बनाती है।

2015-16 से 2019-20 के दौरान कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में लघु शीर्ष - 800 के संचालन की प्रवृत्ति चार्ट-4.2 में दी गई है।

चार्ट-4.2: 2015-20 के दौरान लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय का संचालन



2019-20 के दौरान 43 मुख्य लेखा शीर्षों के तहत ₹ 1,275 करोड़ की राशि, जो व्यय (₹ 35,904 करोड़) की 3.55 प्रतिशत थी, राजस्व एवं पूंजीगत लेखाओं में लघु शीर्ष -800 “अन्य व्यय” के अन्तर्गत वर्गीकृत की गई थी। इसी भांति, 46 मुख्य लेखा शीर्षों के तहत ₹ 1,637 करोड़ जो प्राप्तियों का 5.33 प्रतिशत था (₹ 30,744 करोड़) लघु शीर्ष-800 “अन्य प्राप्तियों” के अन्तर्गत बुक किया गया। वर्ष 2019-20 के दौरान लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियां व 800-अन्य व्यय के अन्तर्गत वर्गीकृत प्राप्तियों एवं व्यय की उल्लेखनीय राशि (20 प्रतिशत या ₹ 5 करोड़ से अधिक) वाले दृष्टांत तालिका-4.9 में दर्शाए गए हैं।

तालिका-4.9: 2019-20 के दौरान लघु शीर्ष: 800-अन्य प्राप्तियां/व्यय के अन्तर्गत बुक की गई उल्लेखनीय राशि

(₹ करोड़ में)

“800-अन्य प्राप्तियां”				“800-अन्य व्यय”			
मुख्य शीर्ष	कुल प्राप्तियां	लघु शीर्ष 800 के तहत बुक	प्रतिशत	मुख्य शीर्ष	कुल व्यय	लघु शीर्ष 800 के तहत बुक	प्रतिशत
0801-विद्युत	1,021.68	1,021.68	100.00	4711-प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	326.68	309.64	94.78
0045-माल कर व सेवा कर	312.10	210.37	67.40	2230-श्रम रोजगार और कौशल विकास	270.22	128.52	47.56
0853-गैर-लौह खनन और धातुकर्म उद्योग	246.30	56.20	22.82	5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवा पर पूंजीगत परिव्यय	137.69	137.63	99.96
0049-ब्याज प्राप्तियां	245.36	61.51	25.07	4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	85.00	55.00	64.70
0235- समाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	38.79	36.73	94.68	5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	33.69	33.05	98.10

“800-अन्य प्राप्तियां”				“800-अन्य व्यय”			
मुख्य शीर्ष	कुल प्राप्तियां	लघु शीर्ष 800 के तहत बुक	प्रतिशत	मुख्य शीर्ष	कुल व्यय	लघु शीर्ष 800 के तहत बुक	प्रतिशत
0059-निर्माण लोक कार्य	53.51	16.47	30.79	4851- गांवों तथा छोटे उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	29.95	22.08	73.71
0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	49.65	26.87	54.11	2075- विविध सामान्य सेवाओं	23.89	23.65	99.01
0217- शहरी विकास	6.62	6.62	100.00	4070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं पर पूंजीगत परिव्यय	15.91	12.91	81.14
1475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	13.36	8.59	64.30	2852- उद्योग	11.59	7.19	62.04
0401-फसल पालन	8.48	5.95	70.09	4700- बड़ी सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	9.07	9.07	100
1452-पर्यटन	5.89	5.75	97.54	--	--	--	--
0406-वानिकी एवं वन्यजीव	83.61	16.78	20.07	--	--	--	--
1054- सड़कें एवं पुल	12.44	4.81	38.65	--	--	--	--
योग:	2,097.79	1,478.33	70.47	कुल:	943.69	738.74	78.28

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, 13 मुख्य शीर्षों से संबंधित प्राप्तियों का लगभग 70 प्रतिशत ‘800-अन्य प्राप्तियों’ के तहत बुक किया गया था। इसी प्रकार, 10 मुख्य शीर्षों से संबंधित राजस्व एवं पूंजीगत व्यय का लगभग 78 प्रतिशत ‘800-अन्य व्यय’ के तहत बुक किया गया था। लघु शीर्ष ‘800-अन्य प्राप्तियां/व्यय’ के तहत बुक की गई बड़ी राशि का वर्गीकरण वित्तीय रिपोर्टिंग की सही पारदर्शिता / स्थिति को प्रभावित करता है तथा व्यय की गुणवत्ता एवं आवंटन प्राथमिकताओं के सही विश्लेषण को विकृत करता है।

आगे यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस मामले पर वित्त विभाग के साथ भी बात की जा चुकी थी तथा वित्त विभाग ने राज्य के समस्त विभागों को लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय/अन्य प्राप्तियों के तहत बुकिंग बंद करने के निर्देश (अक्टूबर 2018) जारी किए थे। आगे यह भी निर्देश दिए गए थे कि व्यय पहले से मौजूद उचित लघु शीर्ष के तहत अथवा उचित लघु शीर्ष के तहत अथवा उचित लघु शीर्ष का नया उप-शीर्ष खोल कर बुक किया जाए। परंतु जैसा कि उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि लघु शीर्ष-800 के तहत व्यय अभी भी बुक किए जा रहे थे।

माप से सम्बन्धित मुद्दे

4.10 मुख्य उचंत एवं ऋण, निक्षेप व प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष

वित्त लेखे उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत निवल शेष को प्रदर्शित करते हैं। इन शीर्षों के अन्तर्गत बकाया शेष राशि की गणना विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत बकाया डेबिट एवं क्रेडिट शेष को अलग-अलग करके की जाती है। उचंत एवं प्रेषण मदों की अनापत्ति राज्य कोषागारों/कार्यों तथा वन मण्डलों इत्यादि द्वारा प्रस्तुत विवरण पर निर्भर करती है। विगत तीन वर्षों में मुख्य उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत सकल आंकड़ों की प्रास्थिति तालिका-4.10 में दी गई है।

तालिका-4.10: उचंत एवं प्रेषण शेष की प्रास्थिति

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष का नाम	2017-18		2018-19		2019-20	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
8658 - उचंत लेखे						
101-वेतन एवं लेखा कार्यालय-उचंत	86.03	36.55	96.21	35.55	124.62	56.33
निवल	49.48 डेबिट		60.66 डेबिट		68.29 डेबिट	
102- उचंत लेखे (सिविल)	171.47	164.12	149.77	131.53	1,551.08	164.34
निवल	7.35 डेबिट		18.24 डेबिट		1,386.74 डेबिट	
110- रिजर्व बैंक उचंत -केन्द्रीय लेखा कार्यालय	0.03	0.03	0.57	---	3,755.23	3,755.23
निवल	शून्य		0.57 डेबिट		शून्य	
112-स्रोत पर कटौती उचंत	400.08	453.76	484.05	497.09	447.74	468.23
निवल	53.68 क्रेडिट		13.04 क्रेडिट		20.49 क्रेडिट	
129-सामग्री खरीद निपटान पर उचंत लेखा	270.59	347.59	164.43	305.64	139.79	244.17
निवल	77.00 क्रेडिट		141.21 क्रेडिट		104.38 क्रेडिट	
8782 - एक ही लेखा अधिकारी को लेखा प्रदान करने वाले अधिकारियों के बीच नकद प्रेषण एवं समायोजन						
102-लोक निर्माण कार्य प्रेषण	6,668.66	7,037.44	7,185.44	7,660.51	7,507.51	8,104.89
निवल	368.78 क्रेडिट		475.07 क्रेडिट		597.38 क्रेडिट	
103- वन प्रेषण	120.04	151.49	151.59	187.49	124.72	141.58
निवल	31.45 क्रेडिट		35.90 क्रेडिट		16.86 क्रेडिट	

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2019-20 के वित्त लेखाओं में दर्शाए गए लघु शीर्ष 101-वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत, 102-उचंत लेखा (सिविल) तथा मुख्य शीर्ष 8658-उचंत लेखा के अंतर्गत 110-रिजर्व बैंक उचंत-केन्द्रीय लेखा कार्यालय के तहत उचंत शेष बकाया (डेबिट/क्रेडिट) नीचे वर्णित है:

वेतन एवं लेखा कार्यालय- उचंत (लघु शीर्ष 101): यह लघु शीर्ष संघ सरकार के अधीन वेतन एवं लेखा कार्यालयों, केंद्र शासित प्रदेशों के वेतन एवं लेखा कार्यालयों तथा महालेखाकार की बहियों में हुए अंतर्विभागीय

एवं अंतर्संरकारी लेनदेनों को समायोजन करने के लिए संचालित किए जाते हैं। विगत वर्ष के अंत के ₹60.66 करोड़ के डेबिट शेष के प्रति इस शीर्ष के तहत बकाया डेबिट शेष (31 मार्च 2020) ₹ 68.29 करोड़ था। इस शीर्ष के तहत बकाया डेबिट शेष का अर्थ है कि वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा किसी अन्य वेतन एवं लेखा कार्यालय की ओर से भुगतान किया गया है, जिसकी वसूली अभी बाकी है।

उचंत लेखा-सिविल (लघु शीर्ष 102): वे लेन-देन जो कुछ जानकारी /दस्तावेजों (चालान, वाउचर आदि) के अभाव में व्यय/प्राप्ति लेखाओं के अंतिम शीर्ष में नहीं लिए जा सकते, उन्हें आरंभिक तौर पर इस उचंत शीर्ष के तहत बुक किया जाता है।

विगत वर्ष 2018-19 की तुलना में 2019-20 के दौरान, उचंत शीर्ष के तहत डेबिट शेष में ₹ 1,401.31 करोड़ की उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिसका प्राथमिक कारण राज्य सरकार द्वारा बारम्बार अनुरोध करने के बावजूद वास्तविक व्यय साक्ष्य (सम्बद्ध बिल/वाउचर) प्रस्तुत न करने से 2019-20 के दौरान ₹ 1,373.77 करोड़ का व्यय (राजस्व व्यय: ₹ 1,202.25 करोड़ एवं पूंजीगत व्यय: ₹ 171.52 करोड़) बुक करना था। राशियां मात्र कोषागार से स्वीकृति आदेशों के आधार पर आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा आहरित की गई तथा सरकारी खाते से बाहर विभिन्न बचत बैंक खातों में रखी गई। यद्यपि राज्य सरकार ने उक्त राशि को वास्तविक व्यय हुए बिना राज्य विधानसभा द्वारा बनाए गए बजट प्रावधानों के प्रति हुए व्यय के रूप में व्ययित मान लिया था।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, यह देखा गया कि मुख्य शीर्ष-उचंत के तहत इन लघु लेखा शीर्षों में कोई प्रतिकूल शेष नहीं था।

4.11 विभागीय आंकड़ों का मिलान

व्यय को बजट अनुदानों के भीतर रखते हुए उस पर प्रभावी नियंत्रण हेतु विभाग के नियंत्रण अधिकारियों को सक्षम बनाने के लिए तथा उनके लेखाओं की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य वित्तीय नियम निर्धारित करने के लिए राज्य वित्तीय नियम निर्धारित करते हैं कि उनकी बहियों में वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज किए गए प्राप्तियों व व्यय के आंकड़ों का वे प्रति माह प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) की बहियों में दर्ज आंकड़ों से मिलान करें।

वर्ष 2019-20 के दौरान, 102 मुख्य नियंत्रक अधिकारियों / नियंत्रक अधिकारियों द्वारा क्रमशः ₹ 30,744 करोड़ (100 प्रतिशत) की प्राप्तियों एवं ₹ 35,904.34 करोड़ (100 प्रतिशत) के व्यय को सम्मिलित करते हुए पूर्ण मिलान किया गया था। विगत तीन वर्षों (2017-20) के दौरान मुख्य नियंत्रक अधिकारियों / नियंत्रक अधिकारियों द्वारा प्राप्तियों व व्यय के आंकड़ों का पूर्ण रूप से मिलान किया गया है।

4.12 नकद शेष का सामंजस्य

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के लेखा बहियों एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किए गए नकद शेष के मध्य दर्शाए गए राज्य के नकद शेष में अंतर नहीं होना चाहिए।

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हिमाचल प्रदेश के लेखाओं में दर्शाए गए आंकड़ों एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित आंकड़ों के मध्य 31 जुलाई 2020 तक नकद शेष में ₹ 17.28 करोड़ (डेबिट) का कुल अंतर था। प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हिमाचल प्रदेश के कार्यालय द्वारा निकाला गया नकद शेष ₹ 77.93 करोड़ था जबकि भारतीय रिजर्व बैंक ने ₹ 60.65 करोड़ (क्रेडिट) सूचित किया। राज्य सरकार ने एजेन्सी बैंकों पर कोई दण्डात्मक ब्याज नहीं लगाया।

प्रकटीकरण से सम्बन्धित मुद्दे

4.13 लेखांकन मानकों का अनुपालन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श पर, संघ तथा राज्यों के लेखाओं का रूप निर्धारित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने लेखांकन प्रणालियों की परिवृद्धि हेतु सरकारी लेखांकन एवं वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए मानक निरूपित करने हेतु 2002 में सरकारी लेखांकन मानक परामर्श बोर्ड स्थापित किया। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श पर, भारत के राष्ट्रपति ने अब तक तीन भारत सरकार लेखांकन मानक अधिसूचित कर चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा मौजूदा लेखांकन मानकों की अनुपालन का विवरण तालिका 4.11 में दी गई है।

तालिका-4.11: लेखा मानकों का अनुपालन

क्रम सं०	लेखा मानक	राज्य सरकार द्वारा अनुपालन	कमी का प्रभाव
1	भारतीय सरकार लेखांकन मानक 1: सरकार द्वारा दी गई गारंटी	अनुपालन	प्रत्येक संस्थान के लिए गारंटियों की संख्या जैसी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई है।
2	भारतीय सरकार लेखांकन मानक 2: अनुदान और सहायता का वर्गीकरण	आंशिक रूप से अनुपालन (वित्त खातों के विवरण 10 और परिशिष्ट- III)	राज्य सरकार विभिन्न प्रयोजनों और योजनाओं के लिए विभिन्न निकायों को अनुदान देती है। राज्य सरकार द्वारा दी गई अनुदान सहायता का विवरण आईजीएस-2 की आवश्यकता के अनुसार वित्त खातों के विवरण 10 और परिशिष्ट- III में दिखाया गया है। वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 3,506.49 करोड़ की सहायता के लिए अनुदान राशि जारी की और पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण के लिए ₹ 844.73 करोड़ की राशि आवंटित की। हालाँकि इस राशि के ब्रेक-अप को प्रमुख वार प्रदान किया गया था, हालाँकि संस्थावार ब्रेक-अप उपलब्ध नहीं था।
3	भारतीय सरकार लेखांकन मानक 3: सरकारों द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम	आंशिक रूप से अनुपालन (वित्त खातों के विवरण 7 और 18)	सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिमों पर वित्त खातों के विवरण 7 और 18 को आईजीएस 3 की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया गया है, राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी (i) अन्य ऋणी संस्थाओं से बकाया में पुनर्भुगतान और (ii) ऋण लेने वाली संस्थाओं को वर्ष के दौरान दिए गए ऋण और अग्रिम जिनसे पहलके के ऋणों का पुनर्भुगतान बकाया है।

स्रोत: भारत सरकार के लेखा मानक और वित्त खाते

4.14 लेखाओं/स्वायत्त निकायों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के विलम्ब से प्रस्तुत करना

शिक्षा, कल्याण, कानून एवं न्याय, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में राज्य सरकार ने कोई स्वायत्त निकाय स्थापित किए हैं। जिनमें से राज्य के 18 स्वायत्त निकायों के सम्बन्ध में लेखाओं की लेखापरीक्षा का जिम्मा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को सौंपा गया है। इन 18 निकायों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें अधिनियम, 1971 की धारा 19(3) के तहत संचालित की जाती हैं तथा इनके लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन बनाए जाते हैं। वे प्राधिकरण जिनके लेखे बकाया थे, तालिका-4.12 में दिए गए हैं।

तालिका-4.12: निकायों या प्राधिकारियों के खातों की व्यवस्था

क्रम सं०	निकाय तथा प्राधिकरण का नाम	लम्बित खाते	2019-20 तक लम्बित खातों की संख्या
1	हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, शिमला	2019-20	01
2	हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	2013-14	07
3	प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण	2013-14	07
4	हिमाचल प्रदेश परिवहन तथा बस स्टेण्ड तथा विकास अथॉरिटी	2018-19	02
5	हिमाचल प्रदेश राज्य नियामक आयोग	2019-20	01
6	हिमाचल प्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद्, शिमला	2019-20	01
7	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हमीरपुर	2018-19	02
8	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर		02
9	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नाहन		02
10	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ऊना	2019-20	01
11	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला		01
12	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, किन्नौर (रामपुर)		01
13	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंडी		01

तालिका 4.12 में स्पष्ट है कि एक से सात वर्षों तक लेखे बकाया/लंबित थे। लेखाओं को अंतिम रूप देने में विलम्ब से वित्तीय अनियमितताओं का पता नहीं लग पाया तथा इस कारण, लेखाओं को शीघ्रतिशीघ्र अंतिम रूप देने एवं लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

सरकार अपनी वित्तीय स्थिति का आंकलन करने के लिए स्वायत्त निकायों एवं विभागीय रूप से संचालित उपक्रमों द्वारा वार्षिक लेखाओं के संकलन एवं प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया में गति लाने के लिए एक प्रणाली विकसित करे।

4.15 निकायों तथा प्राधिकरणों को दिए गए अनुदानों/ऋणों के विवरण प्रस्तुत न करना

उन संस्थानों की पहचान करने के लिए जिनकी नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के तहत लेखापरीक्षा करने हेतु सरकार/विभागाध्यक्षों द्वारा लेखापरीक्षा को प्रति वर्ष विभिन्न संस्थानों को दी गई वित्तीय सहायता, सहायता प्रदान किए जाने का उद्देश्य तथा संस्थान के कुल व्यय के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमन (संशोधन) 2020 में प्रावधान है कि सरकार एवं विभागाध्यक्ष, जो निकायों अथवा प्राधिकरणों को अनुदान तथा/अथवा ऋण स्वीकृत करते हैं, वे ऐसे निकायों एवं प्राधिकरणों का विवरण, जिन्हें चालू वर्ष के दौरान ₹ 10 लाख या उससे अधिक का सकल अनुदान तथा/अथवा ऋण दिया गया है, प्रत्येक वर्ष की जुलाई के अंत तक लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे, जिसमें—(क) सहायता राशि, (ख) सहायता स्वीकृत किए जाने का उद्देश्य तथा (ग) निकाय या प्राधिकरण का कुल व्यय दर्शाया गया हो।

राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य में स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों को ₹ 10 लाख या उससे अधिक के सकल अनुदान से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रस्तुत नहीं की थी। यद्यपि, लेखापरीक्षा ने सम्बन्धित निकायों/प्राधिकरणों से जानकारी मांगी थी जिस पर केवल पांच¹ निकायों/प्राधिकरणों (36 में से) ने लेखापरीक्षा को जानकारी प्रस्तुत की (परिशिष्ट 4)।

इस प्रकार, राज्य सरकार/विभागाध्यक्षों द्वारा निर्धारित समय में लेखापरीक्षा को जानकारी प्रस्तुत न करना लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमों (संशोधन) 2020 का उल्लंघन था। इसके अतिरिक्त, इस जानकारी के अभाव में लेखापरीक्षा किए जाने वाले निकायों, प्राधिकरणों की पहचान नहीं हो सकी तथा साथ ही राज्य की समेकित निधि से दिए गए अनुदानों एवं ऋणों से किए गए व्यय की शुद्धता, नियमितता/औचित्य की जांच भी लेखापरीक्षा में नहीं की जा सकी।

4.16 लेखाओं की समयबद्धता एवं गुणवत्ता

2019-20 के दौरान लेखा प्रस्तुत करने वाली समस्त संस्थाएं (कोषागार, लोक निर्माण विभाग व सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग तथा वेतन व लेखा कार्यालय, नई दिल्ली), जो प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) का उनके मासिक लेखे प्रस्तुत करते हैं, उन्होंने लेखे समय पर प्रस्तुत किए तथा अपवर्जन का कोई मामला सामने नहीं आया।

अन्य मुद्दे

4.17 दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 1971 (2009 में संशोधित) के नियम 24 के अनुसार, किसी अधिकारी से कोई चूक, प्राचलन अथवा उपेक्षा करने के कारण जानबूझ कर या अनजाने में इन नियमों के नियम 21 में उल्लिखित कारणों से सरकार को होने वाली किसी हानि के लिए उसको व्यक्तिगत रूप से अथवा परोक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 1971 (2009 में संशोधित) के नियम 145 (5) के अनुसार यदि सरकारी कर्मचारी की उपेक्षा, धोखाधड़ी या शरारत के कारण माल अनुपयोगी हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी।

राज्य सरकार ने मार्च 2020 तक ₹ 90.12 लाख तक की सरकारी धनराशि के अंतर्ग्रस्त दुर्विनियोजन/हानि, चोरी आदि के 42 मामलों की सूचना दी, जिन पर अंतिम कार्यवाही शेष थी। इन सभी मामलों में, संबंधित विभागों ने प्राथमिकी सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज कराई थी। लंबित मामलों का विभाग-वार विवरण तथा लम्बित होने के कारण तालिका-4.13 में सारांशित किए गए हैं।

¹ पशुधन विकास बोर्ड, बालू गंज, शिमला, हिमाचल प्रदेश राज्य मिल्कफेड को-ओपरेशन, टूटू, शिमला, हिमाचल प्रदेश राज्य को-ओपरेटिव मार्किटिंग एवं उपभोगकर्ता फैंडरेशन लिमिटेड, भाषा अकादमी, कला एवं संस्कृति व आर.यू.एस.ए.

तालिका-4.13: लंबित मामलों के विभाग-वार विवरण तथा दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के मामलों में लम्बित कार्रवाई के कारण

विभाग का नाम	दुर्विनियोजन/हानि, चोरी आदि के मामले		दुर्विनियोजन/हानि, चोरी आदि निपटान में देरी के कारण	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाखों में)
	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाखों में)			
शिक्षा	04	3.88	विभागीय और अपराधिक जांच का इंतजार	26	31.37
ग्रामीण विकास	02	4.68			
कृषि	02	9.46	वसूली या बट्टे खाते में डालने के आदेश का इंतजार	01	2.57
भू-राजस्व	01	2.57			
बागवानी	03	2.89	कानून की अदालतों में लंबित रिकवरी की गई लेकिन लोक लेखा समिति से अंतिम निपटान की प्रतीक्षा है	04	26.36
पुलिस	01	0.08			
नगर निगम चम्बा	01	0.42	रिकवरी की गई लेकिन लोक लेखा समिति से अंतिम निपटान की प्रतीक्षा है	09	29.00
गृह रक्षक	02	25.37			
जन स्वास्थ्य (चिकित्सा)	01	0.95	अन्य	02	0.82
वन	05	19.75			
लोक निर्माण कार्य	15	11.16	योग	42	90.12
जल शक्ति	05	8.91			

स्रोत: विभाग द्वारा प्राप्त एवं लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना।

राज्य सरकार दुर्विनियोजन/हानि, चोरी, इत्यादि से सम्बंधित मामलों का त्वरित एवं समयबद्ध समायोजन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तंत्र खोजें।

लम्बित मामलों की समयवार-रूपरेखा तथा प्रत्येक श्रेणीवार जैसे सरकारी सामग्री की चोरी तथा दुर्विनियोजन/हानि में लम्बित मामलों की संख्या तालिका 4.14 में सारांशित की गई है।

तालिका 4.14: दुर्विनियोजन, हानि, गबन आदि की रूपरेखा

(₹ लाख में)

लंबित मामलों की समय-वार रूपरेखा			लंबित मामलों की प्रकृति		
वर्ष-वार श्रेणी	मामलों की संख्या	सम्मिलित राशि		मामलों की संख्या	सम्मिलित राशि
0-5	3	4.81	चोरी के मामले	8	7.20
5-10	6	8.85			
10-15	5	12.03	सरकारी सामग्री का दुर्विनियोजन/हानि	34	82.92
15-20	12	41.39			
20-25	3	4.91			
25 से ऊपर	13	18.13	कुल लंबित मामले	42	90.12
कुल	42	90.12			

हानि के कुल मामलों में से 80.95 प्रतिशत मामले सरकारी सामग्री के दुर्विनियोजन/हानि से सम्बन्धित हैं तथा 19.05 प्रतिशत चोरी के मामले हैं। दुर्विनियोजन/चोरी के कुल 42 मामलों में से 61.90 प्रतिशत (26 मामले) विभाग द्वारा अंतिम रूप देने/कार्रवाई करने में विलम्ब तथा अपराधिक जांच में विलम्ब के कारण लम्बित थे। बाद में यह देखा गया कि कुल 42 मामलों में से 39 मामले पांच वर्षों से अधिक पुराने थे जिसमें 16 वे मामले भी थे जो 20 वर्षों से अधिक पुराने थे। इन मामलों को अंतिम रूप देने में विभागों के उदासीन दृष्टिकोण से न केवल राज्य के राजकोष को हानि हुई अपितु गलती करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय नहीं हुई।

सरकार चोरी, दुर्विनियोजन आदि के मामलों में त्वरित कार्रवाई करने हेतु समयबद्ध ढांचा निर्मित करे।

4.18 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

वर्ष 2008-09 से राज्य के वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार कर राज्य विधायिका में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने वर्ष 2016-17 तक के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई से सम्बन्धित टिप्पणी/स्वतः उत्तर प्रस्तुत कर दिए हैं। लोक लेखा समिति के साथ यह मुद्दा उठाए जाने के बावजूद भी राज्य विधायिका की लोक लेखा समिति ने राज्य के वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर चर्चा नहीं की।

4.19 निष्कर्ष

- उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करना, अनुदेयी को विभाग द्वारा जारी अनुदानों के सन्दर्भ में निगरानी के अभाव तथा विभिन्न कार्यों/योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु जारी निधियों की अप्रयुक्ति, दुरुपयोग अथवा व्यपवर्तन का जोखिम उत्पन्न होने का परिचायक था।
- स्वायत्त निकायों द्वारा लेखे प्रस्तुत न करने तथा अनुदानों एवं ऋणों के माध्यम से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकायों/प्राधिकरणों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध न कराने से ऐसे स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों में वित्तीय अनियमितताओं का पता न चलने का जोखिम था।
- अग्रिमों को पहचानने/विशिष्टता जानने हेतु किसी तंत्र के बिना सार आकस्मिक बिलों के माध्यम से उनके आहरण एवं तत्पश्चात् निगरानी के अभाव से दुर्विनियोजन/अपराध का जोखिम उत्पन्न हुआ। इसके अतिरिक्त, सरकारी सामग्री के दुर्विनियोजन/हानि, चोरी तथा गबन के मामले पाए गए, जिनके सम्बन्ध में विभागीय कार्रवाई लम्बित थी।
- विभिन्न मुख्य शीर्षों के तहत लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' एवं '800-अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत व्यय एवं प्राप्तियों की उल्लेखनीय राशि बुक की गई थी जिसने वित्तीय रिपोर्टिंग की पारदर्शिता को प्रभावित किया। बहुउद्देशीय लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय/अन्य प्राप्तियों के संचालन ने वित्तीय रिपोर्टिंग की पारदर्शिता को प्रभावित किया तथा इसने व्यय की गुणवत्ता एवं आवंटन प्राथमिकताओं के सही विश्लेषण को अस्पष्ट किया।
- राज्य सरकार ने राज्य में भारत सरकार लेखांकन मानक-2 एवं 3 के नियमों को अभी तक लागू नहीं किया है, इसलिए वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता संकट में है।

4.20 सिफारिशें

- सरकार निर्दिष्ट उद्देश्यों हेतु जारी अनुदानों के संबंध में विभागों द्वारा उपयोगिता-प्रमाणपत्रों का समयबद्ध प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करें।
- राज्य सरकार सार आकस्मिक बिलों द्वारा आकस्मिक प्रकृति के अग्रिमों के आहरण एवं विस्तृत आकस्मिक बिलों के माध्यम से उनके समायोजन की निगरानी हेतु एक तंत्र विकसित करें।
- सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए भी एक तंत्र स्थापित करें कि संबंधित स्वायत्त निकाय/प्राधिकरण तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम लेखापरीक्षा को उनके लेखे शीघ्र/बिना विलम्ब प्रस्तुत करें।

- राज्य सरकार बहुउद्देशीय लघु शीर्ष 800 के संचालन को हतोत्साहित करे तथा लेखा-बहियों में लेनदेन के सही वर्गीकरण हेतु उचित लेखा शीर्षों की पहचान करने के लिए प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) से परामर्श करके एक निश्चित समयसीमा/अवधि की रूपरेखा बनाए।
- राज्य सरकार वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में सुधार हेतु भारत सरकार लेखांकन मानक पूर्णतः लागू करने हेतु ठोस कदम उठाए।

शिमला
दिनांक 09 अगस्त 2021



(ऋतु ढिल्लों)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक 23 अगस्त 2021



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1

(संदर्भ: परिच्छेद 1.1; पृष्ठ 1)

राज्य रूपरेखा

क सामान्य आंकड़े

क्रमांक	विवरण	आंकड़े
1.	क्षेत्रफल	55,673 वर्ग कि०मी०
2.	जनसंख्या	
	क जनगणना (2001) के अनुसार	0.61 करोड़
	ख जनगणना (2011) के अनुसार 2020 (अनुमानित)	0.69 करोड़ 0.73 करोड़
3.	(क) जनसंख्या घनत्व (2001) (अखिल भारतीय घनत्व =325 व्यक्ति/वर्ग कि०मी०) (ख) जनसंख्या घनत्व (2011) (अखिल भारतीय औसत=382 व्यक्ति/वर्ग कि०मी०)	109 व्यक्ति/ वर्ग कि०मी० 123 व्यक्ति/ वर्ग कि०मी०
4.	गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या (2011-12) (अखिल भारतीय औसत= 21.90%)	8.10%
5.	(क) साक्षरता (2001) (अखिल भारतीय औसत= 64.8%) (ख) साक्षरता (2011) (अखिल भारतीय औसत= 73%)	76.50% 82.80%
6.	क) शिशु मृत्यु दर (2017) (अखिल भारतीय शिशु मृत्यु दर = 33) (ख) जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (2013-17) (अखिल भारतीय औसत = 69.4)	22 72.9
7.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2019-20 (₹ करोड़ में)	1,65,472
8.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (2011-12 से 2019-20)	10.82 (विशेष श्रेणी राज्य : 11.24)

ख वित्तीय आंकड़े

संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर		2010-11 से 2018-19		2014-15 से 2018-19		2018-19 से 2019-20	
		सभी विशेष श्रेणी राज्य	हिमाचल प्रदेश	सभी विशेष श्रेणी राज्य	हिमाचल प्रदेश	सभी विशेष श्रेणी राज्य	हिमाचल प्रदेश
क	राजस्व प्राप्तियाँ	12.26	11.77	12.85	14.76	-9.88	-0.67
ख	कर राजस्व	13.29	9.58	11.8	6.26	-8.1	0.67
ग	कर-भिन्न राजस्व	13.92	6.62	22.55	7.98	-19.72	-11.61
घ	कुल व्यय	12.56	10.11	12.45	10.98	-6.05	5.42
ड.	पूँजीगत व्यय	11.41	12.48	14.74	16.68	-15.6	12.88
च	शिक्षा पर राजस्व व्यय	12.75	10.25	12.41	9.10	-8.16	4.54
छ:	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय	15.5	12.02	17.07	11.21	-4.96	9.66
ज	वेतन एवं मजदूरी	12.05	8.24	12.45	7.42	-7.07	4.74
झ	पेंशन	16.56	11.35	16.52	14.30	3.05	10.35

स्रोत: वित्त लेखे एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, भारत की जनगणना की सूचना (2011), हिमाचल प्रदेश का आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

परिशिष्ट-2

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.2.1 तथा 2.4.1; पृष्ठ 20 तथा 33)

राज्य सरकार के वित्त पर समयावली आंकड़े

(₹ करोड़ में)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
भाग-क: प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियां	23,440	26,264	27,367	30,950	30,742
(i) कर राजस्व	6,696 (29)	7,039 (27)	7,108(26)	7,573(24)	7,624(25)
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	-	-	1,833(26)	3,343(44)	3,550(47)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3,993 (60)	4,382 (63)	2,526(36)	1,185(16)	1,170(15)
राज्य उत्पाद	1,131 (17)	1,308 (19)	1,311(18)	1,482(20)	1,660(22)
वाहन कर	317 (5)	280 (4)	367(5)	408(5)	466(6)
स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	206 (3)	209 (3)	229(3)	251(3)	260(4)
विद्युत पर कर एवं शुल्क	551(8)	372(5)	361(5)	487(7)	101(1)
भू-राजस्व	7(-)	8(-)	17(-)	8(-)	5(-)
माल व यात्री कर	115 (2)	121(2)	112(2)	104(1)	104(1)
अन्य कर	376(5)	359(4)	352(5)	305(4)	308(4)
(ii) कर-भिन्न राजस्व	1,837 (8)	1,717 (6)	2,364(9)	2,830(9)	2,501(8)
(iii) संघीय करों व शुल्कों में राज्यांश	3,611 (15)	4,344 (17)	4,801(17)	5,430(18)	4,678(15)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	11,296 (48)	13,164 (50)	13,094(48)	15,117(49)	15,939(52)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	-	-	35	9	2
3. ऋणों व अग्रिमों की वसूलियां	26	30	40	22	21
4. कुल राजस्व एवं गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)	23,466	26,294	27,442	30,981	30,765
5. लोक ऋण प्राप्तियां	6,129	8,603	5,600	6,427	10,847
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों को छोड़कर)	4,294 (70)	6,831 [#] (79)	5,118(91)	4,864(76)	7,333(67)
अर्थोपाय अग्रिम व अधिविकर्ष	1,785 (29)	1,671 (20)	400(7)	1,496(23)	3,444(32)
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	50 (1)	101 (1)	82(2)	67(1)	70(1)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	29,595	34,897	33,042	37,408	41,612
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियां	-	-	-	-	-
8. लोक लेखा प्राप्तियां	11,515	13,630	14,680	16,121	22,569
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	41,110	48,527	47,722	53,529	64,181
भाग ख. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	22,303	25,344	27,053	29,442	30,730
आयोजनागत	3,493(16)	4,520(18)	3,772(14)	4,263(14)	4,028(13)
आयोजनेत्तर	18,810(84)	20,824(82)	23,281(86)	25,179(86)	26,702(87)
सामान्य सेवाएं (ब्याज अदायगियों सहित)	8,788(39)	9,728 (38)	11,009(41)	11,438(39)	12,335(40)
सामाजिक सेवाएं	7,980 (36)	9,610 (38)	10,337(38)	11,482(39)	12,047(39)
आर्थिक सेवाएं	5,525 (25)	5,996 (24)	5,697(21)	6,512(22)	6,338(21)
सहायता अनुदान व अंशदान	10 (-)	10 (-)	10(-)	10(-)	10(-)
11. पूंजीगत व्यय	2,864	3,499	3,756	4,583	5,174
आयोजनागत	2,568(90)	3,115(89)	3416(91)	4,102(90)	4,820(93)
आयोजनेत्तर	296(10)	384(11)	340(9)	481(10)	354(7)
सामान्य सेवाएं	88(3)	208 (6)	192(5)	227(5)	204(4)

सामाजिक सेवाएं	792(28)	1,041 (30)	1,135(30)	1,187(26)	1,258(24)
आर्थिक सेवाएं	1,984(69)	2,250 (64)	2,429(65)	3,169(69)	3,712(72)
12. ऋण व अग्रिमों का संवितरण	463	3,290 [®]	503	468	458
13. योग (10+11+12)	25,630	32,133	31,312	34,493	36,362
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
14. लोक ऋण चुकौतियां	3,948	3,943	3,500	4,673	6,701
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम व अधिविकर्ष को छोड़कर)	1,557	2,198	3,021	3,092	3,169
अर्थोपाय अग्रिम व अधिविकर्ष	2,320	1,671	400	1,496	3,444
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	71	74	79	85	88
15. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-	-	-	-
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	29,578	36,076	34,812	39,166	43,063
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	-	-	-	-	-
18. लोक लेखा संवितरण	10,577	12,351	13,043	14,493	20,111
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	40,155	48,427	47,855	53,659	63,174
भाग ग. घाटा/अधिशेष					
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+) (1-10)	1,137	920	314	1,508	12
21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय अधिशेष (+) (4-13)	(-) 2,165	(-) 2,948 [#]	(-) 3,870	(-)3,512	(-)5,597
22. प्राथमिक घाटा (-)/अधिशेष (+) (21+23)	990	411 [#]	(-) 82	510	(-)1,363
भाग घ: अन्य आंकड़े					
23. ब्याज अदायगियां (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	3,155	3,359	3,788	4,022	4234
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	2,612	3,357	2,895	3,634	3,506
25. प्राप्त किए गए अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष (दिवस)	31	23	2	19	38
प्राप्त किए गए अर्थोपाय अग्रिम (दिवस)	25	23	2	19	25
प्राप्त किए गए अधिविकर्ष (दिवस)	06	-	-	-	13
26. अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष पर ब्याज	6.40	16.17	-	-	3.61
				(0.96)	
27 सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1,14,239 (10.09)	1,25,634 (9.97)	1,38,351 (10.12)	1,53,845 (11.20)	1,65,472 (7.56)
28 बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्षान्त)	41,197	47,244 ^{##}	51,030	54,299	62,212
29. बकाया गारंटियां (वर्षान्त) (ब्याज सहित)	3,714	4,550	4,394	4,309	1,947
30. अधिकतम गारंटियां राशि (वर्षान्त)	9,658	12,320	8,848	5,181	640
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	12	12	11	10	13
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूद्ध पूंजी	143	188	176	181	268
भाग ड: राजकोषीय स्थिरता सूचकांक					
I जुटाए गए संसाधन (अनुपात)					
स्वयं का कर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05
स्वयं का कर-भिन राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02
केन्द्रीय अंतरण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.13	0.14	0.13	0.13	0.12
II व्यय प्रबन्धन (अनुपात)					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.22	0.26	0.23	0.22	0.22
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां	1.09	1.22	1.14	1.11	1.18

राजस्व व्यय/कुल व्यय	0.87	0.79	0.86	0.85	0.85
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.34	0.33	0.37	0.37	0.37
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.29	0.26	0.26	0.28	0.28
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.11	0.11	0.12	0.13	0.14
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.11	0.10	0.11	0.13	0.14
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबन्धन (अनुपात)					
1. राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+)/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.00	0.73	0.23	0.98	0.01
2. राजकोषीय घाटा (-)/ राजकोषीय अधिशेष (+)/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	-1.89	-4.65	-2.80	-2.28	-3.38
3. प्राथमिक घाटा (-)/ अधिशेष (+)/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.87	-1.97	-0.06	0.33	-0.82
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबन्धन (अनुपात)					
राजकोषीय देयताएं/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.36	0.38	0.37	0.35	0.38
राजकोषीय देयताएं/राजस्व प्राप्तियां	1.76	1.80	1.86	1.75	2.02

@ उदय स्कीम के ₹ 2,890.50 करोड़ सम्मिलित हैं।

उदय स्कीम के ₹ 2,890.50 करोड़ सम्मिलित नहीं हैं।

वित्तीय वर्ष 2016-17 से उदय स्कीम के ₹ 2,890.50 करोड़ सम्मिलित हैं।

* राजस्व अधिशेष है अतः आंकड़ों की गणना नहीं की गई।

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: परिच्छेद 3.1; पृष्ठ 69)

बजट से सम्बन्धित महत्वपूर्ण शब्दों की शब्दावली

1. **“वर्ष के लेखे अथवा वास्तविक”** - यह, अप्रैल को प्रारंभ होने वाले तथा 31 मार्च को समाप्त होने वाले किसी वित्तीय वर्ष की प्राप्तियों एवं संवितरणों की वह राशि होती है जो लेखांकन प्राधिकारी की बहियों में अंततः दर्ज की गई हो (नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई लेखापरीक्षा के अनुसार)। अंतिम लेखों से तात्पर्य है अलेखांकित लेखे।
2. **“योजना, प्रस्ताव अथवा कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति”**-यह समक्ष प्राधिकारी द्वारा व्यय करने के उद्देश्य से उसकी औपचारिक स्वीकृति होती है। यह उस वर्ष विशेष के दौरान जिसमें प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है, कार्य हेतु बजट में निधियों के प्रावधान के साथ ली गई वित्तीय स्वीकृति के रूप में कार्य करता है।
3. **“वार्षिक वित्तीय विवरण”**- यह बजट के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, जिसका अर्थ है प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु केन्द्र/राज्य सरकार की अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण, जिसे संसद/राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।
4. **“विनियोजन”**- इसका अर्थ है विनियोजन की किसी पृथक इकाई या भाग के तहत व्यय हेतु संसद/राज्य विधायिका द्वारा प्राधिकृत राशि जो संवितरण अधिकारी के निपटान हेतु रखी गई है।
5. **“प्रभारित व्यय”**- इसका तात्पर्य ऐसे व्यय से होता है जिसे संविधान के प्रावधानों के तहत विधायिका की सम्मति हेतु प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं होता।
6. **“भारत/राज्य की समेकित निधि”**- संघ/राज्य सरकार का समस्त राजस्व, उनके द्वारा उठाए गए ऋण व ऋण की चुकौती से प्राप्त समस्त धनराशि भारत/राज्य की समेकित निधि का निर्माण करती है। इस निधि से संविधान द्वारा प्रदत्त पद्धति में किसी उद्देश्य हेतु कानून के अनुरूप ही धन का विनियोजन किया जा सकता है।
7. **“आकस्मिक निधि”**- यह अग्रदाय प्रकृति की होती है। आकस्मिक निधि का उद्देश्य वर्ष के दौरान उत्पन्न अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए कार्यपालिका/सरकार को वह अग्रिम प्रदान करना है जिसका संसद/राज्य विधायिका द्वारा प्राधिकरण लम्बित है। आकस्मिक निधि से आहरित राशि की प्रतिपूर्ति अनुपूरक मांग के माध्यम से संसद/राज्य विधायिका से अनुमोदित होने के पश्चात् की जाती है।
8. **“नियंत्रक अधिकारी (बजट)”**- इसका तात्पर्य उस अधिकारी से है जिसे व्यय करने पर नियंत्रण अथवा राजस्व के संग्रहण की जिम्मेदारी विभाग द्वारा सौंपी जाती है। इस शब्द में विभागाध्यक्ष तथा प्रशासनिक अधिकारी भी सम्मिलित है।
9. **“आहरण एवं संवितरण अधिकारी”**- इसका तात्पर्य कार्यालय प्रमुख तथा कोई भी उस अन्य अधिकारी से है जिसे राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा राज्य सरकार की ओर से बिलों के आहरण एवं भुगतान करने हेतु नियुक्त (पदोन्नत) किया गया है। इस शब्द में इस प्रकार के कार्य का स्वयं निर्वहन करने वाले विभागाध्यक्ष भी सम्मिलित है।
10. **“अतिरिक्त अनुदान”**- अतिरिक्त अनुदान का अर्थ है, मूल अनुपूरक अनुदान के माध्यम से अनुमत प्रावधान के ऊपर एवं अधिक व्यय की वह राशि जिसे संविधान के अनुच्छेद 115/205 से अंतर्गत संसद/राज्य विधायिका से अतिरिक्त अनुदान के रूप में प्राप्त किया गया है तथा जिसका विनियमन अपेक्षित है।

11. **“नई सेवा”**– जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 115(1)(क)/250(1)(क) में दर्शाया गया है, नई सेवा का अर्थ उस व्यय से है जो नई नीति निर्णय के कारण उत्पन्न हुआ तथा संसद/राज्य विधायिका के संज्ञान में पहले नहीं लाया गया था तथा इसमें निवेश के नए रूप अथवा नई गतिविधि भी शामिल है।
12. **“सेवा के नए विलेख”**– इससे तात्पर्य है अपेक्षाकृत वह बड़ा व्यय जो मौजूदा गतिविधि के आगे बढ़ जाने से उत्पन्न होता है।
13. **“लोक लेखा”**– इसका तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 266(2) में संदर्भित लोक लेखा से है। निक्षेप, आरक्षित निधि, प्रेषण आदि जैसा प्राप्तियां व संवितरण, जो समेकित निधि का भाग नहीं बनते, वे लोक लेखा में सम्मिलित किए जाते हैं। लोक लेखा से संवितरण हेतु संसद/राज्य विधायिका की सम्मति की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ये भारत/राज्य की समेकित निधि से जारी की गई धनराशि नहीं होती।
14. **“पुनर्विनियोजन”**– इससे तात्पर्य उस अन्तरण से है, जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा विनियोजन की एक इकाई से बचत का अन्तरण उसी अनुदान अथवा प्रभारित विनियोजन के अंतर्गत दूसरी इकाई के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु किया जाता है।
15. **“संशोधित प्राक्कलन”**– यह एक वित्तीय वर्ष हेतु संभावित प्राप्तिओं अथवा व्यय का प्राक्कलन है जो पहले से जारी आदेशों के आलोक में शेष वर्ष हेतु पहले से दर्ज तथा प्रत्याशित लेनदेन के संदर्भ में तैयार किया जाता है।
16. **“अनुदानों की अनुपूरक मांग”**– यह वह अनुपूरक मांगों का विवरण है, जिसे विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में प्राधिकृत व्यय के अतिरिक्त एक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में आवश्यक अतिरिक्त व्यय की अनुमानित राशि को दर्शाया गया हो। अनुपूरक की मांग सांकेतिक, तकनीकी अथवा वास्तविक/नकद हो सकती है।
(क) **“नकद अनुपूरक”** मूल बजट प्रावधानों से अधिक व ऊपर लिए जाने वाले अनुदान होते हैं तथा इनके परिणामस्वरूप मांग/अनुदान के लिए आंभटन में वृद्धि होती है। इसे अंतिम उपाय के रूप में तथा उचित उद्यम के पश्चात् प्राप्त किया जाना चाहिए। वर्तमान में इस पद्धति का पालन राज्य द्वारा किया जा रहा है।
(ख) प्रत्येक मांग में चार अनुभाग हैं अर्थात् दत्तमत राजस्व, प्रभारित राजस्व, दत्तमत पूंजीगत एवं प्रभारित पूंजीगत **तकनीकी अनुपूरक**, राज्य विधायिका का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद किसी एक प्रभाग की बचतों को किसी अन्य प्रभाग में उपयोग करने की अनुमति देता है।
(ग) **सांकेतिक (टोकन) अनुपूरक** अनुदान के समान प्रभाग के भीतर बचतों का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करता है।
17. **“मुख्य शीर्ष”**– इससे तात्पर्य है राज्य के प्राप्तिओं एवं संवितरणों को दर्ज करने एवं वर्गीकरण करने के उद्देश्य के लिए लेखाओं का मुख्य शीर्ष। मुख्य शीर्ष विशेष रूप से समेकित निधि के अंतर्गत आता है जो सामान्यतः कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसे सरकार के ‘कार्य’ के समान है।
18. **“उप-मुख्य शीर्ष”**– इसका अर्थ उस मध्यावर्ती लेखा शीर्ष से है जो मुख्य शीर्ष तथा उसके अंतर्गत लघु शीर्षों के मध्य तब प्रस्तुत किए जाते हैं जब लघु शीर्षों की संख्या बहुत अधिक होती है तथा उन्हें सरलीकृत करते हुए ऐसे मध्यावर्ती शीर्ष के तहत समूहबद्ध किया जा सकता है।

19. **“लघु शीर्ष”**- इसका अर्थ मुख्य शीर्ष अथवा उप-मुख्य शीर्ष के अधीनस्थ शीर्ष से है। किसी मुख्य शीर्ष के अधीनस्थ लघु शीर्ष मुख्य शीर्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यों के उद्देश्य को प्राप्त करने वाले ‘कार्यक्रम’ की पहचान करता है।
20. **“उप शीर्ष”**- इसका अर्थ है लघु शीर्ष के अधीनस्थ एक लेखा इकाई जो सामान्यतः उस लघु शीर्ष अथवा कार्यक्रम के तहत योजना अथवा संगठन को दर्शाता है।
21. **“मुख्य कार्य”**- इसका अर्थ उस मूल कार्य से है जिसकी सरकार द्वारा अधिसूचित अनुमानित लागत, विभागीय प्रभागों को छोड़कर, समय-समय पर बढ़ जाती है।
22. **“लघु कार्य”**- इसका अर्थ उस मूल कार्य से है जिसकी सरकार द्वारा अधिसूचित अनुमानित लागत, विभागीय प्रभागों को छोड़कर, समय-समय पर नहीं बढ़ती।
23. **“रूपांतरित अनुदान अथवा विनियोजन”**- यह किसी विनियोजन उप-शीर्ष को आबंटित वह राशि है जो सक्षम अधिकारी द्वारा पुनर्विनियोजन अथवा अतिरिक्त या अनुपूरक अनुदान संस्वीकृति के पश्चात दी गई है।
24. **“अनुपूरक अथवा अतिरिक्त अनुदान या विनियोजन”**- इसका अर्थ विनियोजन अधिनियम में सम्मिलित उस प्रावधान से है जिससे वित्तीय वर्ष के दौरान, उस वर्ष हेतु विनियोजन अधिनियम में पूर्व में सम्मिलित राशि से अधिक हुए व्यय की पूर्ति की जाती है।
25. **“नए व्यय की अनुसूची”**- इसका अर्थ आगामी वर्ष हेतु बजट में शामिल करने के लिए प्रस्तावित नए व्यय की मदों का विवरण है।
26. **“संकेतिक (टोकन) मांग”**- इसका तात्पर्य अत्यन्त कम अथवा संकेतिक राशि के लिए विधान सभा में की गई मांग से है, उदाहरणार्थ इसे संस्वीकृत बजट अनुदान से हुई बचत से किसी नई सेवा के पूर्ण व्यय को पूरा करने के लिए प्रस्तावित किया जाता है।

परिशिष्ट-3.2

(संदर्भ: परिच्छेद 3.3.7; पृष्ठ 77)

विभिन्न अनुदान जहां बचतें प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी, का विवरण
(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	कुल अनुदान	बचतें	प्रतिशतता (20 प्रतिशत से अधिक)
राजस्व-दत्तमत					
1.	02	राज्यपाल एवं मंत्री परिषद	21.20	4.03	19.01
2.	03	न्याय प्रशासन	200.01	34.57	17.28
3.	04	सामान्य प्रशासन	239.09	54.07	22.61
4.	05	भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	1748.55	651.63	37.27
5.	06	आबकारी एवं कराधान	112.99	14.32	12.67
6.	07	पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	1433.06	212.47	14.83
7.	08	शिक्षा	6641.11	1110.61	16.72
8.	09	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2205.94	377.72	17.12
9.	10	लोक निर्माण-सड़क, पुल तथा भवन	3569.94	736.83	20.64
10.	11	कृषि	487.02	33.44	6.87
11.	12	बागवानी	374.99	78.64	20.97
12.	13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	2586.54	227.91	8.81
13.	14	पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य पालन	406.03	69.81	17.19
14.	15	आयोजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	74.65	22.69	30.40
15.	16	वन एवं वन्य जीव	592.47	145.25	24.52
16.	17	चुनाव	97.74	11.05	11.31
17.	18	उद्योग, खनिज आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	234.06	100.52	42.95
18.	19	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	1154.39	99.25	8.60
19.	20	ग्रामीण विकास	1463.63	351.17	23.99
20.	21	सहकारिता	34.74	4.79	13.79
21.	23	विद्युत विकास	545.69	128.76	23.60
22.	24	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	30.33	2.14	7.06
23.	25	सड़क एवं जल परिवहन	364.52	12.92	3.54
24.	26	पर्यटन एवं नागरिक	89.16	56.20	63.03
25.	27	श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	358.39	39.28	10.96
26.	28	शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास	526.12	93.30	17.73
27.	29	वित्त	6781.25	1212.96	17.89
28.	30	विविध सामान्य सेवाएं	97.28	11.32	11.64
29.	31	जनजातीय विकास	1360.02	371.39	27.31
30.	32	अनुसूचित जाति उप योजना	1424.41	513.37	36.04
राजस्व-प्रभारित					
31.	03	न्याय प्रशासन	53.44	11.36	21.26
32.	04	सामान्य प्रशासन	15.56	2.02	12.98
33.	29	वित्त	4550.00	315.99	6.94
34.	30	विविध सामान्य सेवाएं	3.06	3.06	100.00
पूंजीगत- दत्तमत					
35.	03	न्याय प्रशासन	15.20	6.74	44.34

36.	04	सामान्य प्रशासन	21.94	21.85	99.59
37.	05	भू-राजस्व और जिला प्रशासन	10.90	7.32	67.16
38.	07	पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	82.22	20.98	25.52
39.	08	शिक्षा	107.25	30.23	28.19
40.	09	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	198.37	25.30	12.75
41.	10	लोक निर्माण-सड़क, पुल तथा भवन	1808.14	183.94	10.17
42.	11	कृषि	74.65	8.48	11.36
43.	14	पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य पालन	20.35	5.42	26.63
44.	15	आयोजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	303.99	115.34	37.94
45.	16	वन एवं वन्य जीव	18.43	6.34	34.40
46.	18	उद्योग, खनिज आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	46.90	19.06	40.64
47.	19	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	19.97	14.48	72.51
48.	20	ग्रामीण विकास	20.03	6.04	30.15
49.	23	विद्युत विकास	679.39	157.47	23.18
50.	25	सड़क एवं जल परिवहन	210.58	18.53	8.80
51.	26	पर्यटन एवं नागरिक	66.29	28.95	43.67
52.	29	वित्त	13.78	6.35	46.08
53.	30	विविध सामान्य सेवाएं	41.24	3.50	8.49
54.	31	जनजातीय विकास	439.52	94.04	21.40
55.	32	अनुसूचित जाति उप योजना	1269.17	231.62	18.25
पूँजीगत-दत्तमत					
56.	03	न्याय प्रशासन	1.17	1.17	100.00
57.	10	लोक निर्माण-सड़क, पुल तथा भवन	104.46	97.54	93.38
कुल			45451.32	8225.53	

परिशिष्ट-3.3

(संदर्भ: परिच्छेद : 3.3.7; पृष्ठ 78)

विभिन्न अनुदानों का विवरण जहां निरंतर बचतें (प्रत्येक मामले में एक करोड़ या उससे अधिक) हुईं

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	निरंतर बचतें				
			2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राजस्व- दत्तमत							
1.	03	न्याय प्रशासन	12.53	9.82	10.14	25.20	34.57
2.	04	सामान्य प्रशासन	17.03	11.62	13.13	18.83	54.07
3.	06	उत्पाद शुल्क एवं कराधान	3.78	1.84	7.65	13.79	14.32
4.	07	पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	73.42	37.08	81.89	143.83	212.47
5.	08	शिक्षा	1076.22	864.96	665.02	955.16	1110.61
6.	09	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	366.81	295.90	211.66	330.83	377.72
7.	11	कृषि	38.47	27.04	11.3	72.67	33.44
8.	14	पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य पालन	35.36	35.18	43.67	68.34	69.81
9.	15	आयोजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप योजना	31.40	28.40	16.81	30.57	22.69
10.	16	वन एवं वन्य जीव	33.23	57.50	85.36	130.31	145.25
11.	18	उद्योग खनिज आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	12.23	8.46	11.45	96.03	100.52
12.	19	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	47.43	20.78	55.55	28.84	99.25
13.	20	ग्रामीण विकास	208.74	121.61	402.93	383.93	351.17
14.	21	सहकारिता	8.45	10.23	3.54	3.61	4.79
15.	23	विद्युत विकास	1.49	146.35	131.18	53.45	128.76
16.	24	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	2.21	6.02	2.81	1.19	2.14
17.	25	सड़क एवं जल परिवहन	1.43	1.06	2.1	2.25	12.92
18.	27	श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	63.72	71.98	199.27	39.93	39.28
19.	29	वित्त	228.94	97.70	266.88	939.93	1212.96
20.	30	विविध सामान्य सेवाएं	13.99	13.00	7.38	8.97	11.32
21.	31	जनजातीय विकास	123.39	177.85	242.34	325.72	371.39
22.	32	अनुसूचित जाति उप योजना	31.81	321.14	405.83	390.87	231.62
राजस्व-दत्तमत							
23.	03	न्याय प्रशासन	6.87	5.95	1.73	7.94	11.36
पूंजीगत-दत्तमत							
24.	09	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	6.01	2.93	4.77	8.94	25.30
25.	15	आयोजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप योजना	32.44	18.95	12.84	1.33	115.34
26.	29	वित्त	5.2	1.51	7.98	6.27	6.35
27.	31	जनजातीय विकास	17.38	20.88	58.21	82.25	94.04
28.	32	अनुसूचित जाति उप योजना	108.71	99.31	132.87	154.08	231.62

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के विनियोजन लेखे

परिशिष्ट-3.4

(संदर्भ: परिच्छेद 3.4.4 ; पृष्ठ 87)

उन योजनाओं के विवरण जहां प्रावधान किए गए (प्रत्येक मामले में एक करोड़ या उससे अधिक) परन्तु कोई व्यय नहीं किया गया

क्रम सं०	उप-शीर्ष विवरण	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
1.	हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण (नया ऋण)	3312018000	0	0
2.	5000 ब्रॉयलर स्कीम	20000000	0	0
3.	स्थानीय निकायों तथा अन्य गैर-सरकारी बोर्ड/संस्थानों को सहायता	300000000	648000000	0
4.	मृत/विकलांग रक्षा कर्मी के परिवारों को सहायता	1500000	38000000	0
5.	सामान्य वर्ग के वित्तीय रूप से पिछड़े छात्रों हेतु स्कॉलरशिप देना	35000000	0	0
6.	श्रेष्ठ लिंगानुपात हेतु पंचायतों को पुरस्कार	15000000	0	0
7.	गरीबी रेखा से नीचे कृषक बकरी पालन योजना	20000000	0	0
8.	भवन(जेल विभाग)	15000000	0	0
9.	नकद अंशदान	350000000	310000000	0
10.	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को पशुचारा सब्सिडी	40000000	0	0
11.	मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना-बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना राष्ट्रीय विकास बैंक	337000000	0	0
12.	राजस्व विभाग के भवनों का निर्माण	20000000	0	0
13.	बस स्टैंड का निर्माण	155300000	0	0
14.	उप-मण्डल/खण्ड स्तर पर बस स्टैंड का निर्माण	40300000	0	0
15.	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विभागीय/अन्य भवनों का निर्माण	13500000	0	0
16.	जिला एटॉर्नी कार्यालयों का निर्माण	30000000	0	0
17.	कन्या छात्रावासों का विवरण	35000000	0	0
18.	अन्य पिछड़ा वर्ग/छात्र/छात्रा छात्रावासों का निर्माण	39400000	0	0
19.	पंचायत इंस्पेक्टर/सह-इंस्पेक्टर के आवास का निर्माण	11500000	0	0
20.	नई दिल्ली में राजकीय आराम गृह का निर्माण	0	209000000	0
21.	आवास हीन गराबों हेतु गांधी कुटीर योजना/इंदरा आवास योजना के अंतर्गत गृह का निर्माण	36900000	0	0
22.	अत्याधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों का सृजन	250000000	0	0
23.	फसल विविधिकरण परियोजना (जापान अंतर्राष्ट्रीय सहकारी एजेन्सी) इएपी चरण-II	15000000	0	0
24.	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से की गई कटौती राशि	-2870000000	5180600000	0
25.	दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना	44000000	0	0
26.	दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना	321800000	0	0
27.	दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना	123200000	0	0
28.	जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी प्रशासन	22000000	0	0
29.	कर्मचारी राज्य बिमा योजना (चिकित्सालय एवं प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र)	27050000	0	0
30.	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम में इक्विटी अंशदान	450000000	0	0
31.	अनुग्रह भुगतान	750000000	304900000	0
32.	क्षतिग्रस्त जल आपूर्ति ट्रेनेज तथा सीवरेज कार्यों पर व्यय	310000000	1340000000	0
33.	सरकारी कॉलेजों पर व्यय	120000000	0	0
34.	द्वितीयक स्तर के विकलांगों हेतु समावेशी शिक्षा पर व्यय	10200000	0	0
35.	सड़कों के रखरखाव पर व्यय	692886000	0	0
36.	वीरता पुरस्कार	25000000	0	0
37.	मंदिरों हेतु परिक्रमी निधि के लिए सहायता अनुदान	30000000	0	0
38.	सरकारी आवासीय भवन	20000000	0	0
39.	ग्राम गौरव पट्ट	40000000	0	0
40.	डेयरी सहकारी सोसायटी को अनुदान	30000000	0	0
41.	गौवंश संवर्धन बोर्ड को अनुदान	50100000	0	0
42.	हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी प्रबंधन एवं आजीविका सुधार परियोजना	31500000	0	0
43.	बागवानी विकास परियोजना	789700000	0	0
44.	पर्यटन हेतु बुनियादी ढांचा विकास निवेश कार्यक्रम	523700000	33241000	0
45.	पर्यटन हेतु बुनियादी ढांचा विकास निवेश कार्यक्रम	176300000	0	0
46.	हिमाचल पथ परिवहन निगम में निवेश	156200000	0	0
47.	हिमाचल पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं महिला वित्त विकास निगम में निवेश	85200000	0	0
48.	जल से कृषि को बल	250000000	0	0

49.	कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना	21200000	0	0
50.	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम परियोजनाओं हेतु ऋण	470000000	0	0
51.	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम को ऋण	620000000	0	0
52.	राजीव आवास योजना के अंतर्गत गृहों का रखरखाव	183000000	0	0
53.	प्रमुख जिला सड़कें	250000000	3000000	0
54.	नई दिल्ली में हिमाचल भवन का प्रबंधन	400000000	35000000	0
55.	महिला मण्डल को अनुरूप प्रोत्साहन अनुदान (उत्पादन गतिविधि)	129000000	0	0
56.	मुख्यमंत्री आदर्श विद्या केन्द्र	150000000	0	0
57.	मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना	300000000	0	0
58.	मुख्यमंत्री हरित-गृह क्रांति योजना	300000000	0	0
59.	मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना	1165000000	0	0
60.	राष्ट्रीय रूबन योजना	1693000000	0	0
61.	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	226000000	0	0
62.	वित्त विभाग के पास आरक्षित निधि के पेंशन भोगी	424000000	0	0
63.	वित्तयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को निष्पादन अनुदान	597200000	0	0
64.	पॉलीहाऊस तथा लघु सिंचाई परियोजना	200000000	0	0
65.	अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	500000000	1000	0
66.	अनुसूचित जाति के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	4428000000	0	0
67.	प्रधानमंत्री आवास योजना	880000000	0	0
68.	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	3731000000	0	0
69.	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	630000000	0	0
70.	अनुसूचित जाति के छात्रों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	639000000	1000	0
71.	भेड़ एवं बकरी पालन संवर्धन	103400000	0	0
72.	राजीव गांधी डिजिटल योजना (लैपटॉप / टेबलेट)	1638000000	0	0
73.	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद सरकारी मेडिकल कॉलेज टांडा में क्षेत्रीय वृद्धावस्था केन्द्र	0	48844000	0
74.	आवासीय सहायता का निर्माण व मरम्मत	2500000000	6098000	0
75.	सड़कों एवं पुलों की मरम्मत	8540000000	2450000000	0
76.	ग्रामीण इंजीनियरिंग आधारित औद्योगिक केन्द्र	15405000	0	0
77.	ग्रामीण सड़क विश्व बैंक	2500000000	0	0
78.	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ब्रिक्स) के अन्तर्गत ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता योजना	1000700000	0	0
79.	सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड	1000000000	0	0
80.	ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य वर्ग के व्यक्तियों हेतु राजीव आवास योजना के अन्तर्गत आवास की मरम्मत हेतु योजना	478000000	0	0
81.	श्रेष्ठ शहर योजना	200000000	0	0
82.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन	3257000000	0	0
83.	निर्माण/उन्नयन हेतु विशिष्ट राज्य वित्त आयोग पुरस्कार	200000000	0	0
84.	राज्य नवाचार (इनावेशन) निधि	200000000	0	0
85.	खाद्य प्रसंस्करण हेतु राज्य मिशन	829000000	0	0
86.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु राज्य मिशन	126000000	0	0
87.	स्वच्छता योजना के तहत राज्य सम्मान	217000000	0	0
88.	प्लास्टिक के टोकरो (क्रेट्स) पर सब्सिडी	200000000	0	0
89.	मशीन एवं उपकरण पर औजार एवं संयंत्र व्यय	130400000	0	0
90.	मौजूदा सूचना संचार तकनीकी प्रयोगशाला व अन्य प्रयोगशाला सुविधाओं का उन्नयन/रखरखाव	3290000000	0	0
91.	मौजूदा सूचना संचार तकनीकी प्रयोगशाला व अन्य प्रयोगशाला सुविधाओं का उन्नयन/रखरखाव	450000000	0	0
92.	मौजूदा सूचना संचार तकनीकी प्रयोगशाला व अन्य प्रयोगशाला सुविधाओं का उन्नयन/रखरखाव	1260000000	0	0
93.	नव पॉलिटिकी की स्थापना/उन्नयन	178000000	0	0
94.	विश्व बैंक से सहयोग प्राप्त हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना	1080000000	0	0
95.	विश्व बैंक से सहयोग प्राप्त हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना	3023000000	0	0
96.	विश्व बैंक राज्य सड़कें	7500000000	0	0
	योग	16055139000	10606685000	0

परिशिष्ट-3.5

(संदर्भ: परिच्छेद 3.4.5; पृष्ठ 90)

व्यय का तीव्र प्रवाह

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप-शीर्ष	जनवरी-मार्च 2020 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2019 में किया गया व्यय	2018-19 के दौरान कुल व्यय	अवधि के दौरान किए गए कुल व्यय की प्रतिशतता	
										जनवरी-मार्च 2020	मार्च 2020
1.	5	भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	2245	05	101	02	437.57	283.97	453.57	96.47	62.61
2.	9	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210	05	101	05	17.65	17.65	31.89	55.34	55.34
3.	9	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210	06	200	08	12.00	12.00	17.00	70.59	70.59
4.	9	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2211	00	200	08	14.54	14.54	14.54	100.00	100.00
5.	9	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4210	03	105	06	15.41	15.39	15.78	97.68	97.53
6.	10	लोक निर्माण-सड़क, पुल तथा भवन	2216	05	053	01	16.19	12.87	24.47	66.19	52.58
7.	10	लोक निर्माण-सड़क, पुल तथा भवन	4216	01	106	01	31.27	26.30	37.75	82.83	69.67
8.	10	लोक निर्माण-सड़क, पुल तथा भवन	5054	04	337	11	23.15	17.26	27.16	85.26	63.57
9.	11	कृषि	2401	00	109	31	31.18	25.42	38.08	81.86	66.75
10.	12	बागवानी	2401	00	119	22	12.34	12.17	21.73	56.80	56.03
11.	13	सिंचाई जलापूर्ति एवं स्वच्छता	2711	01	799	01	18.47	13.99	24.03	76.84	58.22
12.	13	सिंचाई जलापूर्ति एवं स्वच्छता	4701	20	800	02	41.47	35.53	55.00	75.40	64.60
13.	13	सिंचाई जलापूर्ति एवं स्वच्छता	4702	00	101	03	34.25	28.21	42.02	81.50	67.14
14.	13	सिंचाई जलापूर्ति एवं स्वच्छता	4702	00	101	04	17.52	15.64	23.91	73.30	65.42
15.	13	सिंचाई जलापूर्ति एवं स्वच्छता	4705	00	313	01	8.96	15.10	23.14	38.71	65.25
16.	27	श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	4202	02	105	03	30.96	22.23	42.62	72.64	52.15
17.	28	शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास	2215	02	105	04	13.53	11.97	19.96	67.77	59.98
18.	28	शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास	2217	80	192	14	13.89	13.89	24.24	57.30	57.30
19.	28	शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास	4215	02	106	02	54.31	35.64	63.80	85.12	55.86
20.	29	वित्त	2049	01	101	21	22.56	22.56	22.56	100.00	100.00
21.	29	वित्त	2049	01	101	23	15.86	15.86	15.86	100.00	100.00
22.	29	वित्त	2049	01	101	49	42.15	42.15	42.15	100.00	100.00
23.	29	वित्त	2049	01	101	51	17.83	17.83	17.83	100.00	100.00
24.	29	वित्त	2049	01	101	56	16.40	16.40	16.40	100.00	100.00
25.	29	वित्त	2049	01	200	05	11.96	11.96	11.96	100.00	100.00
26.	29	वित्त	2049	03	104	01	1120.96	1120.96	1143.72	98.01	98.01
27.	29	वित्त	2054	00	095	04	13.19	11.44	17.95	73.50	63.70
28.	31	जनजातिय विकास	2215	01	796	09	14.83	14.83	17.95	82.64	82.64
29.	31	जनजातिय विकास	2702	80	796	08	11.27	11.27	11.27	100.00	100.00
30.	32	अनुसूचित जाति उप योजना	2401	00	789	49	11.22	10.21	12.53	89.52	81.49
31.	32	अनुसूचित जाति उप योजना	4202	02	789	06	13.30	13.30	13.60	97.77	97.77
32.	32	अनुसूचित जाति उप योजना	4215	01	789	01	12.04	10.69	15.12	79.62	70.73
33.	32	अनुसूचित जाति उप योजना	4215	01	789	04	22.92	17.73	35.33	64.87	50.19
34.	32	अनुसूचित जाति उप योजना	4701	20	789	04	12.97	10.61	15.00	86.45	70.71
35.	32	अनुसूचित जाति उप योजना	4701	21	789	01	15.00	15.00	15.00	100.00	100.00
36.	32	अनुसूचित जाति उप योजना	4702	00	789	04	12.50	11.46	16.36	76.43	70.05
37.	32	अनुसूचित जाति उप योजना	4801	01	789	03	45.00	45.00	56.02	80.33	80.33
38.	32	अनुसूचित जाति उप योजना	5054	04	789	04	30.43	22.09	41.66	73.05	53.02
योग							2307.05	2071.12	2538.96		

स्रोत: विनियोजन लेख/बी.एल.सी.

परिशिष्ट-4

(संदर्भ: परिच्छेद 4.15; पृष्ठ 112)

स्वायत्त निकायों की सूची: कुल = 54 (18+36)

क्रमांक	निकाय का नाम / प्राधिकरण		विभाग जहां लेखापरीक्षा की गई
1	हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, शिमला		धारा 19(3) के तहत की गई लेखापरीक्षा तथा पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार किया
2	हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड		
3	प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन व योजना प्राधिकरण		
4	हिमाचल प्रदेश नगर परिवहन एवं बस स्टैंड विकास प्राधिकरण		
5	हिमाचल प्रदेश राज्य नियामक आयोग		
6	हिमाचल प्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद, शिमला		
7	हिमाचल प्रदेश कानूनी सेवा प्राधिकरण, शिमला		
8	जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, हमीरपुर		
9	जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर		
10	जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, नाहन		
11	जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, ऊना		
12	जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, शिमला		
13	जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, रामपुर (किन्नौर)		
14	जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, मंडी		
15	जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, कुल्लू		
16	जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, धर्मशाला (कांगड़ा)		
17	जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, सोलन		
18	जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, चम्बा		
19	नियंत्रक, चौधरी श्रवण कुमार, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर	--	धारा 14 व 15 के तहत लेखापरीक्षा की गई तथा प्रतिवेदन तैयार कर जारी किया गया।
20	डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी विश्वविद्यालय, नौनी, सोलन	--	
21	बीज और जैविक उत्पाद प्रमाणन संस्था, बालूगंज, शिमला	--	
22	पशुधन विकास बोर्ड, बालूगंज, शिमला	हाँ	
23	हिमाचल प्रदेश राज्य दुग्ध सहकारी उत्पादक संघ, टुडू	हाँ	
24	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विपणन और उपभोक्ता संघ लिमिटेड	हाँ	
25	हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण के लिए राज्य परिषद कुसुमपट्टी, शिमला	-	
26	प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण	-	
27	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, हमीरपुर	--	
28	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, बिलासपुर	--	
29	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, नाहन	--	
30	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, ऊना	--	
31	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, शिमला	--	
32	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, किन्नौर	--	
33	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, मंडी	--	
34	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, कुल्लू	--	
35	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, धर्मशाला (कांगड़ा)	--	
36	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, सोलन	--	
37	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, चम्बा	--	
38	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, केलांग	--	
39	ऐड्स रोकथाम संस्था	--	
40	हिमाचल प्रदेश नर्सिंग पंजीकृत परिषद	--	धारा 14 व 15 के तहत लेखापरीक्षा की गई तथा प्रतिवेदन तैयार कर जारी किया गया।
41	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन-शिमला	--	
42	भाषा, कला और संस्कृति अकादमी	हाँ	
43	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निगम, सोलन	--	
44	सामाजिक कल्याण बोर्ड, शिमला	--	

क्रमांक	निकाय का नाम / प्राधिकरण		विभाग जहां लेखापरीक्षा की गई
45	बाल कल्याण परिषद, शिमला	--	
46	सर्व शिक्षा अभियान, शिमला	--	
47	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	--	
48	रिन चैन जंगपो संस्था कांगड़ा	--	
49	राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (हिमाचल प्रदेश)	--	
50	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	--	
51	कर्मचारी राज्य बीमा संस्था, शिमला	--	
52	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	हाँ	
53	राज्य आपदा प्राधिकरण	--	
54	हिमाचल प्रदेश आयुर्वेदा एवं यूनानी चिकित्सा बोर्ड	--	

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.aghp.cag.gov.in